राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सातवां दिवस [संख्या: 05

मंगलवार,

15 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर गतिरोध केवल इस बात को लेकर है कि रीट के अन्दर जो चीट हुई है, राजस्थान की इस सबसे बड़ी परीक्षा में राजस्थान के नौजवानों के हकों......

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, क्वेश्चन आवर की सैंक्टिटी को खतम करने प्रयास न करें। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं क्वेश्चन आवर को मत करें। प्रश्न काल।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व बैनर प्रदर्शन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 63

मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

63. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए सरकार ने मृतक आश्रित आवेदक के आवेदन करने के पश्चात् नियुक्ति देने का कोई समय निर्धारित किया है? यदि हां, तो कितने समय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी विभागीय उदासीनता के कारण आवेदक को निर्धारित समय में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है एवं प्रकरण वर्षों लम्बित रहते हैं? यदि हां, तो क्या

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मृतक आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से नियुक्ति आदेश जारी करने तक प्रकरणों को बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के लम्बित रखने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 64

शिक्षाकर्मी व पैराटीचर्स का मानदेय

अगला प्रश्न, श्री बाबु लाल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें)

शिक्षा मंत्री जी।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) शिक्षाकर्मी व पैराटीचर्स पूर्व की भांति कार्यरत हैं। इन्हें संविदाकर्मी का दर्जा देने की परम्परा नहीं रही है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के अन्तर्गत शिक्षाकर्मियों एवं पैराटीचर्स के देय मानदेय में 01 अप्रैल, 2022 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में पेज नम्बर 36 के पाइंट 25 पर यह लिखा है- 'सरकार में संविदाकर्मियों, एनआरएचएम एवं एनयूएचएम कर्मियों, पैराटीचर्स, उर्दू पैराटीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षाकर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों आदि के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किया जायेगा।' अब आप कह रहे हो कि कोई परम्परा नहीं है। आपने अपने जन घोषणा पत्र में वायदा क्या किया है और आज आप सदन में यह जवाब दे रहे हैं कि यह परम्परा नहीं है तो क्या लोगों के साथ धोखा कर रहे थे हम? यह जवाब क्या दिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपने जन घोषणा पत्र में वायदा किया और आज आप कह रहे हैं कि परम्परा नहीं है। आप लिख रहे हैं परम्परा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन थे और आपको यह पता नहीं है कि जन घोषणा पत्र में वायदा क्या हुआ है। अब कहते हो कि परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। प्रश्न पूछें। माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संविदाकर्मी तो वे हैं, उनको दर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं है। (व्यवधान) संविदाकर्मी को दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। नीचे बैठो आप, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इनके पैराटीचर्स का और अपने शिक्षाकर्मियों का वक्त-वक्त पर वेतन बढ़ाया गया है। हमारी सरकार आने के बाद 2017 में 10 परसेंट, 2018 में 10 परसेंट और 2020 में 15 परसेंट वेतन बढ़ाकर इनको एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। जहां तक इन्होंने, संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के बारे में मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट बन रही है। आप जानते हैं कि वह पहले कैबिनेट को प्रस्तुत की जायेगी और उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रश्न संख्या 65

बून्दी में संचालित कृषि उपज मण्डियां

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय परम्पराओं को तोड़ने का जो रिकार्ड आप बना रहे हो, कल आप सत्ता में आओगे तो आपके साथ तकलीफ आयेगी। प्रश्न काल की महत्ता को समझते हुए आप अपना प्रोटेस्ट करें। माननीय सदस्य, जो एक इश्यू डिस्कस हो जाता है हाउस में, वह दुबारा हाउस में डिस्कस नहीं होता। आप जो परम्परा डाल रहे हैं, वह परम्परा संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में रखी जायेगी। आप अपना प्रोटेस्ट करें, प्रश्न काल को रोकने का काम नहीं करें।

मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न काल को रोकने का काम करेंगे, मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी और कठोर कार्यवाही करने के लिए फिर प्रतिपक्ष रहेगा या नहीं रहेगा, हाउस चलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे कम्पेल, प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करेंगे तो मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न काल को आप डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों एवं गौण मण्डी यार्डों का स्थापना दिनांक सहित मण्डियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियां स्ववित्त पोषित होती हैं। मण्डी समितियों द्वारा मण्डी निधि में उपलब्ध बचत अथवा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त अनुदान/ऋण से भूमि अवाप्ति एवं निर्माण कार्य कराये जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा भूमि अवाप्ति/आबंटन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" एवं निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा के पानी से भीगने से बचाने के लिए मण्डी प्रांगणों में कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म, डोम, पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाये गये हैं। इसके अलावा मण्डियों द्वारा नि:शुल्क तिरपाल भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों की फसल को वर्षा से भीगने से बचाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। उक्त सुविधाओं में

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)
आवश्यकता अनुसार निरन्तर अभिवृद्धि की जाती है। बूंदी शहर में सृजित नवीन मण्डी यार्ड, कुंवारती में कवर्ड टीनशैड निर्माण के लिए 692.81 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष कृषि उपज मण्डी समितियों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बचत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार की सुविधाओं का सृजन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रश्न संख्या 66

नोखा शहर में एस.टी.पी. बनाने की कार्ययोजना

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें)

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गन्दे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण के ट्रेंच द्वितीय के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी थी। कार्ययोजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त कार्ययोजना किस स्तर पर लम्बित है, यह पूछा गया है।

(2) नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गन्दे पानी की निकासी के लिए योजना का विवरण परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(3) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) निर्णय दिनांक 21.09.2021 द्वारा जुर्माना राशि 50.00 लाख रुपये अधिरोपित की गयी थी। पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण रुडसिको से 50.00 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर न्यायालय के निर्णय अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर में दिनांक 09.12.2021 द्वारा जमा करवायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न में जिस तरह से पूछा गया है, योजना सिटी लेवल कमेटी, बीकानेर द्वारा दिनांक 19.07.2021 को अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्ययोजना का अनुमोदन एशियन बैंक के द्वारा करने के उपरान्त इस योजना का वर्क फाइनलाइजेशन बैठक 24.12.2021 को किया गया। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 129 करोड़ 50 लाख की दिनांक 05.01.2022 आरयूआईडीपी के द्वारा जारी की गयी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नोखा में नहरी पानी से जलापूर्ति करवाने एवं गन्दे पानी की निकासी के लिए निविदा प्रपत्र एशियन विकास बैंक के स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया में है, अनुमोदन उपरान्त सफल निविदा प्रक्रिया पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। यह कार्य लगभग दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के बीच में एलओडी, एमएलडी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 2012-13 में कराया गया था, जिसका वर्ष 2016-17 तक नियमित संचालन एवं संधारण किया जा रहा था। स्थानीय खातेदारों की भूमि पालिका द्वारा किराये पर ली जाकर उक्त प्लांट का ट्रीटेड पानी खातेदारों के खेतों में छोड़ा जा रहा था, जिसमें खातेदारों को पालिका द्वारा उचित मुआवजा राशि का समय-समय पर भुगतान किया जा रहा था।

तत्पश्चात्, समय-समय पर आबादी विस्तार होने एवं सीवरेज जल स्तर बढ़ने के कारण प्लांट में क्षमता से अधिक पानी आने के कारण प्लांट तकनीकी रूप से खराब हो गया। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नगरपालिका द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं करवाया जा सका। योजना के लिए 129 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत नोखा शहर में निम्न मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं:-

पहला, मल जल शोधन संयंत्र यानी कि एसटीपी और दूसरा 7 एमएलडी का एक और 5 एमएलडी का एक। सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, एसएलपी, एक 4 एमएलडी का और सीवरेज लाइन 10 किलोमीटर तक।

जहां तक पेयजल का सवाल है, पेयजल में ट्रांसमिशन एवं जल वितरण पाइप लाइन 314 किलोमीटर और स्वच्छ जलाशय तीन नग, हाउस सर्विस कनेक्शन्स 14 हजार 230, विभागीय आदेश दिनांक 25.08.2021 तक गठित राजस्थान शहरी विकास निधि (द्वितीय) में उपलब्ध राशि में से रुडसिको की राशि 50 लाख रुपये ऋण स्वीकृत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इसी प्रकार, प्रकरण में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नगरपालिका, नोखा के वार्ड नम्बर 5 में पूर्व समय से निर्मित ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के दुरुस्तीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आगामी पखवाड़े तक उक्त प्लांट सुचारु रूप से कार्यशील हो जायेगी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सरफेस वाटर को इलेक्ट्रिक विधि से शुद्ध करने हेतु संबंधित फर्म को कार्यादेश दिनांक 23.11.2021 को दिया गया था, जिसके अन्दर 437 इलेक्ट्रिक वाटर प्लांट लगाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। ये सब बातें इस प्रकार की हैं, जिससे इस समस्या का हल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने जो बातें पूछी हैं, मैंने उससे भी ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है और मैं यह समझता हूं कि अब माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

प्रश्न संख्या 67

अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा के उपाय

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, सतीश पूनियां।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया। कृपया आगे देखें)

माननीय वन मंत्री जी।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक रणथम्भौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है। वर्तमान में बाघों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(2) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

वर्ष 2020 में मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई। प्राप्त जांच रिपार्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिये गये सुझावों का परीक्षण एक टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।

(3) सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी है और यह सही है कि रणथम्भौर अभयारण्य टाइगर रिजर्व में टी-99 ने तीन शावकों को

(वन मंत्री)

जन्म दिया। एक शावक पहले दिखा था, आज वह तीन शावकों के साथ दिखी, इस प्रकार बाघों का कुनबा 81 से बढ़कर 83 हो गया है। इनमें 33 शावक हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में परिशिष्ट के अनुसार जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक रणथम्भौर अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी एवं उनके अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

जिन बाघों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उनमें रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के 13 बाघों में 4 बाघ वृद्ध की श्रेणी में आते हैं तथा शेष की प्राकृतिक कारण से मृत्यु या बाघों का अधिक घनत्व के कारण उत्पन्न दबाव से इस क्षेत्र से पलायन या आपसी टकराव से मृत्यु संभावित है। प्रमाणों के अभाव में निश्चित तौर पर कहा जाना सम्भव नहीं है।

ध्यातव्य हो कि नर बाघ टी-38 वर्ष 2010 में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से पलायन कर गया था, जो कि लगभग 10 वर्ष पश्चात् माह अक्टूबर, 2020 से पुन: वापस रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है। जिन बाघों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनमें 8 बाघ रणथम्भौर कोर, 3 बाघ रणथम्भौर बफर और 2 बाघ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से बाहर कैलादेवी अभयारण्य में प्रवासरत थे।

इसके अतिरिक्त कई बाघ शावकों के कैमरे ट्रेप प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मादा बाघिन टी-73 की सम्भावित मृत्यु के पश्चात् यह संभावना है कि उसके 3 शावक भी जीवित नहीं हैं। मादा बाघिन टी-84 के विचरण क्षेत्र में दो वयस्क मादाओं व 3 वयस्क नर बाघों के विचरण होने से इसके 3 शावकों की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु सम्भावित है। इस प्रकार टी-60 के 1 शावक व टी-102 के 1 शावक की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु हुई है।

इसके अतिरिक्त टी-111 ने 4 शावकों को जन्म दिया था, वर्तमान में 3 शावकों में 2 के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, 1 शावक की प्राकृतिक मृत्यु सम्भावित है। मुकुन्दरा में बाघिन एमटी-2 की मृत्यु के बाद उसका 1 शावक भी जीवित नहीं रहा है। एमटी-2 के 1 शावक तथा एमटी-4 के 1 शावक के भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 बाघ एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघ की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। इस प्रकार रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघ की।

(वन मंत्री)

इस अवधि में शिकार के कारण टाइगर की मौत का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। बाघों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

नाम	नर	मादा	शावक	कुल
रणथम्भौर टाइगर रिजर्व	23	30	19	72
धौलपुर वन क्षेत्र	1	1	2	4
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	1	0	0	1
कैलादेवी अभयारण्य	1	1	2	4
सरिस्का टाइगर रिजर्व	9	11	5	25
मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व	0	1	0	1
योग	**35**	**44**	**28**	**107**

इस प्रकार नर-35, मादा-44 और शावक-28 कुल-107 हैं।

वर्तमान में बाघों की संख्या रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की वर्ष 1973 में स्थापना के बाद अब तक की यह अधिकतम संख्या है। वर्तमान में नर एवं मादा का अनुपात भी 1:1.3 है। वर्तमान में 32 मादा बाघिनों, रणथम्भौर-30, करौली-1, धोलपुर-1 में से अधिकांश प्रजनन आयु में हैं, जिसके कारण नये शावकों के जन्म में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच 44 शावकों रणथम्भौर-40, करौली-2, धौलपुर-2 का जन्म हुआ है।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 से 2014 तक भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए एक शोध में यह उल्लेख किया गया है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के रणथम्भौर नेशनल पार्क एवं सवाई मानसिंह अभयारण्य क्षेत्र में टाइगर घनत्व कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंच चुका है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व-प्रथम के क्षेत्र में 43 वयस्क बाघ थे जबकि वर्तमान में बढ़कर 23 नर, 30 मादा, कुल-53 वयस्क बाघ हो गये हैं।

वर्ष 2011 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित मिसिंग टाइगर के सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि रणथम्भौर नेशनल पार्क में 40 से अधिक बाघों की संख्या पार्क प्रबन्धन के लिए हमेशा समस्या का कारण रही है। वयस्क होने पर व्याघ्र या तो अपनी

(वन मंत्री)

टेरिटरी से दूर चले जाते हैं या पूर्व में स्थापित बाघ-बाघिन को उनकी टेरिटरी से विस्थापित कर देते हैं। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण बाघों के क्षेत्रीय संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में ही क्षेत्रीय संघर्ष की 10 से अधिक घटनायें हुई हैं, जिनमें 5 बाघ-बाघिनें टी-84 मादा, टी-124 मादा, टी-34 नर, टी-120 नर, टी-123 नर एवं टी-129 नर के चोटें आने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मादा टी-124 का मादा टी-125 के आपसी संघर्ष में गम्भीर रूप से घायल होने पर टी-124 की कटी हुई जीभ का ट्रेंकुलाइज कर उपचार किया गया।

रणथम्भौर बाघों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड बन गया है, जहां से पैदा होकर बाघ आपस में टेरिटरी के लिए प्रतिस्पर्धारत रहते हैं तथा नये क्षेत्रों की तलाश में कोरिडोर के माध्यम से क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां पूर्व में बाघ रहते रहे हैं। इस प्रकार रणथम्भौर टाइगर रिजर्व टाइगर के स्रोत सोर्स पॉपुलेशन के रूप में कार्य करता है, जहां वन्य जीव प्रबन्धन एवं टाइगर मोनिटरिंग सरल रूप से की जाती है। इसके समीपवर्ती क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित है, जहां पर वन्य जीव प्रबन्धन एवं टाइगर मोनिटरिंग और क्षेत्र के स्तर से कम होती है। इसके बाद प्रादेशिक वन क्षेत्र अथवा राजस्व क्षेत्र में बाघों के पलायन करने से सिंक पापुलेशन माना जाता है, जहां वन्य जीव प्रबन्धन टाइगर मोनिटरिंग के प्रभावी प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं होने से बाघ के जीवित रहने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व पोस्टर प्रदर्शन।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): विगत वर्षों के रिकार्ड एवं अनुभव से यह स्पष्ट है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से इसके समीपवर्ती वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में यहां के टाइगर्स कोरिडोर से होते हुए भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा, मथुरा (उत्तर प्रदेश) दतिया, श्योपुर, पालपुर कूनो (मध्य प्रदेश) पलायन करते रहे हैं। विगत वर्षों में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से बाहर पलायन करने वाले बाघों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रदेश में जनवरी, 2019 से 2022 तक रणथम्भौर अभयारण्य,

(श्री हेमाराम चौधरी)

सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर अभयारण्य आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता एवं गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार एवं क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने के प्रकरणों में जांच। बाघ-बाघिनों की प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ टकराव के कारण मृत्यु होना अथवा अन्य टाइगर्स के दबाव के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाना यह एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। वन क्षेत्रों में बाघों के लापता, गुमशुदगी, मौतों अवैध शिकार, क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जांच की स्थिति निम्नानुसार है:-

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व - बाघ-बाघिनों की प्राकृतिक आयु प्राप्त होने पर मृत्यु होना, अन्य टाइगर्स के साथ टकराव के कारण मृत्यु होना अथवा अन्य टाइगर्स के दबाव के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाहर पलायन कर जाना, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रणथम्भौर टाइगर के मिसिंग टाइगर्स की जांच के लिए एआईजीएफ एनटीसीए, बैंगलोर, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर उत्तरी क्षेत्र वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं श्री अयाद, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, टाइगर सैल, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की तीन सदस्यीय टीम का गठन 13.03.2020 को किया गया है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के आदेश की प्रति भी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व - मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफएन फोरेस्ट 2002 पार्ट-वन दिनांकित 04.08.2020 से श्री योगेन्द्र कुमार दक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है। जांच रिपोर्ट में बाघों के प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों के परीक्षण हेतु टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

बाघों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपाय। बाघ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया जाकर सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इस रणनीति पत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन एवं वन्य जीवों की

(श्री हेमाराम चौधरी)

सुरक्षा हेतु अधीनस्थ स्टाफ के साथ बॉर्डर होमगार्ड्स, होमगार्ड एवं स्थानीय वालेंटियर्स तैनात किए गये हैं। इस वर्ष वन्य जीव प्रभाव में 299 अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड नियोजित किए जाकर उनके साथ सघन गश्त की जाती है। रिक्तियों को भरने व अतिरिक्त कार्मिकों को नियोजित करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। अलग-अलग स्थानों पर ई-सर्विलांस टॉवर व ड्रोन कैमरों का उपयोग कर वन क्षेत्रों की मोनिटरिंग की जाती है, जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा हेतु परिधि क्षेत्र में पेट्रोलिंग रूट, कच्चे वन पथ के मिसिंग लिंक का निर्माण कराया गया है। परिधि क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर नयी चौकियों का निर्माण कर, पुरानी वन चौकियों का पुनरुद्धार कर आबाद किया गया है। रणथम्भौर में ...(व्यवधान)... तथा सरिस्का में बफर क्षेत्र में कार्य करवाये जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार सुरक्षा बढ़ायी जायेगी। व्यवस्थित रूप से पेट्रोलिंग रूट बना कर रात्रि व दिन में गश्त की जाती है, जिसे और सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है।

गर्मी के समय वन्य जीवों के लिए सोलर पम्प व अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन के माध्यम से बेहतर जल प्रबन्धन किया गया है, जिसके कारण बाघों का पलायन रोका जा सके। अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्यवाही की जा रही है।

टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पर्यटन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन पालिसी के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे सरिस्का बफर, मुकुन्दरा बफर इत्यादि में पर्यटन रूट खोला जाना भी प्रक्रियारत है।

बाघों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं फेज 4 प्रक्रियानुसार 24X7 बाघों की मोनिटरिंग ...(व्यवधान) व M-STRIPES का उपयोग कर की जा रही है, जिसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जायेगा। बाघों के बढ़ते हुए कुनबे को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु 10.08.2021 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं बैनर प्रदर्शन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, चेयर ऑन लैग। माननीय सदस्य, आप पार्लियामेंटेरियन हो, आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जायेगा, आपको जाकर भाषण देना है। आप अपने प्रोटेस्ट को

(श्री अध्यक्ष)

दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकार्ड किया जायेगा, आप शान्तिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री के जवाब का तरीका समझ में आ गया। माननीय सदस्य, मंत्री के जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझें। मेरा आपसे निवेदन है आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शान्तिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, चेयर इधर है, उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हो। आपका प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रवोक करोगे, फिर प्रोब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना है, आप कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आपके प्रोटेस्ट की गंभीरता को, यह भी सोचें, कोई पुराना आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। आपके हाथ में लिखा हुआ है, आपसे मेरा अनुरोध है आपका गला खराब हो जायेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, किसी का बीपी बढ़ जायेगा, डाक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप प्रोटेस्ट करें लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाकर भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदलें ...(व्यवधान) नहीं, धन्यवाद।

अगला प्रश्न।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं बैनर प्रदर्शन)

प्रश्न संख्या 68

पंजीकृत बेरोजगार

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें)

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) प्रदेश में 01 फरवरी, 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,831 बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया, जिनमें से 31 जनवरी, 2022 तक कुल 4,02,826 आशार्थियों को लाभान्वित

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

किया गया। जी हां, सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। वर्तमान में इस योजना में सम्पूर्ण प्रदेश में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा दो लाख है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने पर लाभान्वितों की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के अन्तर को शेष रहे वैरिफाई किये जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 के अनुसार आशार्थियों को 3 माह के कौशल प्रशिक्षण के साथ राजकीय विभाग में 4 घंटे की इन्टर्नशिप करवाते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस हेतु दिनांक 27.10.2021 को नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में वर्तमान में ऐसा कोई आशार्थी विभाग की जानकारी में नहीं है जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। यदि इस तरह का प्रकरण ध्यान में आता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये गये)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की सूची निम्नानुसार है:-

S.NO.	District	Total
1	अजमेर	44615
2	अलवर	116687
3	बांसवाड़ा	30851
4	बारां	31030
5	बाड़मेर	24667
6	भरतपुर	75314
7	भीलवाड़ा	31727
8	बीकानेर	41981
9	बूंदी	31838
10	चित्तौड़गढ़	19624
11	चूरू	68180
12	दौसा	74895

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

S.NO.	District	Total
13	धौलपुर	28415
14	डूंगरपुर	22129
15	गंगानगर	54791
16	हनुमानगढ़	61891
17	जयपुर	173383
18	जैसलमेर	8027
19	जालौर	21287
20	झालावाड़	30313
21	झुन्झुनूं	96346
22	जोधपुर	65321
23	करौली	46146
24	कोटा	46918
25	नागौर	82384
26	पाली	33359
27	प्रतापगढ़	12255
28	राजसमन्द	14368
29	सवाईमाधोपुर	41829
30	सीकर	135348
31	सिरोही	17429
32	टोंक	37688
33	उदयपुर	33070
Total		**1654106**

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्रेजुएट और पीजी आशार्थियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

S.NO.	District	Total
1	अजमेर	32930
2	अलवर	90867
3	बांसवाड़ा	26504
4	बारां	27190

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

S.NO.	District	Total
5	बाड़मेर	19485
6	भरतपुर	56754
7	भीलवाड़ा	23908
8	बीकानेर	31556
9	बूंदी	27094
10	चित्तौड़गढ़	15142
11	चूरू	60955
12	दौसा	63619
13	धौलपुर	19468
14	डूंगरपुर	19421
15	गंगानगर	41900
16	हनुमानगढ़	54295
17	जयपुर	150186
18	जैसलमेर	5960
19	जालौर	18079
20	झालावाड़	22466
21	झुन्झुनूं	80387
22	जोधपुर	49907
23	करौली	38550
24	कोटा	37280
25	नागौर	73286
26	पाली	26408
27	प्रतापगढ़	10206
28	राजसमन्द	11742
29	सवाईमाधोपुर	34486
30	सीकर	123241
31	सिरोही	13859
32	टोंक	31015
33	उदयपुर	26165

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

माननीय अध्यक्ष महोदय, डिटेल इस प्रकार है:- कुल 16,54,000 बेरोजगारों में स्नातक 13,64,290। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए 6,51,949, इनमें से 4,02,826 कुल लाभान्वित हैं। 1,97,717 वर्तमान में लाभान्वित चल रहे हैं। 1,90,661 के फार्म क्लीयर होकर आवेदन लम्बित हैं। 7768 के ऊपर जांच हेतु लम्बित हैं। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करके जिनका नाम हटा दिया गया है, उनकी संख्या 2,05,109 है। माननीय, 50,714 फार्म निरस्त किये गये हैं। निरस्त करने की प्रक्रिया के कुछ नियम हैं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, एक वर्ष में अधिकतम 2 लाख पंजीकृत स्नातक तथा योजनान्तर्गत पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जायेगा।

निम्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता आवेदन निरस्त किया जाता है, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण होने के कारण। भत्ता स्वीकृत की अधिकतम समय सीमा दो वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी को रोजगार प्राप्त होने के कारण। लाभार्थी द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के कारण। इन्टर्नशिप हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के कारण। कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के कारण। नियमित शिक्षा प्राप्त करना। परिवार की आय 2 लाख से अधिक होना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 में नयी योजना बनी, जिसके नियम इस प्रकार हैं:-

योजना - मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना।

पारिवारिक आय- परिवार की कुल वार्षिक आय में जन आधार कार्ड के अनुसार माता-पिता, पति-पत्नी, सास-ससुर तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।

बेरोजगार- योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगार, जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, परन्तु आवेदन तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो।

योग्यताधारी- राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कालेजों से स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री।

बेरोजगारी भत्ता- पात्र बेरोजगारों को इन्टर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता।

कौशल प्रशिक्षण- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में कौशल प्रशिक्षण

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

से अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है, जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाये। यह प्रशिक्षण तीन माह से न्यूनतम न हो।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसा पाठ्यक्रम, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो।

इन्टर्नशिप - कार्य के साथ सीखने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यावहारिक कार्य का अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत इन्टर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। इन्टर्नशिप में चिरंजीवी योजना में हर अस्पताल में हैल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है।

पात्रता- (1) प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

(2) (क) राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए।

(ख) राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी।

(3) आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो। प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।

(4) आयु सीमा- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, परन्तु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(5) प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

(6) प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(7) प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से बर्खास्त नहीं किया गया हो।

(8) बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/स्व नियोजन प्राप्त करने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए स्वीकार्य होगा। इस योजना में इन्टर्नशिप अथवा स्वरोजगार आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इन्टर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।

(9) भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर जारी रहना चाहिए।

(10) यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

(11) प्रत्येक वर्ष में अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जायेगा, जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक देय होगा। प्रतिवर्ष एक जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन स्वत: पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा दो लाख से अधिक पात्र आवेदन होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। यदि एक जुलाई को दो लाख से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो उनमें से अधिक आयु के दो लाख युवाओं का भत्ता (पूर्व में प्राप्त कर रहे युवाओं सहित) चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा व दो लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी एक जनवरी को किया जायेगा। यदि एक जुलाई को दो लाख से कम आवेदक पात्रता रखते हैं तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल को वर्ष में एक बार 01 अप्रैल से 30 जून तक खोला जायेगा।

(12) पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष अवधि (दो वर्ष में से लाभ ले चुके माहों को घटाने के पश्चात्) के लिए इन्टर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। 1 जनवरी,

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

2022 से सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किन्तु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

अपात्रता- इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे -

(1) वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स की बगैर निविदा आमंत्रित किये जाने के योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्‌वारा इसका लाभ लिया जा रहा है।

(2) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात् भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं।

(3) इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे पीएमजीएसवाई और मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा अथवा बीओसीडब्ल्यू में निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(4) ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक हो।

(5) पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना, 2007 या अक्षत कौशल योजना, 2009 या अक्षत योजना (राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012) या मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, 2019 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थी इस योजना में अपात्र होंगे।

(6) जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था द्‌वारा पदच्युत कर दिया गया हो।

(7) जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हों।

(8) जो सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवारत हों या जिनका स्वयं का रोजगार हो।

(9) जो केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हों।

बेरोजगारी भत्ता भुगतान- योजनान्तर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

(अ) पुरुष प्रार्थी- 4000 रुपये प्रतिमाह।

(ब) ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) प्रार्थी- 4500 रुपये प्रतिमाह।

बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: फिर झगड़ा होगा तो ठीक रहेगा? आप प्रोटेस्ट इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं? आप गलत काम कर रहे हैं।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बन्द कर दिया जायेगा।

इन्टर्नशिप प्रक्रिया- (1) बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इन्टर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जायेंगी।

(2) इन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरन्तर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी।

(3) यदि इन्टर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बन्द कर दिया जायेगा एवं पुन: आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के अयोग्य माना जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। माननीय सदस्य, क्या आप इधर आ रहे हैं?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य, मैंने सदन के सामने एक-एक आंकड़ा रख दिया है। इस योजना के अन्तर्गत कोई चीज छिपी नहीं है। पूरी योजना आपको बता देता हूं।

(4) इन्टर्नशिप कार्यालय समय में की जायेगी।

(5) इन्टर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में एक दिवस अनुपस्थित रहने पर भत्ता काटा नहीं जाएगा। अनुपस्थिति अवधि का बेरोजगारी भत्ता आनुपातिक रूप से काटा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आपका मान लिया।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): धन्यवाद सर, पढ़ा हुआ मान लिया।

प्रश्न संख्या 69

राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया। कृपया आगे देखें)

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) राजस्व मण्डल में दिनांक 31.12.2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी तथा दिनांक 31.01.2022 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 64,736 थी। सूची परिशिष्ट अ तथा ब पर संलग्न है।

अधीनस्थ न्यायालयों में 31.12.2018 तक 3,68,999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 490663 प्रकरण लम्बित रहे। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों में संशोधन हेतु कमेटी का गठन दिनांक 11.03.2020 को किया गया। उक्त विभागीय कमेटी की अनुशंसा पर राजस्व नियमों में संशोधन एवं सरलीकरण कर अधिसूचनाएं एवं परिपत्र जारी किये गये हैं। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किये जाते हैं एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किये जायेंगे।

(3) जी हां। जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा F.1 (17)Rev.-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या 70

जवाई क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुरारी मीना। प्रश्न संख्या 70.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया। कृपया आगे देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे व बैनर प्रदर्शन)

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) राज्य बजट 2021-22 के अन्तर्गत पाली, जालौर, बाड़मेर व सिरोही जिलों को सम्मिलित करते हुए पर्यटन स्थलों को 'गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट' के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है।

उक्त सर्किट के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 2210.04 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसमें जवाई क्षेत्र के विकास हेतु राशि रुपये 203.85 लाख स्वीकृत है।

(2) जी हां। जवाई बांध पाली, जालौर, सिरोही जिलों का सबसे बड़ा बांध है। बांध की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु 4 Zoom कैमरे एवं 30 Bullet कैमरे लगाये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर, जिला पाली में फिल्म सिटी शिल्पाली स्थापित करने संबंधी निजी निवेशक द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही नगरपालिका सुमेरपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान/नीति नहीं है, वरन स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न संख्या 71

महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 71, शिक्षा मंत्री जी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया। कृपया आगे देखें)

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विषयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में 122 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। इनमें सहायक आचार्यों के 856 पद स्वीकृत किये गये हैं।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना भेजी गयी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे व बैनर प्रदर्शन)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 72, श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में आगजनी में सहायता के लम्बित प्रकरण

72. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्षों में आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा की घटनाएं कहां-कहां हुई तथा उनमें कितनी-कितनी जन हानि व पशु हानि हुई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त घटनाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं तथा उनका कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्षों में जिन ग्रामों में आगजनी, आकाशीय बिजली एवं अंधड़ तूफान की घटनाएं घटित हुई हैं, उन ग्रामों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिन ग्रामों में आगजनी, आकाशीय बिजली व अंधड़ से जन हानि व पशु हानि हुई है उन ग्रामों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जन हानि व पशु हानि होने पर प्रभावित पात्र पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उक्त घटनाओं में आर्थिक सहायता के लम्बित प्रकरण शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा और आगजनी में जो घटनाएं होती हैं, उसमें जो राशि दी जाती है, वह बहुत कम है, क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): हमारे यहां आगजनी में अज्ञात कारणों से क्षति होने पर एस. डी. आर. एफ. मापदण्ड

(श्री गोविंद राम)

अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। 6 माह से अधिक समय से लम्बित सहायता के प्रकरणों के सम्बन्ध में इनके यहां 28 प्रकरण हुए, जिनमें से 23 के अन्दर लाभ दिया गया है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रही हूं कि जो राशि दी जाती है वह बहुत कम होती है, क्या सरकार इसे बढ़ाने पर विचार करती है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): श्रीमान जी, जो भी सहायता दी जाती है वर्ष 2015 के जो एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स हैं, उनके अनुसार ही सहायता दी जाती है। जहां असिंचित क्षेत्र है वहां 6 हजार 800 और जहां सिंचित है वहां 13 हजार 500 और जहां साल भर की फसल है वहां 18 हजार की राशि देय है।

प्रश्न संख्या 73

प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का गठन

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 73.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया। कृपया आगे देखें)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, श्रम के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं (1) जी हां। बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 162.0.0 में घोषणा की गयी थी। कोष का गठन अभी नहीं हुआ है, उक्त कोष के गठन हेतु बजट आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं/कार्यों को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव वित्त विभाग में अनुमोदन एवं बजट आबंटन हेतु प्रेषित किया गया है। बजट उपलब्ध होने के उपरान्त कोष के गठन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

पुलिस कांस्टेबल के स्थानान्तरण

74. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कांस्टेबल के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण के परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीना)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2021 में पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब कितनों के किस-किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में पुलिस विभाग में जीरो टोलरेन्स नीति अपनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे व बैनर प्रदर्शन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी नहीं। पुलिस कांस्टेबल के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण के परिपत्र जारी नहीं किये हैं, अपितु दिनांक 28-01-2015 को पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु नीति का अनुमोदन किया गया है, जो परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2021 में पुलिस मुख्यालय द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस कांस्टेबल के स्थानान्तरण किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेन्स नीति के तहत टोल फ्री नम्बर 1064, व्हाट्सएप नम्बर 9413502834 पर अथवा अन्यथा प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है। कमजोर आर्थिक स्थिति के परिवादियों द्वारा करवाये गये ट्रेप की कार्यवाही उपरान्त रिश्वत की राशि के पुनर्भरण हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 1.00 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की गई है। वर्ष 2019 में 114, वर्ष 2020 में 72 एवं वर्ष 2021 में 149, इस प्रकार कुल 335 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध 272 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय मंत्री जी, पुलिस की जो नीति का अनुमोदन है, उसमें करप्ट कर्मचारियों का कहीं भी यह नहीं है कि उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। आपने जो 235 के करीब कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया है दिनांक 05 अगस्त, 2021 को क्रम संख्या 5 वजह से, वह बिना कारण के 600-600 किलोमीटर दूर इसलिए कि वह करप्ट आफिसर्स के खिलाफ बोलते थे, खातोली के एक कर्मचारी का इसलिए ट्रांसफर किया गया कि

(श्री रामनारायण मीना)

वह रेत माफियाओं, भू-माफियाओं के खिलाफ था। क्या ऐसे स्थानान्तरण को बिना शिकायत के जो आपने दूर-दूर कर दिया, उनको वापस बुलायेंगे?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे व बैनर प्रदर्शन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि बगैर शिकायत के आदमी को ट्रांसफर कर दिया गया, ये बिलकुल असत्य है। गृह जिले में 15 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर ही ट्रांसफर किया जाता है। नंबर दो, एक जिले से दूसरे जिले में पुरुष द्वारा सात वर्ष और महिला द्वारा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थानान्तरण किया जाता है। इसी दौरान ए. सी. आर. अच्छी होनी चाहिए और विभागीय जांच लम्बित न हो। गृह सर्किल में स्थानान्तरण नहीं होता। एक थाने में 5 वर्ष से ज्यादा की पोस्टिंग नहीं रहती। इस वजह से ट्रांसफर किये जाते हैं। पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर यातायात शाखा में पदस्थापित किया जाता है। यातायात शाखा में पांच साल से अधिक समय पर पोस्टिंग की जाती है, वापस उसी पुलिस फोर्स में रखा जाता है।

(समय: 12.00 बजे)

जहां तक सवाल इस बात का है, आपने कहा कि शिकायत पर ट्रांसफर किया। शिकायत पर ट्रांसफर 191 किये गये हैं। पदोन्नति के आधार पर 66 किये गये हैं। प्रशासनिक आधार पर 226 किये गये हैं। स्वयं की प्रार्थना पर 851 किये गये हैं। इस प्रकार कुल 1336 कांस्टेबल्स का स्थानान्तरण किया गया है। हैड कांस्टेबल 8, कांस्टेबल 15, कुल योग, जो कि दूसरे ज़िले से स्थानान्तरित करके, पुलिसकर्मियों के करवाये गये हैं। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है उन लोगों के खिलाफ बाकायदा जांच करने के बाद ही उनका ट्रांसफर दूसरे ज़िले में किया जाता है।

जहां तक आपका कहना है कि खातोली के आदमी के साथ, जो शिकायतें होती हैं, शिकायतों की जांच होती है, जांच होने के बाद में ही उसका ट्रांसफर किया जाता है। बगैर उसके ट्रांसफर नहीं किया जाता है, यह नीति बोलती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भगराज चौधरी, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भगराज चौधरी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री भगराज चौधरी का जन्म 16 अप्रैल,1938 को बाड़मेर के राखी ग्राम में हुआ। आपने जसवंत कालेज, जोधपुर से एम.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री भगराज चौधरी तीसरी, पांचवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी एवं पांचवीं विधान सभा में रानीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से तथा आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा में आहोर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप तीसरी एवं पाँचवीं विधान सभा में कांग्रेस, आठवीं विधान सभा में लोकदल तथा दसवीं, ग्यारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री चौधरी दिसम्बर, 1998 से मई 2002 तक निर्वाचन, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास वन एवं पर्यावरण विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, जन लेखा समिति एवं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे!

शोषित वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री चौधरी शिक्षा प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु दृढ़ संकल्पित थे।

श्री भगराज चौधरी का दिनांक 10 फरवरी, 2022 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट। अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

जौहरीलाल मीना, श्री, सदस्य को 09.02.2022 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जौहरीलाल मीना, सदस्य, विधान सभा ने हृदय का आपरेशन होने के कारण दिनांक 09 फरवरी, 2022 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

अनुरोध एवं मांग

रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई द्वारा जांच

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के बाहर राजस्थान के हज़ारों नौजवान इस बात की मांग को लेकर खड़े हैं कि रीट की परीक्षा में जो चीट हुई है, उसकी सरकार सीबीआई से जांच करवाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने कल बड़ी कृपा की थी, डिबेट करवाई। पर यह हठधर्मी सरकार, सरकार में बैठे लोगों की तरफ जब जांच के बाद सुई जा रही है तो उस जांच से बचना चाहती है। हमारा इसलिए निवेदन है कि आप इस सरकार को मजबूर करें कि यह सीबीआई की जांच के लिए अपना मन्तव्य प्रकट करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने कोशिश की थी चर्चा के द्वारा बात का निर्णय होकर सदन चले। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं, अगर बोर्ड के सेक्रेटरी के आदेश की 32 ज़िलों में पालना की गई, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गयी, यहां तक कि नीचे के स्तर पर भी, या तो थाने में या ट्रेजरी में जाकर उन पेपर्स को रखा, उनकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सुरक्षा हुई। हमारा यह आग्रह है जिस विषय में सरकार अब भी मौन है, क्या विशेषता थी, जयपुर जिला ही, जहां यह व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, मुझे माफ करें, एक मिनट। आप खुद इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जिस विषय पर सदन में चर्चा हुई, आज मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई है। आपका जो प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी की रिप्लाई तक आशा करें, फिर आपको लगता है तो अपनी बात कह पायेंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही हैं उन बातों के सम्बन्ध में हम मुख्य मंत्री जी की रिप्लाई की आशा करें। फिर भी आप कुछ बोलना चाहें तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है।

हम जिस विषय को लेकर, पिछले चार-पांच दिन से, इस सदन की कई गरिमा टूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। इतने लाखों बच्चों ने परीक्षा दी है, आप अगर शीट मंगाकर देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। यह परीक्षा देने वाले एक लाख बच्चे ऐसे हैं, जिनके 150 में से 135 अंक से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वह ही बच्चे सलेक्ट होंगे इसमें। गरीब का बच्चा, जो किसी कारण से ट्यूशन पर नहीं जा पाता, उसके जीवन में तो एक अंधेरा छा गया न।

मैं सोचता हूं इतना महत्वपूर्ण। मैंने तो यह भी कहा कि मेरे टाइम पर भी अगर कोई कमी रही है, कोई गलती रही है तो जांच करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस जांच का कहीं अंत तो जाना चाहिये ताकि भविष्य में कई बार, लगातार जो रिपीटेशन होता है, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष यह कह देता है कि यह जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई, यहां राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण यह पेपर स्ट्रांग रूम से... अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है। हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। ईमानदारी से आपको यह कह रहे हैं, आज भी उन बच्चों का जो दर्द है, मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते, बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूं कि इन चोरों के गिरोह का सरताज पकड़ में आना चाहिए, तब जाकर उन बच्चों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को संतोष होगा कि इस जांच में वह व्यक्ति भी पकड़ में आया, जो इस सारे काण्ड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल इसको लेकर वाकआउट करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक दौर पर जाकर बातचीत नहीं होती है। भले ही यह लड़ाई लम्बी चले तो चलेगी। (व्यवधान) लेकिन मैं इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा जवाब भी सुन लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वॉकआउट।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा जवाब भी सुन लो। भागो मत। भाग रहे हो, भाग रहे हो। भाग गये, भाग गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने बहुत लम्बी डिबेट करवायी थी और माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ को और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया को भी पूरा मौका दिया था। कभी कोई इंटरप्शन बीच में नहीं था। यह जो बातें आज इन्होंने कही हैं, यह सभी विस्तार से इन्हीं बातों को कल भी उन्होंने उठाया था, कोई नयी बात नहीं उठायी है।

इनको अच्छी तरह से मालूम है इस बात का कि राजस्थान में पांच स्थान ऐसे थे, पांच थे। अकेला जयपुर नहीं, पांच स्थान ऐसे थे जहां पर कोषागार या उप-कोषागार में यह प्रश्न पत्र नहीं रखे गये। वह प्रश्न पत्र रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वह जिला परीक्षा समिति की थी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। वह यह देखता है कि कोषागार में जगह है या नहीं है, उप-कोषागार में जगह है या नहीं है। अगर जगह नहीं है तो वह यह तय करता है।

हमने तो फिर भी, यहां के कलेक्टर ने तो उस शिक्षा समिति में प्रस्ताव पास करवाकर, फिर भी शिक्षा संकुल में रखा जो कि सरकारी भवन है। वह सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी भवन है। इनके वक्त में तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में रख दिये थे। प्राइवेट स्कूल में रख दिये थे और इसके अलावा भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हमने तो 38 आदमियों को, 39 आदमियों को तो गिरफ्तार कर चुके, इतनी तेजी से एस.ओ.जी. जांच कर रही है। इनके टाइम पर तो इन्होंने जांच ही नहीं दी। 2016 में इनका रीट का पेपर आउट हुआ, 2018 में रीट का पेपर आउट हुआ, उसकी जांच तक इनसे नहीं करवायी गयी।

आज यह अच्छे बनकर, यह सब निम्बाराम के चेले हैं। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए दुनिया जानती है कि यह ठगेतों का संघ है और उसी के सब यह सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यह उससे सम्बन्धित लोग हैं। जिस बदनाम संस्था के ये सदस्य हैं इसलिए ये दूसरे को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर इनका मकसद यह है कि किसी प्रकार से यह सी.बी.आई. में चले जायें ताकि सी.बी.आई. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, केन्द्र सरकार के हाथ में है। यहां के दफ्तर सील कर देंगे, यहां की ट्रेजरी सीज कर देंगे, यहां के बोर्ड का कार्यालय सील कर देंगे ताकि सरकार जो 62 हजार आदमियों की भर्ती करना चाहती है, वह भर्ती रुक जाये। इनका मुख्य मकसद ही यह है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार भर्ती न करे, मुख्य मकसद यह है वरना यह एस.ओ.जी. के खिलाफ एक शब्द तो बोल लें। यह बता दें कि एस.ओ.जी. जिस लाइन से इन्वेस्टीगेशन कर रही है, क्या वह गलत है? इनके क्या सुझाव हैं? अगर उन सुझावों को एस.ओ.जी. नहीं मानती है, इनके द्वारा दिये गये तर्क या सबूत अगर एस.ओ.जी. नहीं मानती है, तब तो फिर भी सवाल उठता है लेकिन एस.ओ.जी. की जांच की यह बाकायदा तारीफ कर चुके हैं और आज कहते हैं कि एस.ओ.जी. से नहीं।

यह सब दिल्ली के इशारों पर करने वाले लोग हैं। इनके खुद का दिमाग नहीं है कुछ भी। यह बिलकुल ऊपर से खाली हैं लेकिन इस प्रकार के डाइरेक्शंस इनको मिले हुए हैं, जिस प्रकार से यह इंटरवीन सारा का सारा कर रहे हैं। इनका मुख्य मकसद यही है कि यह कांग्रेस की सरकार, यह अशोक गहलोत जो 62 हजार आदमियों की भर्ती करना चाहता है, वह किसी प्रकार से रुक जाये। मुख्य मकसद यह है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में असंगठित कामगारों को

(श्री अध्यक्ष)

ई-श्रम कार्ड पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ढिलाई बरते जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मंडार के किसानों को 'किसान कल्याण योजना में ऋण माफी' ऑनलाइन पोर्टल पर ऋण माफी दर्शाने के बावजूद भौतिक रूप से एल.टी.एम.टी. ऋण खातों में नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर पुराने सिलेबस के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से राजस्थान पुलिस की एस.आई. सीधी भर्ती में खेल कोटे से राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन के गहलऊ में रीको स्टोन इण्डस्ट्री खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में स्थित बड़ी चौपड़ पर बाईजी खंदे में अति प्राचीन शिव मंदिर को खुलवाने तथा श्री लक्ष्मी नारायणजी के मंदिर की गुमटी पर अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किसानों को अकाल राहत के तहत मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से कलानगरी किशनगढ़ में नागरीदास कला दीर्घा की स्वीकृति प्रदान कर चित्रकारों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के नगर परिषद्, डूंगरपुर पेरीफेरी क्षेत्र में निवासरत लोगों को भूमि आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में सरकारी भूमि एवं भवन पर निजी कम्पनी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक का स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से वन क्षेत्र सोरसन (बारां) में दुर्लभ पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर की सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के कम्पनी बाग़ (पार्क) में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से पंचायत समिति पिलानी तथा पंचायत चिड़ावा के राजकीय कार्य उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ व तहसीलदार, सूरजगढ़ के द्वारा सम्पादित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय को आबंटित किये गये भूखण्ड से अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गिरधारीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान पुलिस की उप निरीक्षक सीधी भर्ती में खेल कोटे से राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50, स्थगन प्रस्ताव के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस की खेल कोटे से एस.आई. सीधी भर्ती में 70 पदों में से 28 खिलाड़ी अन्य राज्यों से भर्ती हुए, जबकि कई स्टेट्स में जो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीतकर आये हैं, इसमें कई स्टेट्स में वहां पर रोक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में खेल कोटे से निकाली गई उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का चयन किया गया जबकि राजस्थान के अलावा बाकी राज्य खेल कोटे में अपने ही राज्य के खिलाड़ियों को भर्ती कर रहे हैं।

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर की ओर से जारी इस भर्ती में विभिन्न-विभिन्न खेलों के 81 अभ्यर्थियों की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गयी। विभाग द्वारा विभिन्न खेलों के जनवरी, 2022 में ट्रायल पूरा करके चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची 25 जनवरी, 2022 को जारी की गयी। इन छात्र, अभ्यर्थियों में से 28 पदों पर बाहरी राज्यों के खिलाड़ी चयनित हुए हैं। भर्ती की अन्तिम चयन सूची में अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व दिया गया और अकेले कबड्डी में कुल 14 में से 12 पदों पर हरियाणा और हिमाचल के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्य दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को खेल कोटे की सीधी भर्ती में भर्ती नहीं करते हैं। यह मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा करवायी जाये एवं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों की तरह राजस्थान सरकार भी खेलों के कोटे में विभिन्न पदों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लगाये ताकि राज्य के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मौका मिल सके। इसके लिए नीति बनायी जाये और इस पर चर्चा भी करवायी जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव पर मैं सरकार से यह

(श्री अध्यक्ष)

निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोटा राजस्थान के लिए है। इसमें जो एन्टाइटलमेंट है, वह राजस्थान के लिए होना चाहिए। यदि नियम में इस तरह का, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि बाहर के स्टेट के लोग आ रहे हैं, तो सरकार को इस बारे में बैठकर रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये सारे राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट योजना बनाती है। स्टेट स्पेसिफिक है। स्टेट स्पेसिफिक योजना का लाभ स्टेट के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना है तो सरकार बैठकर इसको रिव्यू करे जिससे राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें प्रोत्साहन मिल सके।

295, श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गहलऊ (उच्चैन) में रीको स्टोन इण्डस्ट्री की स्थापना

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन के गहलऊ में रीको स्टोन इण्डस्ट्री खोलने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में नगरपालिका उच्चैन से सटे बंशी पहाड़पुर इलाके में फोरेस्ट भूमि को डी-फोरेस्ट कर वैध खनन को मान्यता प्रदान करते हुए लीजों का आबंटन किया है, जिसको देखते हुए यहां पर पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए नये रीको औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता है, जहां पर इन लीज से निकलने वाले इमारती पत्थर की कटाई-छंटाई सहित स्टाक यार्ड की आवश्यकता होगी, क्योंकि बंशी पहाड़पुर इलाके से उच्चैन नगरपालिका की दूरी बहुत कम है तथा दोनों के सीमा क्षेत्र आपस में सटे हुए हैं इसलिए इन सभी संभवनाओं को देखते हुए नये रीको औद्योगिक क्षेत्र की महती आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि आपने विधान सभा क्षेत्र नदबई के विकास को गत तीन वर्षों में विकास के पंख लगाये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि नदबई विधान सभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए रीको की महती आवश्यकता है। नगरपालिका उच्चैन के गहलऊ क्षेत्र में 150 बीघा से अधिक

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

सरकारी भूमि उपलब्ध है, इस भूमि पर रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना आसानी से हो सकती है।

अत: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त जनहित के मुद्दे को मध्यनजर रखते हुए नगरपालिका उच्चैन के गहलऊ में रीको स्टोन इण्डस्ट्री खोले जाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री हीरारामजी।

बिलाड़ा में किसानों को अकाल राहत पैकेज का मुआवजा

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किसानों को अकाल राहत पैकेज का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(समय: 12.23 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सादर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्ष 2021 में कई क्षेत्रों में समय पूर्व वर्षा हो जाने से किसानों द्वारा उसके अनुरूप बुवाई की गई, परन्तु 15 दिन बाद प्रथम बारिश की आवश्यकता होती है लेकिन बारिश एक माह बाद हुई, जिसके कारण विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में फसलें जल गईं एवं विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में पहली बारिश के समय अच्छी फसलें थीं परन्तु फसल कटाने के समय अतिवृष्टि होने के कारण फसलें गल गई। इसी कड़ी में उसके बाद 2 माह तक लगातार औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा, जिससे फसलों का शत-प्रतिशत नष्ट हो जाने से किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ, परन्तु पटवारियों द्वारा घर बैठे गिरदावरी कर दी गई और रिकार्ड में फसलों को नष्ट होना नहीं दर्शाया गया, जिससे समय पर अकाल घोषित नहीं हो सका, जिसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किसानों को जो अकाल राहत मुआवजा मिलना था, वह मुआवजा मंजूर नहीं हुआ, जबकि दरअसल में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ।

अत: माननीय सभापति महोदय, इस कारण से मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के किसानों को अकाल राहत का मुआवजा दिलवाने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में नागरीदास कला दीर्घा की स्वीकृति

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, सुप्रसिद्ध विश्व विख्यात बणी-ठणी की कलानगरी किशनगढ़ में कला दीर्घा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, किशनगढ़ एक कला की नगरी है और यहां की सुप्रसिद्ध कृति 'बणी-ठणी' शैली विश्व प्रसिद्ध है। किशनगढ़ साम्प्रदायिक सद्भाव व बन्धुता का भाव लिये अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित अब मार्बल नगरी के नाम से भी सम्पूर्ण विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, जहां सम्पूर्ण विश्व के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। यहां पर प्राचीन रियासतकालीन कई धरोहरें पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती हैं जैसे पीताम्बर की गाल जहां भगवान श्रीनाथ जी नाथद्वारा पदार्पण करते समय 14 दिन विराजित रहे एवं खोड़ा गणेशजी, निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद है जहां वर्षभर पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही किशनगढ़ के समीप लोकदेवता तेजाजी धाम सुरसुरा भी है। ऐतिहासिक झील गुन्दोलाव, मोखम विलास, ऐतिहासिक काली माता का मंदिर और पूरे भारतवर्ष का एकमात्र नवग्रह मंदिर भी किशनगढ़ में है व विश्व प्रसिद्ध मार्बल हैण्डीक्राफ्ट की विलक्षण कलाकृतियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साथ ही यहां मार्बल डम्पिंग यार्ड ने भी पूरे भारत में अपनी जगह बनाई है, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग व प्री-वेडिंग शूटिंग भी होती है और यह स्थान कश्मीर का प्रतिबिम्ब है तथा लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। यहां पर आवागमन के लिए नवीन रेलवे स्टेशन व आधुनिक हवाई अड्डा भी है।

सदियों से यहां के चित्रकार किशनगढ़ शैली व अन्य शैलियों में चित्रकारी कर देश-विदेश में अपनी अनूठी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध लेखक एरिक डिकिंसन, कार्ल खण्डेलवाला व एम.एस. रंधावा की लेखनी ने भी किशनगढ़ के चित्रकारों की प्रशंसा की है तथा कई विदेशी चित्रकारों ने किशनगढ़ को अपनी चित्रकला के लिए चुना है। यहां के नवयुवक, बुजुर्ग, महिला वर्ग पेंटिंग से जुड़े हुए हैं और यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवनयापन का दूसरा नाम पेंटिंग था पर धीरे-धीरे उचित संरक्षण, प्रोत्साहन न मिलने से उपेक्षित होकर चित्रकारों की कला, कलम, रंग दम तोड़ने लगे हैं, परन्तु आज भी किशनगढ़ के कई कलाकार

(श्री सुरेश टाक)

अपनी चित्रकारी के रंग देश-विदेश की प्रदर्शनियों में प्रदर्शित कर राजस्थान का नाम रोशन कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं और बाट जोह रहे हैं उचित संरक्षण, सहयोग एवं प्रोत्साहन की। कल्पना अपने दिलों में संजोये हुए हैं कि किशनगढ़ में एक कला दीर्घा का निर्माण हो, जिससे इस दम तोड़ती चित्रकारी की कला को एक पुनर्जीवन मिले और आने वाली पीढ़ी को इस कला से विमुख होने से बचाया जा सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने हेतु एक बार तो सभी चित्रकारों ने श्मशान घाट पर अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन किया, ताकि इनके भावों को सरकार समझ सके।

अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मै माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कला की नगरी किशनगढ़ में नागरीदास कला दीर्घा की स्वीकृति प्रदान करवाकर किशनगढ़ के चित्रकारों को लाभान्वित करें।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर नगर परिषद् क्षेत्र के पेरीफेरी क्षेत्र में लोगों को भूमि आबंटन

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के नगर परिषद् क्षेत्र के पेरीफेरी क्षेत्र में निवासरत लोगों को भूमि आबंटन हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के नगर परिषद् डूंगरपुर पेरीफेरी क्षेत्र में स्थित राजस्व गांव बिलड़ी, भाटपुर, गोकुलपुरा, नवाडेरा, ददोड़िया, मालपुर, राजपुर, पादरड़ी, फतेहपुरा, कुशालनगरी, सियालदरी आदि गांवों में जनजाति वर्ग के लोग पिछले 80-90 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्तकारी के साथ-साथ आवास बनाकर निवासरत हैं। उक्त गांवों के लोगों द्वारा इस भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इनके आय का स्थायी साधन नहीं है तथा उक्त गांवों के लोग काश्त एवं मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) होकर जनजाति बहुल क्षेत्र है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत यहां विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर सर्वप्रथम बिलानाम भूमि का आबंटन व निर्मित मकानों का पट्टा देने के बाद ही प्रस्तावित मास्टर प्लान अधिसूचित करने की कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें।

(श्री गणेश घोघरा)

अत: माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखकर सर्वे कराया जावे ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। इसके साथ गरीबों को उनका हक तथा अधिकार मिल सके।

श्री सभापति: श्री जगसी राम (अनुपस्थित), श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित), श्री रामनारायण मीना।

सोरसन (बारां) वन क्षेत्र में गोडावण के संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आदरणीय सभापतिजी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन क्षेत्र सोरसन (बारां) में 1990 के पूर्व राज्य पक्षी (वन्य जीव) गोडावण की संख्या 300 से अधिक थी, किन्तु उनकी बढ़ोतरी के प्रयास के अभाव तथा प्रभावी संरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण सोरसन (बारां) में वर्ष 1990 में मात्र 24 रह गयी, जबकि इसके पूर्व यहां पर गोडावण पक्षी खुलेआम विचरण एवं अठखेलियां करते हुए आमजन ने देखे हैं। संरक्षण तथा वन क्षेत्र के विकास एवं गोडावण के प्रति विभागीय उदासीनता के कारण यह राज्य पक्षी वहां से पलायन करने के पश्चात् पुन: इसे विकसित किया जाने के लिये 740 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की जाने के बावजूद भी वन विभाग की विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता से मात्र 676 हैक्टेयर भूमि को ही उपयुक्त मानकर ग्राउण्ड कार्य पूर्ण किया है। गोडावण के लिए कृत्रिम प्रजनन केन्द्र (captive breeding centre) भारतीय वन्य जीव संस्थान के प्रशासनिक, आवासीय भवन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3.43 हैक्टेयर अतिरिक्त राजस्व भूमि वन विभाग को दिनांक 21.06.2019 को ही आबंटित की जा चुकी है, फिर भी वन विभाग द्वारा स्वयं तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान से कार्य प्रारम्भ करने में जान-बूझकर देरी की जा रही है।

खेद है कि राज्य पक्षी गोडावण की संख्या में बढोतरी के लिए और उसका इस क्षेत्र के प्रति आकर्षण पैदा करने और वैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र को सही ढंग से विकसित करने में ढिलाई बरती जा रही है। इस क्षेत्र को इस दुर्लभ राज्य पक्षी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित करने की क्षेत्र की एक हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि अवाप्त की जाने अथवा उसे पक्षियों की गतिविधियों के लिए संरक्षित की जाने पर पक्षियों को स्वतंत्र वातावरण मिल सकेगा। यहां पर भारत सरकार द्वारा प्रजनन केन्द्र स्थापित किया जाना है, किन्तु सरकारी स्तर

(श्री रामनारायण मीना)

से इस बाबत प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण ही वन पक्षियों को पुनर्स्थापित नहीं किया जा रहा है, जबकि सोरसन क्षेत्र में 2050 हैक्टेयर अतिरिक्त उपलब्ध वन भूमि के प्रभावी संरक्षण एवं देखभाल के पश्चात् स्वत: ही भौगोलिक स्थिति के अनुरूप राज्य पक्षी स्वत: ही पुन: वहां पर आकर विचरण करने लग जाएंगे। इस क्षेत्र की कम से कम दस किलोमीटर परिधि में खनन कार्य प्रतिबंधित किया जाना तथा यदि पूर्व से खनन लीजें एवं अन्य अवांछित प्रतिकूल गतिविधियां चल रही हों तो उनको निरस्त किया जाना भी इस हेतु आवश्यक है।

अत: अनुरोध है कि अति संवेदनशील एवं दुर्लभ पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ की जाने पर इन पक्षियों का यहां पर दुबारा प्रवास सर्वाधिक सम्भावित है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)। श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित)। श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी पंचायत समिति तथा पंचायत चिड़ावा के राजकीय कार्य के सुगम सम्पादन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद, सभापति महोदय। नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र की पिलानी शहर तथा नगरपालिका पिलानी व नगरपालिका विद्या विहार तथा पंचायत समिति पिलानी की पंचायतों का राजकीय कार्य सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अधिकारियों तथा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ व तहसीलदार सूरजगढ़ के नियंत्रण में है और उन्हीं के द्वारा सम्पादित किया जाता है, जबकि सूरजगढ़ अलग विधान सभा क्षेत्र है तथा पिलानी विधान सभा क्षेत्र में ही उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व तहसीलदार चिड़ावा कार्यरत है और उनके द्वारा पिलानी विधान सभा क्षेत्र के उक्त क्षेत्रों के कार्य नहीं कराकर सूरजगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों से करवाये जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विसंगति है, जिसे तुरन्त जनहित में दूर करने की आवश्यकता है तथा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित पंचायतों का कार्य पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ही अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सम्पादित होना चाहिए:-

1. पंचायत समिति पिलानी का कार्य दूसरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार सूरजगढ़ के बजाय पिलानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

तहसीलदार चिड़ावा के प्रशासनिक नियंत्रण में कराने के आदेश जनहित में तुरन्त प्रसारित करने की आवश्यकता है। कृपया इस आशय का आदेश शीघ्रातिशीघ्र करवाकर अनुगृहीत करें।

2. पंचायत समिति सूरजगढ़ में भी पिलानी विधान सभा क्षेत्र की सात पंचायतें आती हैं, अत: उन सात पंचायतों का भी प्रशासनिक नियंत्रण उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व तहसीलदार चिड़ावा का किये जाने का आदेश जारी कर अनुगृहीत करें।

उपरोक्त अभिशंसाओं के साथ निवेदन है कि दोनों पंचायत समितियों, क्रमश: पंचायत समिति पिलानी व पंचायत समिति चिड़ावा और आंशिक रूप से पंचायत समिति सूरजगढ़ के कार्य उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व तहसीलदार चिड़ावा मुख्यालय स्तर पर जो तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी बैठते हैं, उनके द्वारा सम्पादित होने चाहिए ताकि पिलानी विधान सभा क्षेत्र की इन दोनों पंचायत समितियों के नागरिकों को अपने कार्यों के लिये सूरजगढ़ नहीं जाना पड़े। ऐसा करने से कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ता है और बिना किसी वित्तीय भार के मात्र एक नोटिफिकेशन निकालने की आवश्यकता है, जिससे पिलानी विधान सभा क्षेत्र की समस्त पंचायतें निम्न प्रकार प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाएंगी:-

1. पंचायत समिति पिलानी की स्वीकृति अलग से हो चुकी है और वहां चुनाव हो चुके हैं तथा प्रधान एवं अन्य सभी कर्मचारी कार्यरत हैं। यह पंचायत समिति पिलानी विधान सभा क्षेत्र की है, परन्तु यहां का राजकीय कार्य अभी भी दूसरी विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, जो कि बिलकुल अनुचित है। अत: पंचायत समिति पिलानी के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक नियंत्रण आदि भी पिलानी विधान सभा क्षेत्र के अधिकारियों का होना चाहिए, अत: राजकीय आदेश जारी कर पंचायत समिति पिलानी के अन्तर्गत जो पंचायतें आती हैं, उस समस्त क्षेत्र का पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ही अन्तर्गत कार्यरत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा और तहसीलदार चिड़ावा का प्रशासकीय नियंत्रण होने से यह विसंगति स्वत: ही दूर हो जाएगी और पिलानी विधान सभा क्षेत्र के कार्य तथा अन्य विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में होने वाले कार्य स्वत: ही बन्द हो जाएंगे। कृपया इस आशय का एक आदेश राज्य स्तर से प्रसारित करवाकर अनुगृहीत करें।

2. पिलानी में पंचायत समिति बन चुकी है और कार्यशील है, परन्तु वहां

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

कोई उप-तहसील नहीं होने के कारण राजस्व व वित्त सम्बन्धी कार्यों के लिए सारी फाइलें दूसरी विधान सभा क्षेत्र के तहसीलदार सूरजगढ़ को भेजी जाती हैं, जो कि गलत है। कृपया पिलानी में एक उप-तहसील स्वीकृत कराने का कष्ट करें तथा जब तक उप-तहसील स्वीकृत नहीं होती है, तब तक तहसीलदार चिड़ावा व उपकोष अधिकारी चिड़ावा के द्वारा पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों एवं पिलानी शहर के कार्य किये जाने का आदेश जारी करवाने का कष्ट कर अनुगृहीत करें।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि पचांयत समिति पिलानी का समस्त क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ही अधिकारीगण के अधीन होना चाहिए तथा पिलानी में तहसील जो बनेगी वह तथा वर्तमान में जो उप-तहसील मण्ड्रेला में है, उन दोनों तहसील/उप-तहसीलों का उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा व तहसीलदार चिड़ावा को नियंत्रण अधिकारी घोषित किये जाने का कष्ट कर अनुगृहीत करें।

उपरोक्त परिस्थिति एवं तथ्यों के साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त विषम स्थिति से निपटने के लिए व इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक प्रशासनिक आदेश/अधिसूचना जारी कराकर अनुगृहीत करें। ऐसा करने से पिलानी विधान सभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को इस विधान सभा क्षेत्र में अपने कार्य सम्पादित करवाने की सुविधा मिल जाएगी तथा विधान सभा क्षेत्र से बाहर किसी प्रशासनिक एवं राजस्व सम्बन्धी कार्यों के लिए अन्य विधान सभा क्षेत्र में जाने से मुक्ति मिलेगी। कृपया जनहित में उपरोक्त व्यवस्था कर आवश्यक आदेश/अधिसूचना जारी कर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित)।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री शान्ती कुमार जी धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

नगरीय विकास विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 32 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

1. अधिसूचना संख्याः प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 09.09.2021 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व एवं इसके पश्चात् तक विकसित हुई आवासीय कालोनियों के नियमन के संबंध में सहकारी समितियों बाबत प्रावधान किये गये हैं;
2. अधिसूचना संख्याः प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 10.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्याः प.11(7)नविवि/2021 दिनांक 14.09.2021 जिसके द्वारा सहायक नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को खाटूश्यामजी मास्टर प्लान-2035 बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;
4. अधिसूचना संख्याः प.17(22)यूडीएच/नियम/2020 दिनांक 17.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्याः प.17(22)यूडीएच/नियम/2020 दिनांक 17.09.2021 जिसके द्वारा नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्याः प.1(1)नविवि/3/1976-पार्ट दिनांक 06.10.2021 जिसके द्वारा श्रीगंगानगर मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्याः प.11(1)नविवि/डूंगरपुर/2016 दिनांक 29.10.2021 जिसके द्वारा डूंगरपुर मास्टर प्लान-2036 के नगरीय क्षेत्र में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्याः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 29.10.2021 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में अभियान अवधि के दौरान प्रीमियम दरों का निर्धारण किया गया है;
9. अधिसूचना संख्याः प.10(13)नविवि/3/81 दिनांक 08.11.2021 जिसके द्वारा चित्तौड़गढ़ मास्टर प्लान-2025 (द्वितीय संशोधन) का अनुमोदन किया गया है;
10. अधिसूचना संख्याः प.10(23)नविवि/3/2011 दिनांक 09.11.2021 जिसके द्वारा अलवर मास्टर प्लान-2051 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

11. अधिसूचना संख्या: प.10(32)यूडीएच/3/2009/पार्ट दिनांक 11.11.2021 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: प.1(2)नविवि/3/66पार्ट दिनांक 18.11.2021 जिसके द्वारा भरतपुर मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/सुजानगढ़/2016 दिनांक 24.11.2021 जिसके द्वारा सुजानगढ़ मास्टर प्लान-2036 का अनुमोदन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/81 दिनांक 24.11.2021 जिसके द्वारा सीकर मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: प.11(5)नविवि/गंगापुरसिटी/2016 दिनांक 25.11.2021 जिसके द्वारा गंगापुरसिटी मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को किया गया है;
17. अधिसूचना संख्या: प.10(32)यूडीएच/3/2009/पार्ट दिनांक 29.11.2021 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 07.12.2021 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लाटरी से निर्धारित दर पर आबंटित भूखण्डों के दस वर्ष पूर्व हस्तान्तरण के लिए देय लेवी को घटाया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015 दिनांक 09.12.2021 जिसके द्वारा सवाईमाधोपुर मास्टर प्लान-2035 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;
20. अधिसूचना संख्या: प.11(1)नविवि/डूंगरपुर/2016 दिनांक 09.12.2021 जिसके द्वारा डूंगरपुर मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

21. अधिसूचना संख्या: प.17(18)नविवि/नियम/2021 दिनांक 09.12.2021 जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के तहत कार्य करने वाली पात्र अलाभकारी संस्थाओं को पूर्व में प्रदत्त छूटों के साथ विकास शुल्क एवं बीएसयूपी शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखे जाने की छूट प्रदान की गई है;
22. अधिसूचना संख्या: प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 10.12.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29.10.2021 में संशोधन कर प्रीमियम दरों को संशोधित किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: प.2(46)नविवि/कोटा/2021 दिनांक 10.12.2021 जिसके द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर कोटा को प्राधिकारी अधिकृत किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: प.7(12)नविवि/3/2011 दिनांक 15.12.2021 जिसके द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.03.2011 को प्रत्याहरित किया गया है;
25. अधिसूचना संख्या: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 16.12.2021 जिसके द्वारा लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने के संबंध में नियमों में छूट प्रदान की गई है;
26. अधिसूचना संख्या: प.2(15)नविवि/नियम/2016 दिनांक 04.01.2022 जिसके द्वारा नगर सुधार न्यास, जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण या नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र से लगती हुई भूमियों को, उसी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को आबादी प्रयोजनों के लिए आबंटित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है;
27. अधिसूचना संख्या: प.10(43)नविवि/3/2000 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा बाड़ी मास्टर प्लान-2023 (संशोधित) का अनुमोदन किया गया है;
28. अधिसूचना संख्या: प.10(179)नविवि/3/2009 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा लालसोट के नगरीय क्षेत्र हेतु अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची के अन्त में राजस्व ग्राम सलेमाबाद को सम्मिलित किया गया है;
29. अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/कोटा/80 पार्ट-II दिनांक 11.01.2022 जिसके द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

30. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/पाली/2015 दिनांक 13.01.2022 जिसके द्वारा पाली मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: प.10(8)नविवि/3/97 दिनांक 13.01.2022 जिसके द्वारा नाथद्वारा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है; एवं

32. अधिसूचना संख्या: प.3(77)यूडीएच/3/2010 पार्ट दिनांक 25.01.2022 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 एवं निजी क्षेत्र में आवासीय, समूह आवास और अन्य योजनाओं के लिए नीति, 2010 में संशोधन एवं नवीन प्रावधान किये गये हैं।

श्री सभापति: डा. सुभाष गर्ग।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021)

1. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा-44 के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021; एवं

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

2. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22.

श्री सभापति: माननीय उदयलाल जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित चार अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री अंजना उदयलाल)

दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. दी राजस्थान अरबन को-आपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20 व 2020-21)

2. राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21;

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20 व 2020-21)

3. राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

4. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21.

श्री सभापति: समिति का प्रतिवेदन। श्री जितेन्द्र सिंह।

समिति प्रतिवेदन

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2021-22 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डा. जितेन्द्र सिंह।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में गत 3 वर्षों में राजस्थान ने कोरोना महामारी के बावजूद विकास के नये आयाम प्रस्तुत किये हैं। एक शायर ने कहा है,

'हजारों साल नरगिस अपनी बे-नूरी पर रोती है,

बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा'।

माननीय सभापति महोदय, फ्रांस के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे नास्त्रेदमस, उन्होंने कहा था कि there will be third world war. बहुत साल पहले उन्होंने प्रीडिक्ट कर दिया था। मैं नहीं जानता कि किसी वीपंस से होगा या इसमें कोई बैक्टिरियल वार होगा। जिस तरह से कोरोना पूरे विश्व में फैला, उसने कोहराम मचा दिया। नास्त्रेदमस ने कहा था कि जब दुनिया में बिलकुल अव्यवस्था हो जायेगी, अशान्ति फैल जायेगी तो a man with blue turban, he will take birth in the central Asia and he will settle down the problems. सेन्ट्रल एशिया में नीली पगड़ी के साथ एक व्यक्ति आयेगा और वह पूरे विश्व को विश्व युद्ध से बचायेगा। मैं नहीं जानता कि नास्त्रेदमस का क्या वक्तव्य था, but a man with white Kurta and white trouser with a black jacket, he has saved Rajasthan from this disaster and he is none other than Ashok Gehlot माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये मैं कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान में कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। पूरे भारत में कोरोना फैला, उसने 1947 की हिन्दुस्तान विभाजन की याद ताजा कर दी। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। ट्रेनें लदी हुई थीं, बसें लदी हुई थीं, प्राइवेट व्हीकल्स लदे हुए थे। पूरे देश में कोहराम था। लोग यह नहीं समझ रहे थे कि क्या होगा। पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस था, पूरी दुकानें बंद थीं, इण्डस्ट्रीज बंद थीं। पूरा भारत आज महंगाई की मार से जूझ रहा है। नोटबन्दी से आलरेडी बिजनस खतम हो चुके हैं। कोरोना ने दूसरी मार के अन्दर सब कुछ हलाक करके रख दिया।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, कोरोना के डेटाज हैं, पूरे विश्व में 50 से 80 लाख के बीच लोग हलाक हुए। पूरे भारत में 5 लाख के करीब लोग कोरोना से हलाक हुए, लेकिन जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में मैनेजमेंट किया उससे राजस्थान में यह आंकड़ा 7 हजार से ऊपर नहीं गया। उसका बहुत बड़ा योगदान मुख्य मंत्री जी को है। उन्होंने लोगों को आइसोलेशन किया, उनकी पूरी व्यवस्था की।

माननीय सभापति महोदय, वैक्सीनेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 करोड़ 80 लाख लोगों का राजस्थान में वैक्सीनेशन हो गया। करीबन 5 करोड़ 44 लाख को फर्स्ट डोज लगी है। 4 करोड़ 24 लाख को सैकण्ड डोज लगी है। बूस्टर डोज भी बहुत बड़ी संख्या में लगनी शुरू हुई है। जो हमारे नौजवान 15 से 18 के बीच के थे, उनमें से 30 लाख को वैक्सीनेशन हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, गरीबी एक अभिशाप है। मैं डाक्टर होने के नाते समझता हूं कि किस तरह से इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। पूरे भारत में से महज राजस्थान में चिरंजीवी योजना की एक ऐतिहासिक शुरुआत माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। हर व्यक्ति बीमा से जुड़ गया है। जो बचे हैं उनमें से जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी लोग हैं, वह 850 रुपये देकर 5 लाख तक का बीमा करा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी योजना है। हमारी आरजीएचएस स्कीम और है, इसके अन्दर करीब-करीब अर्द्ध सरकारी लोगों के इनवेस्टिगेशन, दवाओं की अलग से व्यवस्था है। उसके अन्दर को-आपरेटिव के स्टोर्स हैं, उसके लिए प्राइवेट मेडिकल शाप्स हैं। यह सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है।

माननीय सभापति महोदय, जब कोरोना फैला तो राजस्थान में त्राहि-त्राहि मच गयी। अलग से कोविड सेण्टर आरयूएचएस बनाया गया। पूरे राजस्थान में अलग-अलग मेडिकल कालेजेज में कोविड सेण्टर्स बने। मैं तो एग्जाम्पल मेरे झुन्झुनूं का दे रहा हूं। 400 बैडेड हास्पिटल था और वहां पर 600 पेशेण्ट थे, वह फर्श पर पड़े थे। मुझे कलेक्टर का फोन आया, डॉक्टर साहब, आक्सीजन प्लाण्ट खराब हो गया है, अगर यह 24 घण्टे में ठीक नहीं हुआ तो 100 बच्चे मर जायेंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी को फोन किया। हिसार से टीम आयी, 3 दिन तक बैठे रहे, 100 बच्चों की जान बच गयी।

मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम यह किया कि हमारे 463

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जो हास्पिटल्स हैं, जो हमारी सीएचसीज हैं, वहां उन्होंने आक्सीजन प्लाण्ट्स स्थापित कर दिये। कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लाण्ट्स हैं, डेढ़ करोड़ के। पिलानी के अभी हैं नहीं। मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई ऐसा सीएचसी नहीं बचा होगा जहां पर आक्सीजन प्लाण्ट नहीं हो। करीब 40 हजार ऑक्सीजन कंसण्ट्रेटर दिये। ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी और दिल्ली जैसी जगह में टैंकर्स को लूटने की स्थिति पैदा हो गयी थी। जिस तरह से यह सारी व्यवस्था हुई, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा योगदान था। अलग से 1200 बैड्स आक्सीजन के स्थापित किये। अलग से थियेटर एसएमएस मेडिकल कालेज में बने। यह तो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी 1200 अलग से बैड्स हैं, 10 आपरेशन थियेटर हैं।

सभापति महोदय, जो सबसे बड़ा पूरे भारत में, राजस्थान में उन्होंने जो अचीवमेण्ट किया है, हर जिले में मेडिकल कालेज खोलना। डॉक्टर और पेशेण्ट का, पेशेण्ट और नर्सेज का, बहुत बड़ा गैप है। डाक्टर्स की बड़ी भारी कमी है। विशेष तौर से स्पेशलिस्ट की, कॉर्डियोथोरासिक सर्जन हैं, बहुत सारे अन्य हैं। यह वायरल डिजीज ऐसी पैदा हो गयी कि इसका किसी को तजुर्बा नहीं है। इस कोरोना का क्या इलाज किया and nobody knows it. No authentic situation is there. इवन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज ने मना कर दिया कि वैक्सीनेशन नहीं करायें। जॉन एफ कैनेडी की पोती कोरोना से मर गयी। वह जो डवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका यह हाल है। मैं समझता हूं कि उनको देखते हुए राजस्थान में जिस तरह की क्रान्ति आयी, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू आज हैल्थ का है, हैल्थ के इश्यू में जिस तरह से मैनेजमेंट राजस्थान का हुआ, यह अकल्पनीय है।

सभापति महोदय, third wave of covid, यह थर्ड वेव आफ कोविड का बहुत बड़ा टेरर हो रहा था कि तीसरी लहर आयेगी, छोटे बच्चों को लील लेगी, लेकिन तीसरी वेव राजस्थान में चुपचाप आकर के कब चली गयी, इसका पता ही नहीं चला। इसका मुख्य कारण था कि बॉडी में वैक्सीनेशन से हमारे एंटी बॉडी डवलप हुई। तीसरी लहर वहीं टकराकर खतम हो गयी। कोविड पॉजिटिव केसेज आये, लेकिन वह महज खांसी, जुकाम से आगे नहीं बढ़ सके। ट्रेकिल ब्रोंकाइटिस एक-एक महीने होकर रह गयी लेकिन जान लेवा साबित नहीं हुई।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, इसने कितना बड़ा डिजास्टर किया, कितनी बड़ी जन हानि की, यह अकल्पनीय है। प्रोमीनेण्ट डाक्टर अशोक पनगढ़िया तथा हमारे 80-90 डाक्टर राजस्थान के, सैकड़ों नर्सें कोरोना से चले गये। उस समय वैक्सीनेशन नहीं था। अगर था तो it was too late.

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ, माननीय मुख्य मंत्री ने जो सबसे बड़ा काम किया, हम लोगों का, आप तो मौजूद रहे थे उस मीटिंग में, विधायक कोष 5-5 करोड़ रुपये का किया। 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए सेपरेट कर दिया कि यह तो देना ही देना है। यह मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी का बहुत बड़ा अचीवमेण्ट था। खाने की जहां भी समस्या थी, ड्राई फ्रूट्स पैकेट, मास्क और जगह-जगह रेल और बसों से मजदूरों का ट्रांसपोर्टेशन किया गया। कोटा में हमारे जो बच्चे कोचिंग करते थे उनको स्पेशल बसेज से भेजा गया। सड़कों पर नहीं छोड़ा था। आप जो देख रहे थे, सड़कों पर ट्रॉली ले लेकर, एक लड़की थी, अपनी साइकिल पर पिताजी को बैठाकर हजार किलोमीटर गयी थी, ये स्थिति राजस्थान में नहीं हुई थी। सारा किराया राज्य सरकार ने दिया, इसके लिए इनका सबका फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इश्यू जो धन्यवाद प्रस्ताव का है उसमें सबसे बड़ा 50 परसेंट हिस्सा हैल्थ का है जो कि बहुत सक्सेसफुली राजस्थान में किया गया। जिस तरह से आपने देखा है कि तीसरी लहर कोविड की आकर चली गयी क्योंकि बॉडी रेसिस्टेंस डवलप हो चुका था। मैं नहीं समझता कि आगे अभी जो लास्ट में जो छोटे बच्चे बचे हैं, 5 साल से 14-15 साल तक, उनके वैक्सीनेशन की भी बात चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में जो क्रान्ति हुई, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्रान्ति थी। आजादी के बाद से 2008 तक एनर्जी का जनरेशन था 6 हजार मेगावाट, 2008 से 2013 में आप तो स्वयं उद्योग मंत्री थे, मेरे पास ऊर्जा का महकमा था, उन 5 सालों के अन्दर 6 हजार मेगावाट से 12 हजार मेगावाट बिजली जनरेशन स्टार्ट हुआ और सोलर एनर्जी में पूरा जैसलमेर, बीकानेर, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को बिजली दे सकते हैं। जैसलमेर में कंसंट्रेशन आफ सन रेज है वह सर्वाधिक है, 6 डिजिट पर स्क्वायर मीटर, ये भी विश्व में सबसे ज्यादा है नवादा डेजर्ट के बाद में। माननीय सभापति महोदय, एक वक्त आयेगा जब कोयला खतम हो जायेगा,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जब गैस खतम हो जायेगी तब क्या करेंगे? तब एकमात्र यही सौर ऊर्जा बचाव है। मुख्य मन्त्रीजी ने जो योजना चालू की है सोलर एनर्जी की, 2040 तक कोयला नहीं रहेगा विश्व में, सिर्फ और सिर्फ बिजली बचेगी, गाड़ियां चलेंगी जो सोलर पर डिपेंड हो जायेंगी, कोयला खतम होने वाला है, गैस खतम होने वाली है। इसका प्री प्लान जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है, इस समय कंट्री में टोटल जनरेशन में राजस्थान का 23.5 मेगावाट है। सोलर में 8500 मेगावाट जनरेशन है, जो कंट्री में सबसे ज्यादा है, नम्बर वन चल रहा है। जिस तरह से इन्होंने रिलेक्सेशन चालू किये हैं, मकानों के ऊपर सोलर प्लांट लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज को अलग से दे रहे हैं, सरकार उसमें सारी व्यवस्था करा रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी फैक्ट्रियों से बिजली जनरेशन कोस्ट पड़ती है 3.45 रुपये पर यूनिट, हमारे सूरतगढ़, छबड़ा, कोटा से। बाकी सब काटकर नहीं खरीदा गया तो 6 रुपये एक यूनिट की एग्रीकल्चर यूनिट पड़ती है। सोनिया जी आयीं तो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसान की बिजली का रेट रखेंगे 90 पैसे। 90 पैसे में 1 यूनिट बिजली नहीं आती है, बिजली आती है 6 रुपये 1 यूनिट की। मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के हमारे 14 लाख किसानों के लिए 43 हजार करोड़ रुपये जो उनका बजट है उसमें से आवंटित किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है किसानों के लिए। जिस किसान का बिजली का बिल आ रहा है 3 हजार रुपये महीने का, यह नहीं हो तो वह आता है 12 हजार रुपये। माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा योगदान बिजली कम्पनियों को, और राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है देश में। एक तो होता है बिजली का जनरेशन, बिजली पैदा होती है, छबड़ा है, सूरतगढ़ है, काली सिन्ध है, कोटा, बाड़मेर, फिर होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन होती हैं बड़ी-बड़ी, जिनके अन्दर 400 केवी, 132 केवी, 220 केवी के जीएसएस बनते हैं। ये सारी फाइनली जाती है पंचायतों को 33 केवी के जीएसएस बने हैं उनके द्वारा। आज भारत में सर्वाधिक जीएसएस 4765 राजस्थान में हैं। 300 मुख्य मंत्रीजी के टाइम में बने थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान स्थिति के अन्दर करीबन 400 केवी का एक बना है, 220 केवी के चार बने हैं, 132 केवी के 22 बने हैं, 33 केवी के 496 बने हैं।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा जो नेटवर्क हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मुख्य मंत्रीजी ने काम किया वो है किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, किसानों को दो स्लॉट दिये जाते हैं और दस किलोवाट से कम और जिनका एक हजार रुपये तक का है, इस तरह के छह लाख किसानों को जो मुख्य मंत्रीजी सहायता दे रहे हैं, प्रति माह एक हजार रुपये किसान के खाते में जाते हैं छोटे किसान के, तो छह लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया। फ्री, चौदह लाख में से छह लाख किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा योगदान है मुख्य मंत्रीजी का।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, इसके अन्दर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, आता है जगह-जगह, पानी नहीं है हमारे पास, सरफेस वाटर, हमारे ग्राउंड वाटर जीरो हो गया बिलकुल, दस ट्यूबवैल मंजूर होकर आते हैं 50 प्रतिशत से ज्यादा ड्राई निकल रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने प्रोजेक्ट बनाया, सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, यानी कि जो पानी आयेगा वो नहरों से आयेगा, डैम से आयेगा जैसे बीसलपुर है, इन्दिरा गांधी नहर है, जैसे हमारे चम्बल है, पानी उनसे लिया जायेगा। आज की तारीख में मुख्य मंत्रीजी के इंटरफेरेंस से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान का 50 परसेंट से अधिक हिस्सा हमारे सरफेस वाटर यानी इन तीन से, चम्बल से, हमारे इन्दिरा गांधी नहर से, हमारे बीसलपुर से जुड़ गया और गुजरात से अलग से जालौर और वहां आ रहा है बाड़मेर में नर्मदा का, उससे बहुत बड़ा जुड़ गया, माननीय सभापति महोदय, और जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने प्रोजेक्ट चालू किये वो अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। ये हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय बैठे हैं, इनके जिले में, नागौर में जायका योजना में तीन हजार करोड़ रुपये मंजूर हुए थे, माननीय सभापति महोदय, तीन हजार करोड़ रुपये में करीब-करीब सारे नागौर के हमारे पूर्व में भी कुछ था, सारा नागौर कवर हो गया। माननीय सभापति महोदय, हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय का तो दो तरफ से नावां जुड़ा हुआ है इधर ये जाता है बीसलपुर आता है, उधर से इन्दिरा गांधी नहर का पानी आता है।

बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनीं, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभा क्षेत्र के लिए 955 करोड़ रुपये मंजूर हुए, उसका काम चल रहा है। झुन्झुनूं, सीकर, आपका खेतड़ी उसके अन्दर दुबारा से 221 करोड़ रुपये फिर पास किये और उन्होंने पैसा दिया है, जिसमें उदयपुरवाटी, पिलानी और सूरजगढ़ कवर होंगे। हमारे फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पास हुआ उस वक्त। हमारे बांसवाड़ा आठ सौ करोड़ रुपये, भरतपुर दो हजार करोड़ रुपये, भीलवाड़ा दो हजार करोड़ रुपये, अलवर के लिए इसी बजट में तीन हजार करोड़ रुपये किये हैं उन्होंने। इस सरफेस वाटर प्रोजेक्ट और ईसरदा डैम बन रहा है, जिसमें दौसा जिला कवर होगा और बाकी के इसमें जयपुर जिले के इससे कवर होंगे। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटली, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने प्रोजेक्ट भी बना लिया है कि बीसलपुर में अगर पानी खतम हो गया तो क्या होगा, बीसलपुर को चम्बल से जोड़ने का प्रोजेक्ट भी तैयार है कि यदि बीसलपुर में क्राइसिस आता है तो चम्बल से बीसलपुर जुड़ेगा।

(समय: 13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली पैसा नहीं दे रही है। पहले 90 परसेंट पैसा देती थी पीएचईडी के लिए, 10 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था, अब उलटा हो गया। आलमोस्ट 40 से 50 परसेंट दिल्ली पैसा देती है। 50 परसेंट कम कर दिया। बाकी राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है कंट्री का, जैसलमेर पूरा केरल के बराबर है, कहां ले जायेंगे पानी? कहां गांव-गांव, गली-गली तक पानी पहुंचेगा? मुख्य मंत्री जी ने जो सबसे बड़ी व्यवस्था की, उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करके 35 हजार से ज्यादा गांवों को, जिसमें करीब 22 लाख 50 हजार परिवार हैं, 86 लाख घर-घर कनेक्शन दिये हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। घर-घर जल जीवन मिशन का उनका प्रोग्राम है।

जिस तरह से पानी के मैनेजमेंट की बात हो रही है, पानी को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। पानी को बचाना ही पानी का रिस्टोरेशन है। हायर एजुकेशन में, मैं तो खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहा, उस समय कहीं प्राइवेट मेडिकल कालेज या यूनिवर्सिटीज नहीं थीं। माननीय मुख्य मंत्री जी के टाइम में शुरू हुआ। 6 नये मेडिकल कालेजेज बने, उत्तम श्रेणी की दो-तीन दर्जन यूनिवर्सिटीज बनीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और आज ईवन एसएमएस का यह हाल है कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो बड़ा अकल्पनीय था, डा. क्रिश्चियान बर्नार्ड ने

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हार्ट ट्रांसप्लांट किया था अफ्रीका में, सात दिन नहीं बचा और हमारे एसएमएस में किये हुए जो हार्ट ट्रांसप्लांट हैं, सालों हो गये, जिन्दा हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्यू में लग रहे हैं लोग। लाइन लगी हुई है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। करीब साढ़े तीन लाख से पांच लाख रुपये का खर्च होता है इसका। मुख्य मंत्री जी ने जो पांच लाख की योजना बनायी है, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट और नी ट्रांसप्लांट को भी जोड़ दिया। यह बहुत बड़ा योगदान है।

सभापति महोदय, मेरा जिला तो ऐसा था, 2008 तक झुंझुनूं जिला, जो आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में नम्बर 1 है, सारे आरएएस, आरपीएस, मेडिकल की लिस्ट उठाकर देखें, सब सीकर-झुंझुनूं के बच्चे होंगे। आप तो स्वयं जानते हैं, सीकर में कोचिंग सेंटर्स कोटा के समकक्ष खड़े हो गये हैं। बहुत बड़ी तादाद में शेखावाटी के बच्चे जाने लग गये वहां पर। सभापति महोदय, 123 नये गवर्नमेंट कालेजेज खुले हैं। मैं 2009 में उच्च शिक्षा मंत्री था, एक कालेज नहीं था झुंझुनूं जिले में, प्राइवेट सेठों के कॉलेज चलते थे, बिरला के, पोद्दार के, आज 123 कालेज अशोक गहलोत की कलम से खुले हैं। यह छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा काम है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे, वीमन एजुकेशन फ्री है, लड़कियों की एजुकेशन फ्री है। यह बहुत बड़ी बात है। लड़को पर तो पैसा खर्च कर देंगे, बच्चियों के लिए तैयार नहीं होते घर वाले। आपने उनकी इनीशियल एजुकेशन से लेकर एमए-एमएससी तक फ्री की। मुख्य मंत्री जी ने कहा, "जिस स्कूल में पांच सौ लड़कियां हैं, वहां मैं कालेज बना दूंगा"।

देवनारायण योजना में लड़कियों के लिए हास्टल बने। मैंने मुख्य मंत्री जी से स्वयं मांग की कि गर्ल्स हॉस्टल हैं, मैं तो विधान सभा की ओबीसी कमेटी का चेयरमैन भी हूं, वह जिला हैडक्वार्टर पर भी बनायें, लड़कियों के हास्टल नहीं हैं। जरूरी है कि लड़कियों के हॉस्टल जिला हैडक्वार्टर पर बनें। किसानों की लड़कियों के पास रहने को जगह नहीं है। राजीव गांधी स्कालरशिप अकैडमिक योजना भी शुरू हो गयी।

मैं बधाई दूंगा, गेम्स में मुख्य मंत्री जी ने पंजाब के बाद पहला ऐसा निर्णय लिया कि जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, मैं बधाई दूंगा हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को, उन्होंने कृष्णा पूनियाँ जी को भी स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। मैं समझता हूं, जो गेम्स के बारे में समझते हैं, उन्हें आगे लाने से हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं 1964 में एथलेटिक्स में 400 मीटर हाई जम्प

(श्री जितेन्द्र सिंह)

का राजस्थान यूनिवर्सिटी का चैम्पियन था। मुझे 400 रुपये का पूनम चन्द विश्नोई ने चेक दिया था। उससे चुनाव लड़े और जीते। इतने ही पैसे होते थे। मुख्य मंत्री जी ने चालू किया, डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चे डायरेक्ट सरकारी नौकरी में लग गये डीवाईएसपी वगैरह। जो ओलम्पिक्स में जीतकर आये, हमारे झाझड़िया, सुन्दर गुर्जर और लेखरा जो शूटिंग में आयी, उन सबको, विनर्स को तीन-तीन करोड़ रुपये, सिल्वर मेडल को दो करोड़ रुपये, ब्रोंज मेडल को एक करोड़ रुपये दिये। मुख्य मंत्री जी ने रास्ता खोल दिया। अब गेम्स में ग्रामीण जगह-जगह स्टेडियम की मांग करने लगे, जगह-जगह बच्चे इससे उत्साहित हो गये। जो ग्रामीण ओलम्पिक्स शुरू हो रहे हैं, उनमें 28 लाख एंट्रीज आयी हैं। सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा योगदान है।

सभापति महोदय, स्कूल शिक्षा में करीब 25 हजार से ज्यादा स्कूलें भारतीय जनता पार्टी के वक्त में बन्द हुईं क्योंकि उनका लेवल गिर गया था छात्रों की भर्ती का। सब इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मजबूरी है उनकी। हमारे मेडिकल कालेज के कोर्सेज, आईटीआई के जो भी सब्जैक्ट्स हैं या आरएएस-आईएएस में फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश होती है। मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है मेडिकल कालेज का एक एग्जाम्पल। हमारे यहां नीम का थाना का एक लड़का था, उसने राजस्थान टॉप किया 10+2 में। जब मेडिकल कालेज में वाइवा-वोसी हो रही थी, हमारे प्रोफेसर साहब ने इंग्लिश में पूछा, वह जवाब नहीं दे सका। उसे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। उसके टॉप मार्क्स थे। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं आपसे। इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे यहां करीबन 562 महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें खुली हैं। सभापति महोदय, मेरे यहां हरियाणा बोर्डर से सैकड़ों बसें नारनौल से आती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं पढ़ाने के लिए और वापस आती हैं। लाखों-करोड़ों रुपये बच्चों पर खर्च कर देंगे लोग। एक बच्चे की फीस एक लाख होगी, खर्च कर देंगे। जो 562 स्कूलें एजुकेशन मिनिस्टर ने खोलीं, मुख्य मंत्री जी ने खुलवायीं, उनका बहुत बड़ा लाभ होगा। आज ट्रांसपोर्टेशन खतम हो गया है बाहर जाने का। सब बच्चे वहां पढ़ने लग गये। मैं समझता हूं, एजुकेशन का गुणात्मक स्टैंडर्ड है वह बहुत बढ़ा है।

राज्य सरकार ने अध्यापकों की 61 हजार भर्तियां कीं, 60 हजार अभी क्यू में हैं। आईटी में अलग से सूचना पोर्टल का शुभारम्भ किया। दस करोड़ से अधिक लोगों ने उसे विजिट किया। सभापति महोदय, पीडब्ल्यूडी में, राजस्थान

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इतना बड़ा है, बहुत बड़ा संकट है, सड़कों की सब मांग करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से अधिकतर सड़कों की मांग की जाती है। पांच हजार किलोमीटर लम्बाई की नयी सड़कों का निर्माण किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): Just finishing, Sir. 860 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग बने।

उद्योग लास्ट में कह रहा हूं। उद्योग में हमारे मुख्य मंत्री जी ने 147 ब्लाक्स में इंडस्ट्रियल एरियाज चालू किये। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अलग से उन्होंने रीको की घोषणा की है, जिसके लिए 2000 बीघा जमीन एक्वायर हो चुकी है और करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आया है। आप तो स्वयं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं। अब आया है, कितना मैटेरियलाइज होगा, यह तो वक्त बतायेगा।

सभापति महोदय, अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जब इतिहास लिखा जायेगा तो उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा कि उन्होंने किस तरह से एक नवीन राजस्थान बनाया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, इन तीन वर्षों में प्रदेश की सरकार ने जो विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं, उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। इन तीन वर्षों में, बजट के तीन वर्ष राजस्थान की जनता के लिए, विकास के लिए तीन साल बेमिसाल हुए। आज विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद कोरोना महामारी, केन्द्र सरकार का रवैया किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने जो कोरोना में मैनेजमेंट किया, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ रहा। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति रही कि एक तरफ सरकार के पास बीमार लोगों को उपचार उपलब्ध कराने की चुनौती थी तो दूसरी तरफ लाकडाउन में कोई भूखा न सोये, यह चुनौती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के आम-अवाम से जो मार्मिक अपील की उससे

(श्री बाबूलाल नागर)

पूरे राजस्थान में ऐसी सामाजिक जागृति का सैलाब आया। पक्ष के नहीं, विपक्ष के ही नहीं, सामाजिक संस्थाएं, भामाशाह, जो कुछ कर सकते थे, मुख्य मंत्री जी का जो सपना था कि एक भूखा नहीं सोये, उन्होंने उसके लिए किया। फख्र है राजस्थान के मुख्य मंत्री जी पर कि चाहे सरकारी स्तर पर प्रयास करने का मामला हो, 33 लाख ऐसे परिवार, गरीब लोग, जिनका सर्वे करवाया और प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच हजार रुपये सहायतार्थ दिये।

अभी माननीय जितेन्द्र सिंह जी कह रहे थे, विधायक कोष में 5 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी ने दिये और इस कोरोना महामारी में उन्होंने शिथिलता दी कि कोई भी माननीय विधायक, हास्पिटल के लिए तय कर दिया और इसके अलावा भी जहां गरीब क्षेत्र है, उद्योग धन्धे नहीं हैं और केवल मजदूरी पर गरीब आदमी निर्भर रहता है, नरेगा भी बन्द हो गयी, तो ऐसी स्थिति में विधायक कोष से भी खाद्य सामग्री के पैकेट दिये जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से 2 करोड़ रुपये के खाद्य सामग्री के पैकेट दिये। तीन महीने, चार महीने, गरीब के घर में इतना बड़ा आटे का पीपा नहीं होता कि वह निकाल-निकाल अपने बच्चों को रोटी खिला दे। लेकिन मुख्य मंत्री जी की वह अपील थी, मेरा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है पर मुख्य मंत्री जी, उस अपील को लेकर मेरे यहां के भामाशाह, छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे वाले लोग थे, उनको मैंने एक जगह बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि मुख्य मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और दूदू विधान सभा क्षेत्र तो गरीब क्षेत्र है और यहां भूखा सोना एक अभिशाप है, तो उन छोटे-छोटे लोगों ने भी सरकारी खाते में मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने ढाई करोड़ रुपये जमा कराये। केवल अकेले विधान सभा क्षेत्र में साढ़े चार करोड़ रुपये के खाद्य सामग्री के करीब एक लाख 30 हजार पैकेट वितरित किये।

माननीय सभापति महोदय, हर आदमी में मुख्य मंत्री जी की जो मार्मिक अपील थी उसका इतना बड़ा असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर स्तर पर खाद्य सामग्री का एक पैकेट 460 रुपये में दिया जा रहा था पर हमारे यहां के छोटे-छोटे व्यापारी इकट्ठे हुए और कहा कि यह गरीबों को बचाने का मामला है, हम एक पैसा भी इसमें बैनेफिट नहीं लेंगे, हम अपना खुद का समय भी परमार्थ के काम में लगाएंगे और जो जिला कलेक्टर स्तर पर 460 रुपये का पैकेट था, वही पैकेट 288 रुपये में हमारे विधान सभा क्षेत्र में दिये। यह मुख्य मंत्री जी की जो मार्मिक अपील थी उसका परिणाम था।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, एक लाख 31 हजार मास्क मैंने प्रयास करके वितरित कराये। करीब साढ़े तीन लाख मास्क मेरे विधान सभा क्षेत्र में वितरित हुए। पूरे राजस्थान में एक क्रान्ति आ गई। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने कहा उससे लोगों को समझ में आया, एतबार हो गया। चाहे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के कोविड फण्ड में भी सहयोग करने का मामला हो, राजस्थान की जनता, राजस्थान के भामाशाह उमड़ पड़े। तीन-तीन, चार-चार महीने तक लाकडाउन लग गया, डैथ हो गयी, उनके फूल लोगों के घरों में रखे थे, मन्दिरों में रखे थे। उसमें मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया कि सरकार की तरफ से उनके अस्थि-कलश हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाये। मेरे यहां भी दो बार में दस बसें स्थानीय भामाशाह स्तर पर चलाकर हरिद्वार में अस्थि कलश विसर्जित कराये।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सहयोग करो तो मैंने भी मुख्य मंत्री जी की उस अपील से मेरे क्षेत्र में मार्च, 2020 से जून, 2021 तक जिनकी भी डैथ हुई, चाहे कोरोना से हुई चाहे बिना कोरोना से हुई पर जिनके भी नाबालिग बच्चे थे, हमने सरकार की तरफ से सर्वे करवाया, भामाशाहों से अपील की और 250 लोगों को 21-21 हजार रुपये का चैक उन परिवारों को जिनके नाबालिग बच्चे थे, हमने उनको चैक उपलब्ध कराये। तो मुख्य मंत्री जी ने जो अपील की उसका इतना बड़ा फर्क पडा कि आज फख्र से कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया है।

मुख्य मंत्री जी ने हास्पिटल के लिए कहा तो विधायक लोग भूल गये कि हमें विकास के लिए पैसे देना है, पूरे राजस्थान के लोग, विधायक कोष से भी मुख्य मंत्री जी ने 2-2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया कि 2 करोड़ रुपये आपको चिकित्सा में देना है, आपके जो चिकित्सा संस्थान हैं उन संस्थानों को सुदृढ़ करना है। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 करोड़ 26 लाख मेरे विधायक कोष से वहां जो विभिन्न चिकित्सालय हैं उनको दिये। उनमें चाहे आक्सीजन प्लांट बनाने का मामला हो, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का मामला हो, उपकरण हो, 4 करोड़ 26 लाख रुपये मैंने केवल हैल्थ डिपार्टमेंट को दिये।

सभापति महोदय, फागी में हमारे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल जी मीणा गये थे और फागी तथा मौजमाबाद का उद्घाटन करके आये थे, वहां पर विधायक कोष से मैंने आक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया है। उस समय जब मारामारी हो रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन, आक्सीजन, बैड्स की तब सरकार ने

(श्री बाबूलाल नागर)

भी प्रयास किये और तीन जगह मैंने कोविड के अस्पताल खोले। भामाशाह उसमें भी टूट पड़े। आक्सीजन प्लांट करीब 30-40 भामाशाहों ने दिया। परसादी लाल जी ने फागी में उद्घाटन किया, मौजमाबाद में उद्घाटन किया। दूदू हमारे उप जिला अस्पताल है, वहां मैंने एक भामाशाह से प्रार्थना की, इंफ्रा फाउण्डेशन लिमिटेड, उस भामाशाह ने एक करोड़ का आक्सीजन जनरेशन प्लांट दूदू में बना दिया। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुख्य मंत्री चाहते हैं कि विकास तो चलता ही रहेगा पर पहले लोगों को बचाना जरूरी है। तीसरी लहर का मामला चल रहा है तो उन्होंने जब देखा कि हम स्थानीय स्तर पर इतना प्रयास कर रहे हैं तो भामाशाह स्वयं अपनी इच्छा से तैयार हुआ और उसने एक करोड़ रुपये का प्लांट हमारे यहां लगा दिया।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जिस मजबूती, आत्मविश्वास से, प्रतिपक्ष के लोग भी माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी कांफ्रेंस करते थे, सब लोग उसमें भाग लेते थे, मुख्य मंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, आज विकास की उन्होंने गंगा बहायी है। उन्होंने 40 हजार आक्सीजन कंसंट्रेटर व आक्सीजन बैड की पीएचसी स्तर पर उपलब्धता कर दी है। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में मार्च, 2020 तक 5 हजार 909 आक्सीजन बेड थे, 1 हजार 211 आईसीयू बैड थे और आज इस प्रदेश के जननायक ने ऐसी क्रांति ला दी। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में 28 हजार आक्सीजन बेड हैं, 6 हजार आईसीयू बैड हैं।

जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, वह गरीब आदमी, माननीय सभापति महोदय, आपको खुद को भी जानकारी है, जब प्रदेश के मुख्य मंत्री पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उस समय गरीब आदमी, जो बीमार होता था, अपने गहने, घर गिरवी रखता था, मुख्य मंत्री जी ने रास्ता निकाला, बीपीएल के लोगों का नि:शुल्क इलाज शुरू करवाया, फिर भी कई लोग बीपीएल में नहीं थे पर गरीब थे, रह गये, उनका मुख्यमंत्री रक्षा कोष से इलाज करवाते थे। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की तो इसने पूरी दुनिया में राजस्थान को इतना गौरवान्वित कर दिया। आज प्रदेश में 788 सरकारी और 639 निजी अस्पतालों को मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया गया है, गम्भीर बीमारियों को भी शामिल कर दिया है, हृदय रोग, कैंसर, कोरोना आदि के इलाज को भी इन्होंने शामिल कर दिया है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, 1 हजार 597 पैकेज को प्रोसीजर में शामिल किया है। मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना में भी कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज, करीब-करीब डायबिटीज का इतना भारी फैलाव हो गया है, अधिकतर लोगों को डायबिटीज होती है, इसे भी मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना में शामिल कर लिया है।

सभापति महोदय, दवाइयां और सर्जिकल उपकरण, आज मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में 969 तरह की दवाइयां और सर्जिकल उपकरणों की मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था कर रखी है। जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 844, सीएचसी में 635, पीएचसी में 414, सब-सेन्टर में भी 50 तरह की दवाइयां, आज पूरे राजस्थान में प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था कर रखी है।

सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में आज संस्थागत प्रसव 94.9 प्रतिशत है, जबकि देश का जो संस्थागत प्रसव है वह 88.6 प्रतिशत है, तो मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से आज राजस्थान के आम-अवाम में जो जागृति पैदा की है, आज उसी का परिणाम है कि 94.9 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहा है।

सभापति महोदय, इसी तरह कोरोना से बचाव के उपचार के प्रति आयुर्वेद का जो बढ़ता हुआ रुझान है, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने राज्य में आज 500 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर प्रारम्भ कर दिये हैं। आयुर्वेद के संबंध में बहुत कम लोगों का रुझान होता था, लेकिन इस कोरोना में आयुर्वेद ने कारगर कदम उठाये, जो रामबाण साबित हुए आज 500 आयुष हैल्थ सेन्टर हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा बीमा की जो व्यवस्था करायी। आज गरीब आदमी, मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से पेंशन योजना शुरू की थी, माननीय सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है, जब मैं मंत्री था, मैं सिरोही में एक कैम्प में गया और उस कैम्प में एक बुजुर्ग औरत थी, उस समय उस बुजुर्ग को जिस तरह से राइडर हटाये थे, पेंशन नहीं होती थी, जब मैं भाषण दे रहा था तो उसने बीच में मुझे रोका और बोली, मंत्री जी, मेरे तीन बेटे हैं, अब मैं कह सकती हूं राजस्थान में मेरे चार बेटे हैं। माताजी, अचानक एक बेटा कैसे बढ़ गया? बोली, एक बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा, मुझे जो आज यह पेंशन दी है, ऐसा लगता है, राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत वह मेरा चौथा बेटा है। सभापति

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदय, आज आम गरीब आदमी की दुआएं निकलती हैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के प्रति। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में आम-अवाम की तरह से यह सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, हमारे खेल मंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि राजस्थान में ग्रामीण ओलम्पिक, पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। मैं समझता हूं यह भी राजस्थान क्या, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा अभियान होगा जहां 26 लाख ग्रामीण स्तर के लोगों ने नाम दिये हैं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण करने की बात कही है। सरकार की अच्छी सोच है, एक रुपये किलो, पूरे हिन्दुस्तान में दो रुपये किलो, राजस्थान में एक रुपये किलो, मुख्य मंत्री जी ने पहल की है। सभापति महोदय, इसमें आपके माध्यम से इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब आदमी है, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए थे, किसी कारण से आज खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है, नये नहीं जोड़ सकते हैं, नये लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब हैं, जो बिलकुल अनाथ हैं और वे जुड़े हुए थे, उन्होंने किसी कारण से तीन महीने तक खाद्य सुरक्षा में गेहूं नहीं लिया, उनका अंगूठा नहीं मिला, ओटीपी नहीं मिला तो उनके तीन महीने गेहूं नहीं लेने के कारण उनका गेहूं बन्द हो गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो अपात्र लोग थे, ऐसे बहुत लोगों का गेहूं बन्द किया है। अगर केन्द्र सरकार ने बन्द कर रखा है लेकिन आपके यहां इतने लोगों ने बन्द करा दिया, आप नये लोगों को मत जोड़ो, वह भी जोड़ना चाहिए आपको, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी करता है, झोपड़ी में रहता है, अगर उसने भी तीन महीने तक गेहूं नहीं लिया, ओटीपी नहीं मिला, अंगूठा नहीं मिला, उसका गेहूं बन्द हो गया, आज वह वंचित है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका जो राइडर लगा है, राजस्थान को आवंटित है, उससे ज्यादा राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के कार्ड हैं, तो उस राइडर में आपके हजारों-लाखों लोगों के बन्द हुए हैं। इसलिए, मैं आपसे चाहता हूं कम से कम जो गरीब आदमी है, जिसे पहले से मिल रहा है, वर्षों से मिल रहा है, जिनके न कोई नौकरी में है, न कोई इनकम टैक्स देता है, झोपड़े में रहता है, ऐसे गरीबों का सर्वे करायें और उनके लिए खाद्य सामग्री की शुरुआत करनी चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत कर रही है। यह सरकार बहुत ही धन्यवाद की पात्र है, वैसे भी इस सरकार ने, जब-जब भी अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने, हमेशा उनके काम करने का जो तरीका गरीब, आम-आदमी, किसान उसको केन्द्र बिन्दु मानकर फैसले करते हैं। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों में 8181 करोड़ के कृषि ऋण माफ किये हैं। गत सरकार के समय 6 हजार करोड़ रुपये के बकाये थे, उसका भुगतान किया है। 14 हजार करोड़ रुपये के किसानों के ऋण माफ किये हैं और इन तीन वर्षों में 36 हजार 357 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ के मध्यकालीन ऋण, 362 करोड़ 70 लाख के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये हैं। सरकार ने किसानों के लिए काबिले तारीफ काम किया है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में किसानों को प्रतिमाह 1 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, लघु किसान, सीमान्त किसान, जिनके एक हजार रुपये बिल आता है, आज उनके एक पैसा भी बिल नहीं आता है। जीरो बिल आता है। मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह सरकार कमिटेड है किसानों के भले के लिये, किसानों के लिए फैसले करने के लिये।

आज कर्ज की बात करते हैं, केन्द्र सरकार के बैंक रह गये। किसान के पास किस बात का कर्जा है, सभापति महोदय? किसान के पास कर्जा है बुवाई का, जुताई का, बीज का, यह किसान का कर्जा होता है। जब उसको बुवाई, जुताई, खाद की जरूरत पड़ती है तो किसान केसीसी का लोन लेता है। अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, उसकी फसल पैदा नहीं होती है तो वह किसान का कर्जा होता है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा और मैंने पहले भी सदन में एक-दो बार कहा था, सभापति महोदय, कि आप अगर कृषि का अलग से बजट ला रहे हो, इस राजस्थान के किसान को कर्ज से बचाना है तो आपको एक बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए और फैसला करना पड़ेगा सभापति महोदय, केवल सुविधा देने से काम नहीं चलेगा। आपको उनके लिए यह करना चाहिए कि चाहे जो हमारा लघु किसान हो, सीमांत किसान इनके जो बुवाई, जुताई बीज में जो खर्चा लगता है अगर सरकार इनकी गिरदावरी, बुवाई और कटाई की अलग-अलग गिरदावरी करवा ली जाये

(श्री बाबूलाल नागर)

और गिरदावरी के अनुसार पर बीघा का अगर किसान को अनुदान देती है तो किसान पूरे अपने जीवन भर किसी तरह के ऋण से मुक्त हो सकता है। जब उसको जितना-सा अनुदान मिल जाये अगर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हो गयी, किसान के पैदा नहीं हुआ और पैदा नहीं होने पर भी अगर उसका कर्जा नहीं हुआ, वह उसको अनुदान से चुका देगा, तो किसान को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे राजस्थान और हिन्दुस्तान का किसान आप जानते हो, सर्दी-गर्मी, बरसात में काम करता है। मैं चाहूंगा सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये, सभापति महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं।

सभापति महोदय, आपने कहा कृषि विद्युत कनेक्शन, बिजली दर नहीं बढ़ायेंगे, आपने नहीं बढ़ाया। शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली सरकार है जो 5 साल, पता ही नहीं पड़ता, छोटी-मोटी सब्जी भी लेते हैं आज, जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उसका भाव बदल जाता है, यह तो बिजली है। 5 साल तक मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि हम किसान की बिजली की दर नहीं बढ़ायेंगे, यह जो दुस्साहस, एक तरह से दुस्साहस ही कह सकता हूं, सभापति महोदय, लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वैसे तो यह कह रहे थे कि राजस्थान का मुख्य मंत्री जो भी कोई फैसला करता है उसमें कामयाब होता है, क्योंकि उनके फैसले का जो तरीका है उसमें गरीब है, आम आदमी है, उसकी दुआएं उनके साथ रहती हैं, तो उन दुआओं की वजह से कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर भी आज 3 साल हमारी सरकार के गुजर गये, हमारे कृषि कनेक्शन में एक पैसा बिजली का नहीं बढ़ाया, सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, मुझे याद है जब मैं डेयरी मंत्री था, उस जमाने में मैंने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी क्योंकि जो राजस्थान के किसान हैं अधिकतर इनके जीवन में कई बार अपने ब्याह-शादियों में भात भरना, छोटे-मोटे और पढ़ाई-लिखाई में काम करना, इसके लिए यह दूध इतना बड़ा रामबाण साबित हो रहा है इसको दूध को बेच देते हैं, उससे पैसा आ जाता है और इनके गृहस्थी के काम हो जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने उस समय 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया था और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने साबित कर दिया कि राजस्थान में किसानों का अगर कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की सरकार कर

(श्री बाबूलाल नागर)

सकती है। जैसे ही सरकार बदली, सभापति महोदय, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो उस सरकार ने पहला फैसला किया कि जो 2 रुपये हम किसान को दूध पर अनुदान दे रहे थे उसको बंद कर देते हैं। पूरे 5 साल उन्होंने एक पैसा अनुदान किसान को नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी बजट भी पेश करने वाले हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह एक इतनी बड़ी ताकत है पशुपालन और दूध, हमारे राजस्थान का गांव में रहने वाला आम आदमी इस पर निर्भर करता है, खेती का भरोसा नहीं है सभापति महोदय, खेती घाटे का सौदा हो गया है, कभी अनावृष्टि कभी अतिवृष्टि और तरह-तरह के उन में 50 तरह के खर्चे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बार बजट में मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि 2 रुपये के स्थान पर 3 रुपये कम से कम या 4 रुपये उस किसान को अनुदान देना चाहिये। जब हमारा पशुपालन मजबूत है तो यह समझ लीजिये राजस्थान बहुत मजबूत है और मजबूत बनेगा, सभापति महोदय, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए और 80% लोग आज दूध पर निर्भर कर रहे हैं और इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें सुधार करना चाहिये।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा हालांकि हमारी सरकार हमारे जो सहकारी डेयरी है, डेयरी समूह को पशु आहार में अनुदान देती है लेकिन यह अनुदान है यह एक तरह से आटे में नमक के बराबर है, यह अनुदान कम है, जब सरकार अलग से कृषि बजट ला रही है तो सरकार के यहां मंत्री लोग भी बैठे हैं, इस अनुदान को भी मुख्य मंत्री जी को बढ़ाना चाहिए, बजट में इसकी घोषणा करनी चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक दौर था जब मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क दवा योजना, जांच फ्री और उस जमाने में पशु के लिए भी दवा फ्री की थी। मुझे आज भी इस बात की खुशी है कि पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना में 120 तरह के टीके और दवाइयां फ्री सरकार की तरफ से दी जा रही हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के लोग जब वोट लेने आते हैं तो गाय की बात करते हैं, जब-जब यह सरकार में आते हैं तो एक पैसा भी गाय के लिए नहीं बढ़ाते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गोशालाओं में संधारित गोवंश की सहायता के लिए मुख्य मंत्री जी ने जब-जब सरकार में

(श्री बाबूलाल नागर)

आये, हर बार इन्होंने पैसा बढ़ाया है। अभी भी बड़े जो गोवंश है, आज उनको 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान दे रहे हैं, छोटे गोवंश को प्रतिदिन 20 रुपये अनुदान दे रहे हैं और जो पंजीकृत गोशालाएं हैं, उनके जो बिजली का बिल है वह 50 परसेंट बिल सरकार दे रही है। मुख्य मंत्री जी ने हमेशा गाय हमारी माता है, यह साबित कर दिया। बोलने से माता नहीं बनती है, जब समय आता है तब एक रुपया देते नहीं हैं और जब वोट लेने का मामला आता है तो माता याद आ जाती है।

सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान क्या शानदार रहा है। दस लाख से भी ज्यादा पट्टे वितरित किए गये। मेरे क्षेत्र में 60 ग्राम पंचायतें हैं। मैं 60 की 60 ग्राम पंचायतों में इस शिविर में गया हूं। चौथी बार मैं विधायक हूं। मैंने यह देखा कि जिस तरह से प्रशासन ने जो कमिटमेंट्स से इस बार प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया, जो वर्षों से 60-70 वर्षों से सिवायचक में रह रहे थे उनकी जमीनें भी इस अभियान में आबादी में करने का प्रावधान रखा, जो गोचर में रह रहे थे, 35 साल से ज्यादा समय से जो गोचर में रह रहे थे उनको भी 100 मीटर उनकी आबादी जमीन करने का मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया। आज राजस्थान के जो छोटे बेचारे गरीब लोग हैं भील, बागरिया, बंजारे, जो गोचर में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, आज दुआएं दे रहे हैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को उन्होंने सुध ली है उन गरीब आदमियों की। उनके लिए भी सोचा कि इनके भी मकान होना चाहिये। एक रुपये किलो अनाज दे रहे हैं, इनको रोटी मिलनी चाहिये। इनको नरेगा में रोजगार मिलना चाहिये। हमारे यहां तो नरेगा खतम ही हो गई थी उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का समय था। आज नरेगा में जबरदस्त तरीके से रोजगार दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2017 में दो परिपत्र जारी हुए सरकार से, उसमें सिवायचक से आबादी जमीन में करने का प्रावधान किया गया है लेकिन, सभापति महोदय, उसका जो पट्टा देने का मामला है, सिवायचक से आबादी में तो जमीन हो जाएगी लेकिन पट्टा डीएलसी रेट पर दो। सभापति महोदय, यह कैसे सम्भव है? डीएलसी रेट पर वह गरीब आदमी पट्टा ले ही नहीं सकता है। आज उसका यही कारण है, राजस्व मंत्री या पंचायत राज मंत्री मेरी बात सुन रहे हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमने सिवायचक से आबादी में जमीन

(श्री बाबूलाल नागर)

करायी है लेकिन पेट्ट पूरे राजस्थान में हजार भी नहीं लिए होंगे लोगों ने। कोई ऐसे कस्बे में हो जहां बाजार में उसका घर हो उसमें कोई पट्टा ले लिया होगा डीएलसी रेट पर, इसलिये इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जब हम नगरपालिका शहरी क्षेत्र में 501 रुपये में पट्टा दे रहे हैं, मुख्य मंत्री जी तो गांवों के गरीब आदमी के दिलों में राज करते हैं, मसीहा हैं राजस्थान के गरीबों के, मैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि जब 501 रुपये में हम शहर में पट्टा दे रहे हैं तो उनको यह जो डीएलसी रेट वाला प्रावधान है इसको खतम करना चाहिए। यह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इसी तरह आज महिलाओं और किशोरियों के लिए जो स्वास्थ्य की जागरूकता, नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु जो आईएम शक्ति उड़ान योजना जिसका 19 दिसम्बर, 2021 को शुभारंभ किया है आज पूरे राजस्थान की महिलायें हमारे स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां दुआएं दे रही हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को कि उन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए सोचा। आप जानते हो गांव में किस तरह की परिस्थितियां हैं, हमारी महिला समाज कल्याण मंत्री जी बैठी हैं, यह बहुत चुनौती पूर्ण मामला है। आपने लागू कर दिया है, आप प्रयास कर रही हैं। आप ब्लाकों में भी जा रही हैं, मेरे ब्लाक में भी आप गई हैं, आपने जागृति लाने का पूरा प्रयास किया है लेकिन आपको इसको चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम इसमें पूरी तरह से सफल होंगे तो राजस्थान के लोग दुआ देंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं खतम कर रहा हूं, दो मिनट। मैं तो वैसे ही नहीं बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 35 हजार से अधिक गांवों को 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से 46 लाख घरों में जल कनेक्शन जारी करने की स्वीकृतियां जारी कीं। सभापति महोदय, इसमें 45 परसेंट केन्द्र सरकार, 45 परसेंट राज्य सरकार। पूर्व मंत्री जितेन्द्र सिंह जी ठीक कह रहे थे, मैं तो जयपुर में बीसलपुर से पानी लाया था, जयपुर की राजधानी ने बाद में पानी पीया था, पहले मैंने दूदू को पानी पिलाया था और स्टेट गवर्नमेंट का 10 परसेंट पैसा लगता था। सभापति महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कई लोग ऐसे हैं जो अत्यन्त गरीब हैं, केवल नरेगा

(श्री बाबूलाल नागर)

के आधार पर काम करते हैं और जो यह 10 परसेंट अनुदान है, 2700 रुपये का उनको कनेक्शन लेना पड़ता है। बहुत से लोगों के घर के बाहर आप लाइन डाल रहे हैं, उसके घर तक टोंटी पहुंचा रहे हैं। सभापति महोदय, वह सिर्फ इसलिए कनेक्शन नहीं ले सकता क्योंकि 2700 रुपये वह जमा नहीं करा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, केन्द्र में जब से मोदी जी महाराज आये हैं, हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी आये हैं, सड़कें 100 परसेंट प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भारत सरकार देती थी, अब आधे पैसे राजस्थान सरकार दो, आधे केन्द्र सरकार देगी। पानी में 10 परसेंट पैसा राजस्थान सरकार देती थी, 90 परसेंट केन्द्र सरकार देती है, अब आधे राजस्थान सरकार दो, आधे केन्द्र सरकार दो। मुख्य मंत्री जी को कम से कम एक सर्वे करवा लेना चाहिये, कहीं ऐसे कोई बीपीएल परिवार हों, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हों, उनके घर तक नल फिटिंग से टोंटी लगाने तक का एक प्रावधान करके उनको फ्री करना चाहिये। महीने का वह बिल जमा करा देंगे। आपने घर-घर तक टोंटी पहुंचा दी। मेरे 233 गांव हैं, हर ग्राम घर को आपने मुख्य मंत्री बजट घोषणा में शामिल कर दिया। मंत्री जी बैठे हैं, बहुत डाइनामिक मंत्री जी बैठे हैं, जयपुर जिले के हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जो घर में पानी के लिये 2700 रुपये नहीं दे सकते। इसलिए मैं चाहूंगा की आप कोई न कोई एक क्राइटेरिया बना लीजिए, बीपीएल का बना लीजिए, एसटी, एससी का बना लीजिए, अंत्योदय योजना वाला बना लीजिए, ऐसे लोगों के लिये आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने रोडें भी खूब दीं, 5 करोड़ वाली रोडें दीं, विधायक की आज जय जयकार हो रही है। मेरे यहां मिसिंग लिंक बना दीं, आपने पैच वाले काम भी दिये। सभापति महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आपने अंग्रेजी की स्कूल भी खूब खोलीं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसने राजस्थान में क्रान्ति मचाई है। गरीब का बच्चा कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सकता था। आपने यह इतनी बड़ी योजना लागू कर दी है कि आज राजस्थान का आम गरीब इस सरकार को दुआ दे रहा है। आपने

(श्री बाबूलाल नागर)

कुछ क्राइटेरिया की पिछली बार बजट घोषणा में घोषणा की थी लेकिन अभी तक उस घोषणा की पूरी क्रियान्विति नहीं हुई है। आपने कहा था 5 हजार की आबादी वाला, आपने कृषि सब्जेक्ट खोलने की बात की थी, उसमें भी अभी तक ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसमें भी आपको प्रयास करना चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): लास्ट खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप प्रदेश में औद्योगिक नीति लेकर आये, इसमें आपने खूब उद्योग खोले। सभापति महोदय, इसमें मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा, आपने रीको के बहुत से क्षेत्र घोषित किये, आपने शुरू भी किया है। इसमें एक बात मेरे समझ में नहीं बैठ रही कि जब से रीको के प्लाट आबंटन होते थे एसटी, एससी का आरक्षण होता था, कुछ समय पहले अचानक एक ऐसा बदलाव कर दिया, एसटी, एससी के लिये आज भी आबंटन है लेकिन उसमें सामान्य महिला को जोड़ दिया। सामान्य महिला को जोड़ने का मतलब है एसटी, एससी का आरक्षण खतम होना। सभापति महोदय, गरीबों में इस बात का आक्रोश हो रहा है, मुख्य मंत्री जी राजस्थान के संवेदनशील नेता हैं, वह आम आदमी की सुनते हैं, गरीबों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने एसटी, एससी के आरक्षण में महिला का जो प्रोविजन किया है, महिला का करना है तो उसमें एससी की महिला का करो, एसटी की महिला का करो, आपने उसमें सामान्य महिला का कर दिया। सभापति महोदय, एसटी, एससी के किसी आदमी को मिलता ही नहीं है, रीको का प्लाट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अशोक गहलोत जी की सरकार एसटी, एससी के साथ अन्याय नहीं कर सकती, यह मैं भी जानता हूं। सभापति महोदय, पूरा राजस्थान जानता है यह कहीं न कही भूल हुई है, इसको तत्काल हटाना चाहिये और जो आपकी नीति चल रही थी, आज गरीब घर के लोग भी रीको के प्लाट लेकर अपने कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, आज वह तरक्की कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, दो बार आपने मुझे कम करने का भी कहा, मैं आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए, आप तो जानते हो, मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं, बहुत कम बोलता हूं। आपको मैं साधुवाद देता हूं और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का आभार करता हूं और

(श्री बाबूलाल नागर)

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी जो आपने काम करने का तरीका अपना रखा है, जो सोच अपना रखी है, पूरे राजस्थान के आम अवाम की दुआएं आपके साथ हैं। आपकी लम्बी उम्र हो, आप राजस्थान में जीवनभर मुख्य मंत्री बनते रहो, इस राजस्थान में राज करते रहो, नेतृत्व करते रहो, राजस्थान को और आगे बढ़ाओ, यही मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

सूचना

भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा सभा व भीड़ एकत्रित कर कोविड गाइड लाइन्स की अवहेलना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अनहोनी की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत कठोर परिश्रम से राजस्थान में कोरोना पर नियन्त्रण किया पर इस विधान सभा से कुछ मीटर दूरी पर गैर कानूनी तरीके से सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं और कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने न तो किसी तरह का मास्क पहन रखा है और न उनको लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता है। आपने इस सदन में व्यवस्था कर रखी है, एक जगह पर मैं बैठा हूं, उसके पास दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता, मुझे छोड़ कर तीसरा आदमी बैठेगा। मतलब इस सदन में भी आपने यह व्यवस्था कर रखी है कि दो गज की दूरी रखकर आप बैठेंगे। इस विधान सभा में जब हम प्रवेश करते हैं तो रोजाना बाकायदा हमारे तापमान की जांच होती है और भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदार ये 72 विधायक, अपने प्रतिपक्ष के नेता समेत वहां सैकड़ों लोगों के हुजूम में इकट्ठा हुए हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं और वापस आकर यहां बैठेंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि एक भी सदस्य का प्रवेश बिना पीसीआर टेस्ट के इस सदन में नहीं होना चाहिये क्योंकि सैकड़ों लोगों के साथ वहां कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ा कर ....

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करूंगा कि इन अधिकारियों को निर्देशित करें कि वहां जो बिना मास्क के हैं उनका चालान करें, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करें, जिससे

(श्री संयम लोढ़ा)

जो आपने जन अनुशासन का संदेश दिया था, आपने रात्रिकालीन कर्फ्यू के माध्यम से संदेश दिया था...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आपने सरकार के संज्ञान में बात ला दी, कृपया विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान में कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है।

श्री सभापति: आपके बोलने से सरकार के संज्ञान में यह बात आ गई, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। सरकार के संज्ञान में आ गई बात, विराजिए आप। श्री मदन प्रजापत।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में कुछ बातें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं पूरा देश कह रहा है और राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश प्रेरणा ले रहा है कि सेवा और विकास कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। तीन साल बेमिसाल, भूतो न भविष्यति, इतनी सेवा और राजस्थान का विकास लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, यह पूरा देश देख रहा है। देश राजस्थान से प्रेरणा ले रहा है। हमें गर्व होता है। अभी तो यह वॉक आउट करके भाग गये, इनके मुंह से एक नारा आ रहा था 'लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो', मुझे हंसी आ गई कि इनके मुंह से यह शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं। हम दो, हमारे दो में इनका विश्वास है। दो बेचने वाले हैं और दो खाने वाले हैं और वह लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी कहूं या भारतीय टंटा पार्टी कहूं तो भी एक ही बात है। पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण, विकास में इनका विश्वास नहीं, विकास से इनका नाता नहीं, सेवा में इनका विश्वास नहीं और हिन्दू-मुस्लिम का डर बताकर देश में वातावरण पैदा किया जा रहा

(श्री मदन प्रजापत)

है। सभापति महोदय, हिन्दू-मुस्लिम के अलावा पाकिस्तान की बात करते हुए लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

आज इनके मुंह से बात आ रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियों में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और संविधान की बातें करते हैं। मैं खुद राठौड़ साहब से पूछना चाहता हूं कि आप यह जो उप नेता प्रतिपक्ष की दुकान चला रहे हैं, यह कौनसे संविधान में है? अगर नैतिकता, संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं तो कटारिया जी मजबूत हैं, आपको सहारा देने की जरूरत नहीं है। बिना नियम-कानून के पद लेकर मन में दुकान चलाने का जो काम कर रहे हैं, वे संविधान, कानून और राजनीतिक नियुक्तियों का विरोध करते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है, पहले भी हुई है और इनके समय में भी हुई है।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, कल बात चल रही थी। हम सब चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा मिले, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, कड़े कानून हों, लेकिन कल बहस में धारीवाल साहब ने जो जवाब दिया है, उसके लिए मैं वास्तव में आभार व्यक्त करता हूं और तारीफ करता हूं। ऐसे साबुन लगा-लगाकर धोया कि दिल खुश हो गया और आने वाले लम्बे समय तक इस भाषण को याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को साबुन लगाकर धोने का कोई काम कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम शान्ती धारीवाल है। हमें गर्व है कि ऐसे नेता जो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वास्तव में मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

पीएम के भाषण में बार-बार ऐसी बातें आती हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग कांग्रेस है। कांग्रेस वह पार्टी है, इतिहास गवाह है कि देश की आजादी से लेकर 650 टुकड़ों को एक कर अखण्ड भारत करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम कांग्रेस है और हमारे नेताओं ने किया है। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया है उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। वे टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात करते हैं। हमने टुकड़े जोड़ने का काम किया है, लेकिन आप तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए दुनिया जान चुकी है कि नकली बहकावा है।

ये बार-बार 56 इंच के नकली सीने की बात करते हैं। अगर 56 इंच का सीना होता तो पंजाब से वापस नहीं आते। मैं बच कर आ रहा हूं, जिस व्यक्ति को, जिस देश के राजा को और प्रधान मंत्री जी को देश से ज्यादा खुद के शरीर की चिंता है, वह देश का कभी भला नहीं कर सकता।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, बार-बार कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? आपने तो सात सालों में बेचने का काम किया है, वह कांग्रेस ने नहीं किया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि और भी काम पड़े। मैंने कहा, भाई बताना मत, मोदी जी बेच देंगे। माननीय सभापति महोदय, दो बेचने वाले और दो खाने वाले।

माननीय सभापति महोदय, हमें राजस्थान की शूरवीरों की धरती पर गर्व है जहां हर घर पर सैनिक मिलते हैं। बलिदान और कुर्बानियां, देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का जज्बा राजस्थान में होता है। हमारा पड़ोसी प्रदेश गुजरात है, देश में अगर किसी ने सबसे बड़े घोटाले करने का इतिहास रचा है और इतिहास में नाम आयेगा कि वह कौनसा प्रदेश है, जो देश में सबसे ज्यादा घोटाला करता है, उस प्रदेश का नाम गुजरात आयेगा। आज चाहे जय शाह, चाहे मय-शाह, चाहे चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, क्या संबंध है? मैं पूछना चाहता हूं कि मय शाह कहां है? उनका खुलासा हो। नहीं तो हमें अंदेशा है कि उनके साथ कुठाराघात करके मय शाह की हत्या हो सकती है। हमारा खुला आरोप है, घोटाले करने वाले प्रदेश, चाहे अंबानी, चाहे अडानी, उनके दो बेटों की तरह। एक व्यक्ति ने कहा कि इनके तो दीये-पूते ही नहीं है, यह किस के लिए कर रहा है। मैंने कहा कि इनके दो गोद के पुत्र हैं, एक का नाम अंबानी है और एक का अडानी है, और भी कई हैं, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, हमें राजस्थान के ऊपर गर्व है।

आज भी बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं कि देश में नोटबन्दी एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आज एक हजार की जगह दो हजार का नोट लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या काला धन मिट गया? आतंकवाद मिट गया? माननीय सभापति महोदय, नकली नोट खतम हो जायेंगे, आज नकली नोट घर-घर में आ रहे हैं। वापस खबरें देखने को मिलती हैं, तो नोटबन्दी करने से कौनसा फायदा हुआ है? इसे एक मूर्खतापूर्ण निर्णय कह सकते हैं। आज हमें गर्व है कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। एक बाप घर को जोड़ता है, एक बाप घर को बनाता है और एक कपूत बेटा रात-दिन बेचने की तैयारी में लगा रहता है।

आज महंगाई की बात करते हैं। 2013-14 का वह नारा जब याद करता हूं, 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार' आज महंगाई के हालात क्या हैं? 'बहुत सही भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार।' माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, वे सदन में तो नहीं हैं, लेकिन

(श्री मदन प्रजापत)

कहीं सुनते तो होंगे, आज के हालात क्या हैं? आज महंगाई के क्या हालात हैं? सात बैंक तो खतम कर दिये। करोड़ों रुपये के घोटाले कर दिये और वे कहां रहते हैं? अडानी-अंबानी की गली में। वे गुजरात में रहते हैं, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है। सबसे ज्यादा घोटाला अगर किसी ने किया है और वे कहां रहते हैं, उस प्रदेश का नाम गुजरात है। सबसे ज्यादा शूरवीर कहां रहते हैं, उस प्रदेश का नाम राजस्थान है। हमें कहते हुए गर्व है।

आज महंगाई के अलावा, माननीय बाबू लाल जी कह रहे थे कि चुनाव आये तो गऊ माता, चुनाव गये तो आवारा पशु। मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गौ सेवा आयोग का गठन किया, अनुदान दिया। गोशालाओं की तैयारी कर रहे हैं। गऊ माता का भला करने वाला तो गऊ भक्त नहीं है और जो चुनाव में गऊ माता को माता मानते हैं, वे नकली गऊ भक्त बन रहे हैं और देश के वातावरण को गन्दा कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो कहा, वह करके दिखाया और मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड, जो दलित एसटी भील समाज और मारवाड़ के लोगों की भावना थी, उस भावना की जो कद्र की है। हम सबने निवेदन किया है और इस निवेदन को स्वीकार करते हुए ऐसा ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी निर्णय कोई ले सकता है, उस मुख्य मंत्री का नाम श्री अशोक गहलोत जी है। मैं अकेला ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी बोलते हैं कि राजस्थान में अगर किसी ने विकास किया है तो उनका नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे 'प्रशासन शहरों के संग' हो या चाहे 'प्रशासन गांवों के संग' हो, लोगों को जो राहत दी है, लोगों को जो सुविधाएं दी हैं। चाहे आबादी का प्रकरण हो, चाहे खातेदारी का हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, चाहे पेंशन हो। आज एक गरीब आदमी और बुजुर्ग आदमी को पेंशन मिलती है, वह दुआएं देता है कि, अशोक गहलोत जी, आपका भला हो, आप एक बेटे की तरह हमारी जो देखभाल कर रहे हैं, यह राजस्थान में इतिहास रचा है। इतनी ज्यादा पेंशन पूरे देश में कहीं नहीं मिलती होगी, आज अपने प्रदेश में मिलती है और इसका आदेश देने वाले का नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, शिविर के अलावा, आज कल्ला साहब ने जो जवाब दिया है, इनकी मंशा साफ नहीं है, सीबीआई के नाम से युवाओं का गला घोंटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भर्तियों को जान-बूझकर लेट कर यह चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में युवाओं की नौकरी नहीं लगे। आज मैं अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कहा वैसे ही लाखों/हजारों भर्तियां निकाली हैं, मोदी जी की तरह असत्य वादे नहीं किये हैं, दो करोड़ नौकरी। हमने दो करोड़ नौकरियां तो नहीं देखीं, दो नौकरी जरूर देखी हैं, अंबानी व अडानी। ये असत्य वादे करके ये भर्तियां रोकने का काम कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि एक के ऊपर भी लांछन नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सख्त कानून बने और कड़ा कानून बने, दोषी को सज़ा मिले, लेकिन इनके राज में शिक्षा मंत्री जी की खुद की बेटी नकल के मामले में पकड़ी गयी। खूब आरोप लगे, क्या आपने उस समय इस्तीफा दिया था? इनके दांत खाने के अलग हैं, बात बताने के अलग हैं। ये वही लोग हैं, जो यह असत्य बात करते हैं।

इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश मजबूत हो, मैं रहूं या न रहूं। जबकि वे आज पंजाब से भीगी बिल्ली की तरह आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित आ गया, जिन्दा रह गया। देश रहना चाहिए, हम रहें या न रहें, यह हिम्मत अगर किसी में है तो इन्दिरा गांधी जी में थी, राजीव गांधी जी में थी, महात्मा गांधी जी में थी। सैकड़ों-हजारों कुर्बानियां अगर किसी ने दी हैं तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। देश को बनाने और आन्दोलन में भाग लेने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। राजस्थान को देश में मॉडल और सिरमौर बनाने वाले का नाम लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, ये जान-बूझकर भर्तियां रोकना चाहते हैं। मैं एक निवेदन करता हूं और युवाओं की भावना भी है कि आर.ए.एस. परीक्षा में समय थोड़ा कम है। कई लोगों से मिले हैं, आप सब माननीय विधायकों से मिले हैं, तो उनकी भावना की कद्र की जाए, थोड़ा-बहुत समय बढ़ाया जाए ताकि वह आराम से तैयारी कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, पहले जब मुख्य मंत्री बने, निःशुल्क दवा योजना और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। आज पांच लाख तक का इलाज, हमने वह परिवार देखे हैं, खुद के खेत की जमीन बिकते देखी है,

(श्री मदन प्रजापत)

औरत का स्त्री धन बिकते देखा है। आज लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने वह करके दिखाया। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, किसी की स्त्री के गहने और खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के राज में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। चाहे इलाज के मामले में हो, चाहे शिविर में पेशन के मामले में हो। आज एक घर में दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपये पेंशन मिलती है।

मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का कि एक तो वे प्रधान मंत्री जी हैं जिन्होंने एम.पी. कोटे को खतम कर दिया। आज जिनको मैं शूरवीर और विकास पुरुष कह सकता हूं, लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जो यह मजबूत निर्णय लेने की किसी में हिम्मत है, उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत जी, दो से पांच करोड़, देश देखता रह गया कि ये कोरोना काल है, बीमारी मैनेजमेंट में पैसे लगे हैं, दवाइयों के लगे हैं, आक्सीजन के लगे हैं। इनकी जादूगरी समझ में नहीं आयी और प्रतिपक्ष के नेता के मुंह से कहलवाया कि बोलो, मुझे जब गर्व हुआ, मुझे जब खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, आप मांगते थक जाएंगे और मैं देते-देते नहीं थकूंगा। इस क्रान्ति और मजबूत निर्णय के लिए मैं दिल से पुन: आभार व्यक्त करता हूं कि आज कठिन परिस्थिति जो कोरोना काल था, पैसों की जरूरत थी और उस समय दो से बढ़ाकर पांच करोड़ करने की किसी में हिम्मत है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी में है। इस बात पर बीजेपी वालों ने भी तालियां बजाई क्योंकि वास्तव में हकीकत को हकीकत कह सकते हैं।

आज चिरंजीवी योजना में लाभ हो, चाहे एम.एल.ए. कोटे से जो लाभ मिला है, कोरोना काल की तुलना करते हैं, हिन्दुस्तान ने तारीफ की है कि अगर कोरोना काल में मैनेजमेंट और सेवा कहीं हुई है तो राजस्थान में हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे मजदूरों को घर छोड़ने का मामला हो, योगी बाबा ने तो बोर्डर रोक दिया था, बसें एक दिन पड़ी रहीं, मैं अंदर नहीं आने दूंगा। यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्होंने बोर्डर सील कर दिये। आज शर्म आती है इस हालात में अगर अपना भाई बाहर प्रदेश में मजदूरी के लिए जाता है और उसको घर नहीं आने दिया जाता है, वह भी जब धार्मिक लोग मानते हैं अपने आपको।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल की तुलना की जाये। अख़बार

(श्री मदन प्रजापत)

में छपा, रोटियां बिखर गईं। 16-16 मजदूरों के ऊपर से रेल चली गयी और रेल भेजते हैं यूपी, जाती है उड़ीसा, रेल कोरोना काल में और ये मोदी जी के काल में इतिहास रचा गया कि रेल भेजी तमिलनाडु, आ गई राजस्थान। ये इनका कोरोना मैनेजमेंट था। ऐसे रेल मंत्री को, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मैं आज उन स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करता हूं कि दुर्घटना के मामले को अपने ऊपर लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। मुझे अधिकार नहीं है, इतने लोग मर गये एक्सीडेंट में। आज 16-16 गरदनें कट गई, रोटियों की पोटलियां बिखर गयी, गये थे रोटी लेकर और रोटी खाने वाले नहीं रह गये, ये इनका मैनेजमेंट है। बातें बहुत बड़ी करते हैं। आपने बेचने के अलावा और क्या किया है? आपका फ्लाप मैनेजमेंट था।

जल संसाधन मंत्री दिल्ली में कौन? राजस्थान से, जोधपुर से, आपने भलाई तो अलग बात, जेजेएम 90:10 की स्कीम को आपने 45:55 करके, आपको राजस्थान की पैरवी नहीं करते हुए शर्म आ रही थी? आपने क्यों नहीं बोला कि मैं 45 का फ्री करूंगा क्योंकि मैं राजस्थान से आने वाला हूं, वहां से सांसद हूं, वहां की रेगिस्तान और डेजर्ट की जनता ने मुझे एम.पी. बनाकर भेजा और बाद में मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद में भूल गये। 90:10 की स्कीम को 45:55 में कर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का तब भी उन्होंने हां भरी कि पीने के पानी के लिए जनता प्यासी नहीं मरे। उस समय कल्ला साहब मंत्री थे। मैंने समझा स्कीम की कटौती होगी लेकिन मैं तारीफ करता हूं कि इन्होंने 45:55 की भी हिम्मत दिखाते हुए, इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। पंजाब से वापस आने वाले को और डर कर भागने वाले को 56 इंच का सीना कहने वाले, उनको भी दुनिया माफ नहीं करेगी। भीगी बिल्ली की तरह आने वाले, मजबूत निर्णय लेने की हिम्मत अगर किसी में है तो माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत में है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात का निवेदन करता हूं कि 40 साल तक बालोतरा की जनता ने जो सब्र किया है कि बालोतरा जिला बने। कइयों के मन में रह गयी। अब सब्र का बांध टूट रहा है और अपने पास आधार भी है कि रिफाइनरी एक लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने चार साल तक रोककर रखा। आज इतिहास बना है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पूरे मारवाड़, हमने जोधपुर तक पैदल यात्रा संघ निकाला कि रिफाइनरी हमारा हक है। आज पचास प्रतिशत काम हो चुका है और देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां स्थापित है तो हमें

(श्री मदन प्रजापत)

गर्व होता है कि पचपदरा का नाम आता है, पचपदरा की पावन धरती पर हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी 9 मिलियन टन की रिफाइनरी और 100 किलोमीटर जिला दूर है। हमने प्रण लिया है, शपथ ली है। मैं आज कह रहा हूं आगे प्रश्न नहीं लगाऊंगा और बालोतरा बजट में जिला नहीं बना, जूता पहनना भी छोड़ दूंगा। 40 साल तक सब्र और सभी जानते हैं कि 28 लाख वर्ग किलोमीटर का बाड़मेर का एरिया, आबादी के और क्षेत्रफल के तमाम मापदण्ड पूरे करते हैं। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने हमें कभी निराश नहीं किया और इस बार भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो जुबान दी है, पहले भी कहा कि 100 किलोमीटर पैदल जाऊंगा तो गया। आज सदन में कह रहा हूं कि बजट का 23 तारीख इंतजार होगा, यह वास्तव में हमारा हक है और हमें निराश नहीं करें। आगे भी नहीं किया, जो मांगा, मैं परसादी लाल जी मीना साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, एक फोन आया, मदन भाई, आपको बधाई हो। मैंने समझा कोई शादी की बधाई दे रहे हैं। कहने लगे नहीं बेटे, 46 करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहा हूं और बालोतरा में जिला अस्पताल भी बनाया और भवन के लिए हाथों हाथ 46 करोड़ जो आधा अरब रुपया है, पहली बार इतना बड़ा हैल्थ सेक्टर में फंड किसी ने दिया है तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने दिया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इसलिए उम्मीद है कि चाहे डी.टी.ओ. आफिस हो, चाहे एडिशनल एस.पी. आफिस हो, चाहे दो डीवाई.एस.पी. आफिस हो, चाहे रिफाइनरी थाना हो, जो-जो भी मांगा, सब दिया है। चाहे कालेज हो, चाहे तहसील हो, सब कुछ दे दिया। भवन पर्याप्त है, करना कुछ नहीं है, दो पोस्ट है, गजट नोटिफिकेशन जारी करना है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है ये काम कर दें, जीवन भर हमारा पूरा पचपदरा, सिवाना, तीनों विधान सभा क्षेत्र दिल से आभार व्यक्त करेंगे और इतिहास याद रखेगा कि ये जिले बनाने में कलम चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नाम हम हमेशा आभार करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बालोतरा को जिला बनाया जाय।

माननीय सभापति महोदय, आज जिले में तमाम बजट भी दिया है। मैं पुन: युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए थोड़ा समय बढ़ता है, इसमें गहराई से थोड़ा मन्थन करवाया जाए। आपने पूरा समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं कि तीन साल का जो लेखा-जोखा, चाहे एक व्यक्ति तीन

(श्री मदन प्रजापत)

घंटा क्या, पूरा दिन बोले तो भी कम है, मैं अकेला नहीं पूरा देश जानता है कि राजस्थान में अगर सेवा किसी ने की है और सेवा कर रहा है, मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि आप हमेशा इस पद पर बने रहें और भागने वाले भागते रहें और सदन में जो बैठे हैं, वह हमेशा सदन में आते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिन्द, धन्यवाद। जय कांग्रेस।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन। श्री इन्द्राज गुर्जर। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, आपको सहृदय धन्यवाद।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं अभिभाषण की प्रति पढ़कर व धरातल पर हो रहे कार्य को देखकर, पूरे राजस्थान की जनता को पुरजोर धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि राजस्थान की सत्ता आपने सुरक्षित हाथों में सौंपी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता की तकलीफों, कठिनाइयों को कम करने वाले जिन हाथों में राजस्थान का भविष्य निखर रहा है, ऐसे माननीय मुख्य मंत्री जी, अशोक गहलोत का जितना धन्यवाद करें उतना कम है।

सभापति जी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। नियति और इस कालखण्ड के अनुरूप, यह हमारे राजस्थान का सौभाग्य रहा कि राजस्थान का नेतृत्व एक कुशल, दक्षतापूर्ण, संवेदनशील एवं बेहतरीन प्रबंधन के धनी, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के हाथों में है, जिन्होंने भामाशाह, जनप्रतिनिधि, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ-साथ, प्रशासनिक, कार्मिक, चाहे वह डाक्टर्स हों, नर्सिंग हों या अन्य सेवाओं से जुड़े कार्मिक हों, सबको साथ लेकर, राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष में सराहा गया है।

आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बातें कहीं, कोई भूखा नहीं सोये और प्रदेश में कोई पैदल नहीं चले। दोनों ही कार्य राजस्थान में प्रभावी रूप से किये गये। प्रत्येक ज़िले में सभी ने आह्वान पर अपना-अपना योगदान दिया और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

इस कड़ी में राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, इंदिरा रसोई योजना की भूमिका बहुत सराहनीय रही। आज भी इंदिरा रसोई के माध्यम से हज़ारों-लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

दूसरा, कोई पैदल नहीं चले की तर्ज पर हमने राजस्थान के अलावा ऐसे कई दूसरे प्रदेश थे, जहां टीवी, अखबारों के माध्यम से देखा कि जो दूर-दराज के प्रवासी अपने घरों को लौट रहे थे, वह परेशान हो रहे थे, भूख से त्राहि-त्राहि कर रहे थे और अपने गन्तव्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत ने नि:शुल्क यात्रा करवाई, चाहे वह ट्रेन के माध्यम से, चाहे बस के माध्यम से हो, चाहे वह भामाशाहों के माध्यम से हो, अलग-अलग जगहों से, संस्थाओं द्वारा प्रवासी मज़दूरों को अपने घर-परिवार तक पहुंचाया।

मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह ज़िले से आती हूं। मुझे कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी के संवेदनशील क़दमों से गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। कोरोना काल में, जोधपुर में ऐसे कई प्रवासी हैं, जोधपुर में सोने का काम-काज, जो टेंट बनता है उसमें बंगाल व केरल से बहुत सारे ऐसे मजदूर आते हैं जो वहां रहते हैं और अपना रोजगार करते हैं, इस समय जब वह अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे तो मुख्य मंत्री जी के एक आह्वान पर बंगाल से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र तक, मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया। जब वह घर तक पहुंचे अपने परिवार से मिले, तो वापस उनका फोन मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आया। उन्होंने कहा कि हम मुख्य मंत्री को, राजस्थान के गांधीवादी नेता को हज़ारों-हज़ारों धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें घर तक पहुंचाया, वह हज़ारों-हज़ारों साल जीयें। आज भी, प्रवासी मजदूर कहीं भी, ज़िलों में रह रहे हैं, उन पर भी अगर किसी तरह का कोई संकट आया, विभिन्न माध्यमों से उन तक भी आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया।

आदरणीय सभापति महोदय, इस त्रासदी में हमने बहुत से राज्यों, प्रदेशों में कोविड महामारी में आक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर एवं कुशल प्रबंधन से राजस्थान प्रदेश में कोविड काल में किसी भी तरह से आक्सीजन की कमी नहीं आने दी। ऐसे समय मैं हमारे जोधपुर लोक सभा के प्रत्याशी रहे वैभव जी

(श्रीमती मनीषा पंवार)

गहलोत का भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। उन्होंने भी इस कठिन समय में आक्सीजन सिलेंडर और आक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जोधपुर की जनता को राहत प्रदान करवाई।

सभापति जी, इन विपरीत परिस्थितियों को सम्भालते हुए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बेहतरीन प्रबंधन से राजस्थान की जनता को हर तरह से सम्भाल रखा है। हमारे राजकीय अस्पतालों में अपनी बेहतरीन सेवाएं जनता को दी हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने की सोच से योजनायें बनाईं।

आपके दूसरे कार्यकाल में जारी मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना को पूरे विश्व ने एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा की योजना माना। इसी कड़ी ने बढ़ते-बढ़ते कोरोना की विषमता को भी राजस्थान में कम करने का कार्य किया।

(समय : 14.15 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस काल में कई लोग जो इस कोरोना की चपेट में आये हैं, हमने उनसे सुना व अखबारों में देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे व्यक्तियों को इस बीमारी के इलाज में 5-6 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि इलाज में इतना भारी-भरकम खर्च सामान्य परिवार को झेलना पड़े तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितनी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उस परिवार में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, घर बिक जाते हैं, महिलाओं के गहने बेचने की नौबत भी आ जाती है। हमने कई प्रदेश में सुना है। माननीय मुख्य मंत्री जी की दीर्घकालीन सोच थी कि यहां हमारे राजकीय अस्पतालों में आम जन को सुलभ इलाज मिला, राजस्थान के कई जनमानस इस विषमता से बचे रहे। यही सब देखते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में यह शब्द निकलते हैं, ''जीवन कई होते आपसे रक्षित, आपके द्वारा कमजोर, असहाय, पिछड़े होते रक्षित। आप हो वह माध्यम, जिसमें गांधी जी के सपने होते लक्षित, गांधी जी के सपने होते लक्षित।''

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने राज्य में जनता के लिए किसी भी क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, उद्योग हो, युवाओं हेतु रोजगार हो, सभी दिशाओं में कल्याणकारी कदम बढ़ाये हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार प्रदान करते हुए

(श्रीमती मनीषा पंवार)

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की, जिसके माध्यम से कई असाध्य बीमारियों का नि:शुल्क इलाज 5 लाख तक, सरकारी अस्पताल के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम है। इस हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुतबहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का विस्तार भी किया गया, जिसमें राजकीय अस्पतालों के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों का भी जो लोग बोझ झेल रहे हैं, उससे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है।

इसके साथ-साथ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के प्रयासों से राजस्थान नये आयाम छू रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अस्पतालों में, आईसीयू बैड, आक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अनेकों जांच हेतु चिकित्सा में सुविधा हो, उपकरण हो, अस्पतालों के विभिन्न भवनों का निर्माण हो, ज़िले में नये मेडिकल कालेज की स्थापना हो, नर्सिंग कालेज की स्थापना हो, इसके साथ-साथ मेडिकल सेवायें भी मजबूत हो रही हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जोधपुर जहां से मैं आती हूं, वहां तीन बड़े अस्पताल हैं, मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी और उम्मेद अस्पताल, यह तीनों अस्पताल जोधपुर के अन्तर्गत आते हैं। जोधपुरवासियों का यह सौभाग्य है कि यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतर बनाया है, जिससे दूर-दराज के प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं पंजाब से भी मरीज यहां सस्ता व सुलभ इलाज की सुविधा लेने आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब जोधपुरवासी अपना इलाज कराने बाहर भी जाते थे। आज कई क्षेत्र में, जोधपुर की चिकित्सा सुविधा इतनी सुलभ हो गई है, जिसका श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी को जाता है। जोधपुर के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां 400 से 500 करोड़ रुपये का व्यय करके, हज़ारों रुपयों का व्यय करके, चिकित्सा क्षेत्र का कायाकल्प हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है।

हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हमारे राजकीय विद्यालयों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अंग्रेज़ी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देती हूं, चाहे जोधपुर का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ हो, बालिका शिक्षा को सम्बल देने हेतु, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना,

(श्रीमती मनीषा पंवार)

अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना करना, जहां 100-200 बच्चे पढ़ते थे वहां 1300 से 1500 बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक नवाचार, शिक्षण स्तर में सुधार हो रहा है।

चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज की स्थापना करनी हो, इसके साथ-साथ नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का निर्णय करना हो, बालिकाएं निर्बाध रूप से अपने क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इसके साथ ही साथ कृषि संकाय खोले गये। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना इस बार मुख्य मंत्रीजी द्वारा जोधपुर में की गयी। 500 से ज्यादा अगर किसी विद्यालय में बच्चे हों तो उसको कालेज बनाने का निर्णय भी इस बार के बजट में मुख्य मंत्रीजी ने किया।

इसके साथ-साथ, प्रतियोगी परीक्षाएं, कोरोना काल में जिस तरह का हाल रहा, उद्योग नहीं रहे, लोगों के पास में नौकरियां नहीं रहीं, लेकिन उस बात को भी ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के बढ़ते कदम न रुक पायें, इसलिए भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप। वाइंड अप।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ में आपको यह धन्यवाद देती हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे वह सीवरेज का मामला हो, चाहे बड़े-बड़े सामुदायिक भवन बनाने हों, हर स्तर पर, कृषि रोजगारों को लेकर, युवाओं के रोजगारों को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर मुख्य मंत्रीजी हमेशा आगे रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा गम्भीर रहे हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने तीन सालों में जो कोरोना काल रहा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी वी.सी. के माध्यम से जो उन्होंने विकास की गंगा राजस्थान में बहाई है, इसके साथ-साथ जोधपुर में बहाई है, वह दुनिया भूलेगी नहीं और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत का नाम लिखा जायेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान। Within five minutes. Be brief.

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।

राजस्थान का यह तीसरा साल और कोई भूखा न सोये, प्रदेश में इससे इसकी शुरुआत हुई और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके हर शब्द टू शब्द अमल हुआ और जिस आशा और विश्वास के साथ गवर्नर साहब ने, राज्यपाल महोदय ने यहां पर पूरे साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, मैं इन दो लाइनों में मुख्य मंत्रीजी की भावना को बयान करना चाहता हूं:-

"बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं,
बड़ा मजबूत है यह धागा, जिसे विश्वास कहते हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वास के साथ पूरे एक साल का लेखा-जोखा यहां पर प्रस्तुत किया और ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, यू.पी. में लाशें तैर रही थीं नदियों के अन्दर, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था, तो ऐसे समय में राजस्थान की सरकार ने जो कोविड प्रबन्धन का एक एग्जाम्पल पेश किया, एक नजीर पेश की। पूरे देश के अन्दर, न केवल देश में ही बल्कि पूरी दुनिया में जब रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही थी, आक्सीजन नहीं मिल रही थी तो हमारे यहां पर एस.एम.एस. अस्पताल में दूरदराज से, यहां तक कि न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर के प्रदेशों के लोग-बागों ने भी यहां आकर इलाज करवाया और राजस्थान की सरकार में विश्वास जताया।

मैं यह कह सकता हूं कि कोविड प्रबन्धन के समय हर तरह की सुविधाएं, 500 बैडेड हास्पिटल को 1400 बैडेड हास्पिटल में तब्दील किया। आर.यू.एच.एस. जैसी जगह जहां पर केवल 300-350 बैड की व्यवस्था थी, वह 1450 बैडेड हास्पिटल में तब्दील किया गया और करीब 1450 लोगों का एट ए टाइम इलाज किया गया, वहां पर भर्ती किया गया। न केवल आक्सीजन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जो पचास-पचास हजार रुपये की दवाइयां थीं, जो पूरे हिन्दुस्तान में ब्लैक हो रही थीं, यहां राजस्थान के अन्दर फ्री आफ कास्ट आम आदमी को, आम पेशेंट को मुहैया करवायी गयीं।

एजुकेशन के सैक्टर में पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल में सरकारी स्तर पर पढ़ाई करवायी जाती

(श्री रफीक खान)

हो। राजस्थान में यह कल्पना की गयी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें, महात्मा गांधी स्कूलों के नाम पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली गईं और मुझे यह कहते हुए खुशी है, फख्र है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जहां 300 बच्चे एक स्कूल में होते थे, आज इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हजार से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और फ्री आफ कास्ट कर रहे हैं। किसी भी बच्चे से एक रुपया फीस का नहीं लिया जा रहा है। फ्री आफ कास्ट स्कूल और फ्री एजुकेशन न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी नजीर नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई सरकार द्वारा फ्री दी जाये और किताबें फ्री दी जायें। हर चीज फ्री, बच्चे को बस एडमिशन करवाने की बात है और 12वीं तक उसको एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसी मिसाल अगर पूरे हिन्दुस्तान में कहीं हैं तो राजस्थान में यह स्थापना की गयी और राजस्थान से इसकी शुरुआत की गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल बल्कि हैल्थ के सैक्टर की बात करें तो चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना वह योजना है जिसकी आम आदमी को जरूरत है, गरीब आदमी को जरूरत है। ऐसे परिवार जिनके घरों में आदमी बीमार होता है, आज के जमाने में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप अपनी जगह पर बैठें। यह गलत बात है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में आज चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। हर परिवार में एक न एक आदमी ऐसा रहता है जिसको बीमारी की दवा पर और उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारी पर खर्च हो जाता है। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना बनी राजस्थान के अन्दर जिसको न केवल राजस्थान में सराहा गया बल्कि बाद में पूरे हिन्दुस्तान में अलग-अलग स्टेट्स ने उसकी कापी की, डिजाइन मंगवाया, हम लोगों से पूछा गया कि चिरंजीवी योजना क्या है, इसमें आप क्या दे रहे हो? पांच लाख रुपये तक की बीमारी का इलाज 850 रुपये की मामूली किस्त के अन्दर एक ऐसी पालिसी बनायी और राजस्थान के हर आदमी को लाभान्वित करने की कोशिश की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के समय में दिल्ली से एग्जाम्पल है कि दिल्ली से एक बच्ची अपने वालिद को लेकर रिक्शा चलाकर बिहार पहुंच गयी और केन्द्र सरकार इस पर जागी ही नहीं। अभी प्रधान मंत्रीजी ने बहुत

(श्री रफीक खान)

चुटकियां लीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में बोले। उन्होंने इस बात को उपहास में लिया कि महाराष्ट्र की सरकार ने वहां से फ्री टिकटें उपलब्ध करवायीं। राजस्थान से एक भी आदमी यहां से गुजरा, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हर आदमी को फैसेलिटी मिली, बसों का इंतजाम हुआ, खाने का इंतजाम हुआ, उसको किसी भी सूरत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहां तक कि जयपुर में हम आगरा रोड पर मौजूद थे, मैं भी था और हमारे मंत्री प्रताप सिंहजी मौजूद थे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उनको चप्पलें, जूते, खाना, सब चीज की व्यवस्था की गयी। ऐसे समय में जब पूरे हिन्दुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, लोग-बाग तैयार नहीं थे एक लम्बे लाकडाउन के लिए, पहला लाकडाउन जयपुर में लगा, राजस्थान में लगा और जब बाद में लाकडाउन हुआ तो वह लाकडाउन बढ़ गया करीब दो महीने तक, ऐसे समय में आदमी, लोग-बाग पैदल चलने को मजबूर हो गये, लेकिन राजस्थान सरकार ने न केवल उनकी व्यवस्था की बल्कि उनके लिए बसें लगाईं और उनको उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ताजा मसला अभी चल रहा है। ताजा मसला चल रहा है हिजाब के ऊपर और बहुत सारी बातें, यह बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जो यहां सदन से अभी नदारद हैं। जय श्रीराम के नारे लगाते हैं, एक अबला लड़की के ऊपर जो कालेज जा रही है। जोर-जोर से नारे लगाते हैं, उस पर खौफ का, भय का, डर का माहौल क्रिएट करते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा सिखाई उन्होंने, भय और खौफ का माहौल बनाना नहीं सिखाया उन्होंने कभी भी। वे रावण से लड़े, यह रावण बनकर आम आदमी से लड़ रहे हैं, एक दिन इनका अन्त भी रावण जैसा ही होगा। जो आदमी अहंकार के रास्ते पर चला जाता है उसका अन्त होना निश्चित है।

प्रधान मंत्रीजी ने अभी लोक सभा के अन्दर कांग्रेस को टुकड़े-टुकड़े गैंग कहकर सम्बोधित किया। पांच राज्यों के इलेक्शन हैं, एक भी राज्य में बी.जे.पी. की सरकार नहीं आ रही है कहीं पर भी। मेरी उत्तराखंड ड्यूटी लगी हुई थी, पूरी मैजोरिटी से उत्तराखंड में सरकार आ रही है। जो आदमी जिस तरह का बोलेगा, उसी तरह का पायेगा और जनता जवाब दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जब-जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी बने और शान्ती धारीवालजी यू.डी.एच. मंत्री बने, तब-तब

(श्री रफीक खान)

गरीबों की सुनवाई हुई। आम आदमी को, गरीबों को आवास मिले तो इनकी पहली सरकार में मिले, दूसरी सरकार में मिले और तीसरी सरकार में प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर में इतने पट्टे बांटे गये, दस लाख पट्टों का लक्ष्य रखा गया। पूरे राजस्थान की हिस्ट्री में आप अगर हिसाब लगाएंगे तो यही वह तीन टेन्योर हैं, जिसमें आम आदमी को अपनी सम्पत्ति का मालिक बनाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को और शान्ती धारीवालजी को जो इन्होंने आम आदमी को उनका आशियाना बनाकर दिया और जिससे राजस्थान की हर जनता का, आम आदमी का विश्वास इनके अन्दर खड़ा हुआ।

आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस होती है, उसके बाद में जब जवाब दिया जाता है तो बहस क्या हुई है, किसने क्या अपनी बात रखी है, उसके बाद में उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे विपक्षी साथियों ने उसमें भाग नहीं लिया, न ही उन्होंने अपनी बात रखी। कोई बहस तो हुई नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूं और किसको जवाब दूं? कोई है ही नहीं यहां पर तो, गायब हैं। बाहर उनकी दुर्गति हो रही है। लोग आ ही नहीं रहे हैं। इन्तजार करा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब आयें, अब आयें, हजार आये, डेढ़ हजार आये, दो हजार आये, तीन हजार आये। बीस-बीस हजार की बातें करते थे। पचास हजार की बातें करते थे। उनकी पोल तो शाम को खुलने वाली है। मालूम पड़ जाएगा कि वह चाहते क्या हैं।

आज देश और प्रदेश में इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं। लोग इन्तजार करते हैं कि जब असेम्बली आएगी तब हमारे मुद्दे उठाये जाएंगे। महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी तो विस्फोटक स्थिति के अन्दर है। बिहार में ट्रेनें जल रही हैं। पहली बार सालों बाद देखा कि ट्रेन जल रही है। समय पर इस पर काबू नहीं किया गया तो पता नहीं युवा किस दिशा में जाएंगे। जब देश के अन्दर हालात यह हों तो सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, उनकी प्रायोरिटी होती है कि उनके मुद्दों को हल कैसे करें और उसके अन्दर कायदा होता है कि पक्ष, विपक्ष अपनी बात रखे। विपक्ष की तो यह ड्यूटी है

(श्री अशोक गहलोत)

कि वह कमियां बतायें। एक साल पहले बजट पेश किया हम लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, वे हमें कमियां बताते कि आपने बजट में ये वायदे किए थे जो साल भर में पूरे नहीं किये। महंगाई बढ़ी, उसमें आप क्या कर रहे हो? बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या सोच है? और भी कई मुद्दे हैं क्योंकि देश में ऐसे हालात कभी मैंने देखे ही नहीं।

आज जो हालात देश में हैं, जो माहौल 75 सालों में जब पंडित नेहरू प्रथम प्रधान मंत्री बने, गांधीजी के सान्निध्य में, जो हमारे अनेकता में एकता वाले मुल्क में जो नीतियां, सिद्धान्त और कार्यक्रम बने, संविधान की स्थापना हुई, डा. अम्बेडकर के सान्निध्य में, वह भावना कहां है? आज खतरे में है संविधान भी और खतरे में है लोकतंत्र भी। यह माहौल देश के अन्दर है। यह चिन्ता पक्ष और विपक्ष सबको होनी चाहिए। इन सबसे बचने के लिए, मेरा मानना है कि उनको मालूम है कि इस बार सत्ता पक्ष के लोग सब जान चुके हैं कि केन्द्र सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही है, किसी को नहीं मालूम है। यह देश किस दिशा में जाएगा, यह कोई नहीं जानता है। यह देश के अन्दर माहौल है। अविश्वास का, अशांति का, तनाव का, हिंसा का माहौल है। यह चिन्ता पूरे देशवासियों को है। इन सबसे बचने के लिए इनके हाईकमान के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तीन साल में ये सरकार के खिलाफ एन्टी-इन्कम्बेंसी पैदा नहीं कर पाये। इनको इस बात की तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए कि लोगों की भावना दो-ढाई साल के बाद पैदा हो जाती है, इस बार इनके लोग भी कहते हैं कि इस बार एन्टी-इन्कम्बेंसी नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये क्या बात बोल रहे हैं। दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आपने तीन सालों में ऐसा निकम्मापन दिखाया कि आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाये। इसलिए उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, इन सबको कह रखा है कि इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ और किसी भी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। असत्य बदनाम करने में तो ये लोग माहिर हैं। इनकी पार्टी माहिर है, इनके नेता माहिर हैं। मार्केटिंग करने का काम कुछ करो या नहीं करो, मार्केटिंग इतनी शानदार करेंगे कि देश को गुजरात मॉडल दिखने लग जाएगा। सबको मालूम है कि क्या-क्या नहीं किया। कैसे सत्ता में आ गये, इस स्थिति में हम चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी विकट है। अब जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे उन पर बहुत हंसी आती है कि अब रीट की परीक्षा को लेकर बात करते

(श्री अशोक गहलोत)

हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनकी मंशा रीट की परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की नहीं है। इनका मतलब है कि साल भर तक यह जांच पूरी नहीं हो और बच्चों के एग्जाम, नौकरी लगनी है, जो अभी लगने वाली थी, वह साल भर टल जाये और सरकार को बदनाम करें कि आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, यह इनकी मंशा है। अध्यक्ष महोदय, यह इनका षड्यंत्र है क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं। एक तो अभी पांच-सात दिन पहले 09 फरवरी को लोक सभा के अन्दर नागौर के माननीय सांसद ने सवाल पूछा कि कितने केसेज सीबीआई के राजस्थान से पिछले दस सालों में दिये गये? हनुमान जी बेनीवाल ने पूछा सवाल। जवाब दिया गया कि दस साल में 37 केस मिले। सिर्फ 02 में इन्वेस्टिगेशन हुआ। 07 क्लोजर हो गये और 27 ट्रायल की स्टेज पर हैं और 01 दोषमुक्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप बताओ। अभी हमने केस दे रखा है कि पाली के मनोहर राजपुरोहित की गुमशुदगी का। जोधपुर के लवली कण्डारा एनकाउंटर का। अलवर में विमंदित बालिका का। इनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया और इनमें अभी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले दस दिन में, हम चाहेंगे कि अगले चार-छह महीने में बच्चों की नौकरी लगनी शुरू हो जाये। 32 हजार नौकरियां हमने निकाली थीं। पहले 20 हजार बढ़ायीं। फिर 10 हजार और बढ़ा दीं। कुल 30 हजार बढ़ा दीं यानी कि 62 हजार नौकरियां लग रही हैं। ये 62 हजार नौकरियां रुके कैसे, लग नहीं पायें इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 10-15 साल से, कभी हाई कोर्ट में, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से नौकरियां रोकने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या इनकी मांग उचित है। कटारियाजी नेता प्रतिपक्ष तो हैं, पर साथ में एक शिक्षक भी हैं। उन्होंने खुद ने कहा, परसों मैं उनका स्पीच सुन रहा था घर से, कि मैं शिक्षक हूं और मुझे मालूम है कि सीबीआई में बहुत वक्त लगता है। एसओजी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो फिर आप समझाओ अपने हाईकमान को, कि आप हम लोगों को मुद्दा गलत पकड़वा रहे हो। अच्छा काम कर रही है, सर्टिफिकेट दे दिया एसओजी को। मैंने खुद ने देखा जब पहला स्टेटमेंट उनका आया था और जैसे ही वह जयपुर आये, ऊपर से दबाव पड़ा तो पलट गये। नेता प्रतिपक्ष को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वह सही बात सही बात कहें। किस तरह से ये सब मिलकर मांग कर रहे हैं, किस ढंग से बच्चों की नौकरी नहीं लगे। इसलिए मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप उनकी चाल को समझ

(श्री अशोक गहलोत)

जायें, पर्दाफाश करें उसका और जिस रूप में इन्होंने सदन को डिस्टर्ब कर रखा है, माननीय राज्यपाल महोदय का स्पीच चल रहा था, आपने राज्यपाल महोदय को इशारा भी किया, उन्होंने आपकी बात को तवज्जो देकर इनसे रिक्वेस्ट की। उसके बावजूद भी इन्होंने परवाह नहीं की क्योंकि इनका तो एजेंडा है, उसको इनको आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार को असत्य बदनाम करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सीबीआई को ट्रायल दिलाकर ये कम से कम एक साल बर्बाद करना चाहते हैं। पता नहीं, फिर किस तरह से केस को लाएंगे। अध्यक्ष महोदय, एसओजी ने बहुत शानदार काम किया।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस दिन से इत्तिला मिली, यह पहला केस है देश के अन्दर, आप देखिए कितनी जगह पर दूसरे राज्यों में परीक्षाएं, गुजरात में कितने पेपर लीक हुए हैं। गुजरात में नोन सेक्रेटेरिएट क्लर्क, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर, मध्य प्रदेश में एस.डी.ओ., आर.ए.ई.ओ. और नर्सिंग भर्ती परीक्षा, यू.पी. में दारोगा भर्ती, यू.पी. में ही यू.पी.पी.सी.एल. भर्ती, यू.पी. लोअर सर्बोडिनेट परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी, यू.पी. पी.ए.टी., यू.पी. टी.ई.टी. परीक्षा और केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित यू.जी.सी. नेट 2021, नीट परीक्षा, एस.एस.सी. सी.जी.एल. भर्ती, थल सेना में जनरल ड्यूटी, ये परीक्षाएं हैं, जिनमें सब जगह पेपर लीक हुए देश भर के अन्दर। इसकी तह में जाना चाहिए कि कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, ये क्यों स्थिति बन रही है देश के अन्दर कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, गैंग बन जाती है। यह स्थिति क्यों बन रही है? कुछ कारण होंगे, युवाओं के अन्दर फ्रस्ट्रेशन होगा। जो हालात बन गये हैं देश के अन्दर, जिस प्रकार का माहौल बनता है, उस प्रकार का बिहेव जनता करने लग जाती है। माहौल बनाने वाले दोषी कौन हैं? एन.डी.ए. गवर्नमेंट है और बीजेपी है, बर्बाद कर दिया देश को। पूरा देश चिन्तित है। इन्दिरा गांधीजी ने जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गये, सरदार बेअंत सिंहजी शहीद हो गये। एक तरफ तो त्याग और बलिदान की कहानी आजादी के पहले की और बाद की हमारे साथ में है और यह लोग 70 साल में क्या किया, जुमला बोल देते हैं, क्योंकि इनकी तो सोच ही अलग तरह की है।

इनकी सोच तो ऐसी है कि अभी कोरोना आ गया, दुनिया चिन्तित हो गयी, क्या होगा और हमारे केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल जी कहते हैं

(श्री अशोक गहलोत)

भाभीजी पापड़ खाओ, इससे आपका कोरोना चला जाएगा। ऐसी सोच वाले यह लोग हैं। गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब कहते हैं बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है, अगर यह बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खतम हो जाएगा तो वह टाइम पर अस्पताल में नहीं जाएगा तो मर जाएगा। कई लोग तो मर गये। इनकी बेवकूफियों से कई लोग मर गये हैं, किसी को नहीं मालूम है। यह पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फुड़वा रहे हैं, बताइए आप। कभी ताली बजती है, कभी थाली बजती है। देश के अन्दर क्या हो रहा है?

ब्लैक फंगस, क्या भयंकर बीमारी आयी। ब्लैक फंगस के 500 पेशेंट यहां आ गये। आधा चेहरा खराब हो जाता है, क्या-क्या नहीं हुआ, मैं तो अस्पताल के अन्दर देखकर आया था। हम लोगों ने शानदार काम किया उस समय।

मैं निवेदन कर रहा था आपको दूसरे राज्यों में सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं सी.बी.आई. की मांग नहीं हो रही है। वह जानते हैं कि हम लोग लेट हो जाएंगे। हमारे प्रदेश के अन्दर बीजेपी सरकार थी इनके टाइम में आर.ए.एस. 2014 परीक्षा, आर.जे.एस. परीक्षा 2014, एल.डी.सी. परीक्षा 2014, आर.पी.एम.टी. परीक्षा 2014, जेल प्रहरी परीक्षा, सैकण्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, आई.टी.आई. सैकण्ड सेमेस्टर परीक्षा 2017, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018, रीट परीक्षा 2016, रीट परीक्षा 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वार्षिक परीक्षा का पेपर, इतने पेपर लीक हुए बीजेपी के राज के अन्दर। इनसे पूछो आपका कॉन्सियस कैसे अलाउ करता है इतना असत्य बोलकर राजनीति करने का। आप असत्य बोल रहे हो, यह मेरी समझ के परे है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार चाहती है कि नौकरियां लगे। एक लाख नौकरियां हम अभी तक लगा चुके हैं और करीब एक लाख नौकरियां और देने का काम चल रहा है। वह प्रक्रिया के अन्दर है और अभी बीस हजार नौकरियां और बढ़ा दी हैं। एक लाख से अधिक नौकरियां तो प्रक्रियाधीन हो गयी हैं। एक लाख लग चुकी हैं। इनको पूछो आपके वक्त में कितनी नौकरियां लगी हैं तीन साल के अन्दर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रूप में यह जो तमाशा कर रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किये। मैं जानता हूं आप स्पीकर सब माननीय सदस्यों के हैं, पर साथ में आप कस्टोडियन होने के नाते आप अपना फर्ज समझते हैं कि किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर

(श्री अशोक गहलोत)

हाउस के अन्दर बिजनस हो और पब्लिक इंटरेस्ट के अन्दर में बहस हो। उसमें इनकी रूचि नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं इनके ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जिस रूप में मुद्दे उठा रही है, बजट पेश कर रही है, कोरोना के बावजूद भी हमने कोई कमी नहीं रखी। कोरोना के बावजूद आप देख लीजिए कि जो बजट पेश किया, प्रदेश के सभी लोगों ने उसको एप्रीशिएट किया था और खाली बजट की घोषणा नहीं की मैंने, बल्कि आप सबको मालूम है कि अधिकांश घोषणाएं पूरी हुई हैं। 70 प्रतिशत तो घोषणा पत्र पूरा हुआ तीन साल में, 80 प्रतिशत के आस-पास सैंक्शन निकल गयी, काम शुरू हो गये। चाहे वह सड़कों के हों या पानी के हों, बिजली के हों या कोई तहसील खोलने की बात हो, कालेज खोलने की बात हो, नगरपालिका बनाने की बात हो, अधिकांश काम जो हमारे साथियों ने मुझे दिए, अधिकांश काम प्रारम्भ भी हो गये, लागू भी हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पण्डित नेहरूजी के जमाने से ही इस देश का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधान मंत्री मिला दूरदृष्टि वाला, जिसने उस जमाने में कल्पना कर ली थी कि देश का भविष्य क्या होगा। उसी समय बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े कल-कारखाने आये और साथ में वह संस्थाएं आयीं जो विश्व के अन्दर प्रतिष्ठित थीं, चाहे वह आई.आई.टी. की तरह थी, आई.आई.एम., एम्स, यह नेहरू जी का विजन था, डी.आर.डी.ओ., आई.सी.ए.आर., इसरो, पी.जी.आई., एस.एम.एस. जैसे हास्पिटल, यह भी उस समय बने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस जमाने के जो फैसले हुए, उसके कारण आज देश वर्तमान स्थिति में पहुंचा है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में। प्रधान मंत्री जाते हैं दुनिया के मुल्कों में, उनका सम्मान होता है। वह सम्मान इसलिए होता है कि 70 साल में आपका देश कहां का कहां पहुंच गया है, सम्मान इसलिए होता है। इसलिए नहीं होता कि आपने असत्य वादे किये और प्रधान मंत्री बन गये, इसलिए सम्मान नहीं होता उनका। यह उनको खुद को भी समझना चाहिए, जो वह समझ नहीं पा रहे हैं, वह खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बन गया है आर.एस.एस. और बीजेपी का, उस माहौल में वह उड़े जा रहे हैं और समय आने पर पब्लिक उनको आईना दिखाएगी कि आप क्या भाषा बोल रहे थे, इण्डिया गेट पर क्या बोल रहे थे, डंके की चोट पर हम बताएंगे कि 70 साल में कमियां क्या रहीं। ऐसी सोच रखने वाले देश के

(श्री अशोक गहलोत)

अन्दर क्या इतिहास बनाएंगे? इतिहास को आप सही परिप्रेक्ष्य में रखोगे उस पब्लिक के सामने, तब आप खुद इतिहास बनाने के काबिल बनोगे। कमियां बताओगे, उपलब्धि नहीं बताओगे, यह उनकी सोच है। आप समझ सकते हैं कि यह किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सोच आपको मालूम है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथियों को कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी जो मांगा वह दिया। मैंने कालेज खोले। मैं कम्पेयर करूंगा तो टाइम लग जाएगा कि बीजेपी शासन में क्या-क्या किये गये, इनके टाइम में पांच साल में 81 कालेज खोले गये थे पांच साल में और हमारे वक्त में 123 कालेज खोल दिये तीन साल के अन्दर ही। यह सारे आंकड़े मेरे पास में हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। स्कूलें क्रमोन्नत की गयीं, प्राइमरी स्कूलें खोली गयीं, मॉडल स्कूल बनाये गये कस्तूरबा गांधी, उन्होंने पांच वर्ष में एक विद्यालय बनाया, हमने बीस विद्यालय बना दिये। सब कुछ किया और नीति आयोग ने खुद ने 2019-20 की परफोर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को A+ दिया है। इंस्पायर अवार्ड में 2020-21 में राजस्थान प्रथम रहा इसमें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गोविन्द डोटासराजी बैठे हुए हैं, यह तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, इनकी खुद की सोच थी कि बच्चों को इंग्लिश सिखायी जानी चाहिए। जमाना बदल गया, हम ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी में जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि 562 इंगलिश मीडियम स्कूलें खुलीं। इससे आप अन्दाज लगा लीजिए कि किस प्रकार से हमने इंग्लिश स्कूलों की शुरुआत की है और पांच हजार की आबादी वाले गांवों को हमने टार्गेट बनाया है, अगला बजट आयेगा तो हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश स्कूलों के माध्यम से एक क्रान्ति आ रही है राजस्थान के अन्दर। आप महसूस करोगे 10-15 साल के बाद में किस प्रकार से आपके परिवार के बच्चे, गांवों के परिवार के बच्चे, उनकी जुबान पर इंग्लिश रहेगी हिन्दी के साथ-साथ में। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस रहेगा। जमाना बदल गया है, आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है। एक प्रकार से इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा बन गयी है। राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आप कान्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। मैं नहीं बोल सकता, मैंने बचपन में इंग्लिश का विरोध किया था। उस समय माहौल ऐसा ही था। दक्षिण वाले विरोध करते थे हिन्दी का और हम विरोध करते थे इंग्लिश का। कोई इंग्लिश का बोर्ड हो तो जला दो। उस जमाने में यह था कि इंग्लिश क्या काम आयेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

बाद में मालूम पड़ा कि इंग्लिश क्या काम आती है तो हमने, खुद ने शिक्षा मंत्री जी को सपोर्ट किया। राजस्थान देश के अन्दर पहला राज्य होगा जहां गांव-गांव में इंग्लिश स्कूलें खुल रही हैं। जितनी आप मांगोगे, उतनी आपको मिलेंगी। इंग्लिश वाले टीचर्स की भर्ती भी होगी। इसके लिए कुछ भी करेंगे। राजस्थान में मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज शानदार बनें, चहुंमुखी प्रतिभा वाला बने, यह मेरी सोच है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी ओर हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बन्द करने वाले लोग हैं। 2 यूनिवर्सिटीज बन्द कर दीं। स्कूलें खूब सारी बन्द कर दीं। मैं समझता हूं कि बलवान पूनिया ने ठीक कहा कि जहां शिक्षा कम है वहां भाजपा ज्यादा है। इसी कारण यह एप्रोच यह रखते हैं कि शिक्षा का क्या मतलब है। जहां शिक्षा कम है वहां भाजपा ज्यादा है, यह भादरा के बलवान पूनिया ने भी कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान वह नहीं रहा है। आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। राजस्थान में आईआईटी आ गयी, आईआईएम उदयपुर में आ गया, ट्रिपल आईटी कोटा में आ गयी। एम्स जोधपुर के अंदर आ गया। विश्वविद्यालयों की तो झड़ी लगी हुई है। 20 साल पहले, अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरे साथ में मंत्री थे, तब हमने प्राइवेट सेक्टर को देने की शुरुआत की थी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज, नर्सिंग कालेजेज, एम्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। आज राजस्थान का सिनेरियो बदला हुआ है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर में उनको हमने अलाउ किया। उनको प्रोत्साहन दें क्योंकि सब काम सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर मिला है तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे जो पहले महाराष्ट्र में पुणे के अंदर जाते थे, कर्नाटक के अंदर, वह नौबत करीब-करीब खतम हो गयी। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारी सोच है और इनकी सोच क्या है, वह आज राजस्थान प्रदेश की जनता जानती है।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सेवा सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर है। आपको याद होगा कि मैंने शुरू से ही इस पर जोर दिया है कि किस प्रकार से फ्री मेडिसिन हों, किस प्रकार से टेस्ट फ्री हो जायें। मुझे खुशी है कि राजस्थान देश में सबसे अग्रणी राज्य है जहां पर टेस्ट फ्री भी हैं और साथ में मेडिसिन भी फ्री रखी हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने 2019 के अंदर 'निरोगी राजस्थान' की शुरुआत की थी। प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक व्यक्ति को कम से कम मेडिसिन की जरुरत पड़े, इस ओर भी हमने लांचिंग अच्छे ढंग से की थी। बड़े-बड़े डाक्टर्स को बाहर से बुलाया। 'निरोगी राजस्थान' की, पहला सुख निरोगी काया को ध्यान रखते हुए, तो जो हमारी तैयारी थी वह कोरोना में काम आ गयी।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने काम किया, मेरे तमाम साथी जानते हैं। हमने तमाम पालिटिकल पार्टियों को, धर्म गुरुओं को, एनजीओ को इसमें साथ लिया। आम जनता ने साथ दिया। एक माहौल बन गया। कोई भूखा नहीं सोये, उसके हिसाब से सब लोगों ने अपना धर्म निभाया। कैसी भी प्रोब्लम आ गयी, पहली लहर में, पहले फेज में लोग चिन्ता कर रहे थे कि अस्पतालों में अन्दर कैसे जायेंगे। नर्सेज हों, डाक्टर्स हों, वह भी गये। हमने बहुत शानदार तरीके से उसका मुकाबला किया।

हमने शानदार पैकेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में 50 हजार रुपये का कहा। हमने पहले से ही, जो आर्फन हैं, उनको 1 लाख रुपये, 2500 रुपये प्रति माह की उसको पेंशन लो और 18 साल होने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। जो हमारी विधवा बहनें हैं, उनको भी 1 लाख रुपये और 1500 रुपये की पेंशन ताजिन्दगी मिलेगी। इस प्रकार से हमने आगे बढ़कर सब बच्चों के लिये भी व्यवस्था की कि कैसे वह अपनी जिन्दगी आराम से गुजार सकें। राजस्थान के अन्दर शानदार पैकेज मिला है। उसी रूप में हमने जो कुछ भी उस समय सम्भव हुआ, चाहे चार्टर्ड प्लेन मुम्बई में भेजना पडा हो, भेजा हमने कि एक दिन की देरी भी क्यों हो। दवाइयां नहीं हैं, कल को एक आदमी की जान भी न चली जाये, उस रूप में हमने काम किया। वह हमें अभी भी याद है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हम पीएचसी, सीएचसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी में, मेडिकल के अन्दर कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में मेडिकल के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूती लायें। आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि राजस्थान में सब तरह की सुविधाएं हों। जिस रूप में हमने तैयारी की, तब डब्ल्यूएचओ को भी राजस्थान के मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ी थी।

आज चिरंजीवी योजना आयी है। यह योजना अपने आपमें एक अभिनव प्रयोग है। इसमें हमने आयुष्मान भारत की तरह रखा नहीं है कि इस

(श्री अशोक गहलोत)

कैटेगरी के लोग ही आयेंगे, पूरे प्रदेशवासी इसमें फ्री आफ चार्ज भाग ले सकते हैं। 5 लाख रुपये का बीमा भी होगा। 850 रुपये कुछ लोगों से जो भी इनकम टैक्स पेयर्स वगैरह हैं उनसे। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 6 लाख लोगों का इलाज हो चुका है। 900 करोड़ के आसपास पेमेण्ट हुआ है। यह बहुत ही शानदार योजना है। मैं हाउस के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने-अपने क्षेत्रों में, प्रदेश में जहां भी आपका सम्पर्क है, वहां देखें कि एक भी व्यक्ति छूट नहीं जाये। प्राइवेट हास्पिटल्स में बड़े बिल बनते हैं तो उनको तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि इसमें हमें आगे आकर के भाग लेना चाहिए। इस रूप में इस स्कीम को और मजबूत करना चाहते हैं। बाकी सीएचसी, पीएचसी, सब-सेण्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल सबमें हम लोग चाहेंगे कि मजबूती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास आक्सीजन पहले 200 मैट्रिक टन मुश्किल से थी, आज हमने 1000 मैट्रिक टन आक्सीजन का इन्तजाम कर दिया है। आक्सीजन बैड्स पहले हमारे पास 5900 थे, अब हमने 28 हजार कर दिये हैं। आईसीयू बैड्स 1200 थे, अब 6000 कर दिये हैं। जिनकी जरूरत पड़ती है। बच्चों के आईसीयू 665 थे, अब हमने 1600 कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हर जिले में मेडिकल कालेज खुल रही हैं और साथ में इन्फ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है कि हमने शुरू से ही किस प्रकार किसानों को प्रायोरिटी दी है। अब पता नहीं भारत सरकार तो किसानों की आमदनी कब दुगुना करेगी। सबको इन्तजार है। जैसे अच्छे दिनों का इंतजार था, उसी तरह का इन्तजार दुगुना करने का है। कब करेंगे और कब फायदा मिलेगा? लेकिन हमने जिस रूप में वादे पूरे किये हैं, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि आज हमने किसानों को 'किसान मित्र ऊर्जा योजना' 1000 रुपये प्रति माह दिए हैं। पिछली सरकार ने 837 रुपये दिये थे। बिना बजट के, चुनाव के वक्त घोषणा कर दी थी। हमने बढ़ाकर, प्रोपर वे में बजट में रखा। अब किसान को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। हमने आते ही किसानों के 14 हजार करोड़ रुपयों के कर्जे माफ किये।

(श्री अशोक गहलोत)

(समय: 15.00 बजे)

केन्द्र सरकार की जो बैंकें हैं उसके लिए लगातार दबाव बनाये रखते हैं कि आप वन टाइम सैटलमेंट करो। अगर आप विजय माल्या, नीरव मोदी और नया कल-परसों आ गया है एबीजी शिपयार्ड, अगर इनके 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, गायब। सिंगापुर, कोई लन्दन और बाकी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यदि एनपीए होता है बैंकों में, उनमें करोड़ों में होता है। कहां तो एक तरफ करोड़ों-अरबों रुपये एनपीए समाप्त, सैटलमेंट और कहां हम कहते हैं कि किसानों का सैटलमेंट करो, उनका हिस्सा हम देंगे आपको, क्या दिक्कत आ रही है? आप सैटलमेंट करने के लिए आगे आओ, जैसे इंडस्ट्री के लिए आते हो, जो हिस्सा किसान का होगा वह हम चुकायेंगे। कर्जा माफी हो गयी, वो नहीं है, इनको तो किसानों को भड़काना है, वादा किया, वादा खिलाफी करनी है। दो साल से, तीन साल से यही बोले जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको कहा कि ये असत्य बोलने में तो माहिर हैं और उसी रूप में इनकी दुकानदारी चल रही है पूरे देश के अन्दर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने लघु सीमान्त किसानों को भी, जो 75 साल के हैं, उनको 1500 रुपये पेंशन हम अलग से दे रहे हैं। यह नई स्कीम मैंने शुरू की थी 2019 के अन्दर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिन में बिजली 15 जिलों में शुरू हो गयी है, बाकी हमारा प्रयास आगे के लिए भी है। 2,54,000 कृषि कनेक्शन दे दिये हमने तीन वर्ष में और बीजेपी में पांच साल में दिये थे 2.62,000, हमने तीन साल में 2,54,000 कनेक्शन दे दिये हैं।

50,000 हैक्टेयर में ड्रिप इर्रिगेशन, 1.12 लाख हैक्टेयर में फव्वारा सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर का 47 किलोमीटर री-लाइनिंग का काम, बहुत बड़ा काम है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से चाहे इर्रिगेशन के काम हों, चाहे वो पीएचईडी के काम हों, उनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जेजेएम स्कीम में हमारा विशेष फोकस है क्योंकि राजस्थान में हमेशा पेयजल और इर्रिगेशन की समस्या बनी रही है, क्योंकि हमारे यहां बारहमासी नदियां नहीं हैं, इसलिए तकलीफ आती ही आती है। पानी के महत्व को समझते हुए मैं समझता हूं कि जेजेएम स्कीम में हमने भारत सरकार से मांग की थी कि आप 50-50 परसेंट की बजाय 90-10 करें, जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए होता है, पर

(श्री अशोक गहलोत)

उनकी नीयत ठीक नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, जल शक्ति मंत्री, उनका राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं है, चाहे हम कितनी ही मांग कर लें। ईआरसीपी की, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो वसुन्धराजी के समय बना हुआ था, उसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। प्रधान मंत्रीजी ने वादा किया, मंत्री हमारे यहां के हैं, पर उसके लिए वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, न उसके लिए करेंगे, न वो 90-10 के फार्मूले पर करेंगे, इसीलिए आज तकलीफ हो रही है। अभी 5-7 दिन पहले ही केन-बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी की है, उसके लिए 44,000 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये। 44,000 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये, क्योंकि चुनाव आ रहे थे यूपी के अन्दर और यह योजना पहले की है केन-बेतवा, अभी तक कर नहीं रहे थे, अब कर दिया उसको। राजस्थान की तरफ ध्यान दे नहीं रहे। अगर हम दबाव बनायेंगे तो हो सकता है कि चुनाव आने से पहले-पहले इनको ईआरसीपी की भी कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो 13 जिलों के लोग सबक सिखा देंगे, 13 जिलों के लोग सबक सिखा देंगे, उनमें जयपुर भी आता है, प्रताप सिंहजी। 13 जिलों में 82 विधान सभा क्षेत्र हैं 82, इनको, प्रतिपक्ष को मैं आगाह कर रहा हूं, है नहीं तो भी आगाह कर रहा हूं ताकि बात पहुंच जाये। 82 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे? राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जयपुर में किया, फिर अजमेर में किया, दो मीटिंगों के अन्दर, चुनाव चल रहे थे तब तो और चुनाव हो गये तो भूल गये उसको। हम कह रहे हैं कि आपको तकलीफ क्या हो रही है? अगर आप और जगह कर सकते हो तो आप राजस्थान के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? यहां तो सदियों से हम तकलीफ में हैं, 25 सांसद दे दिये प्रदेशवासियों ने इनको, जनता ने क्या गुनाह किया 25 सांसद देकर, प्रधान मंत्री मोदीजी? फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हो इसको?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन भी बहुत शानदार योजना है, बड़ी योजना है तो वाहवाही लूट रहे हैं, इनको पूछो 45 परसेंट आप दे रहे हो, 45 परसेंट हम दे रहे हैं, 10 परसेंट जनता से मांग कर रहे हैं, तो आपकी योजना कैसे हो गयी? इतना मीडिया इनके प्रभाव में है, ये हमारे साथी बैठे हैं मीडिया वाले, दबाव में हैं ये लोग, इनके मालिक लोग तो पूरे दबाव में हैं कि कब इनकम टैक्स, कब ईडी, कब सीबीआई पहुंच जाये इनके यहां पर,

(श्री अशोक गहलोत)

इसलिए सब डरे हुए हैं ये लोग, ये मेहनत करते हैं यहां, बाहर आकर बाइट लेते हैं, पर जब आफिस जाते हैं तो पता नहीं वह न्यूज छपेगी या नहीं छपेगी इनकी। इनको भी मालूम है, इशारा होता है ऊपर से, उसी तरह की न्यूज छपती है, उसी तरह से टीवी बोलता है, दिखाता है। हमें मालूम है यह बात, ये भी जानते हैं, इसलिए 25 सांसदों की भूमिका भी कटघरे में है। पता है वो क्या करेंगे राजस्थान के लिए, पता है हम लोगों को, कोई मतलब नहीं। जोधपुर लिफ्ट परियोजना का है, गुढ़ामालानी के लिए जो स्कीम बननी है, झुन्झुनूं के लिए जो स्कीम बननी है, जायका में, ये तमाम योजनाएं हैं, ये जल शक्ति मंत्रालय में आती हैं, मंत्रीजी को चाहिए कि खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करो राजस्थान के लिए, एक काम तो कर दो, एक काम भी बता दो कि मैंने यह काम राजस्थान के लिए किया, बतायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की बात बहुत की जाती है कि कानून-व्यवस्था बहुत खराब है राजस्थान के अन्दर। मैं यह तो नहीं कहना चाहूंगा कि दूसरे राज्यों में कितने रेप हो रहे हैं, कितने क्राइम बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार बनते ही जो स्टेप उठाये थे, मुझे याद है कि सरकार बनने के छह महीने के अन्दर मैं पीएचक्यू में गया, हमने चार-पांच निर्णय किये थे। एफआईआर कम्पलसरी हो, यह कोई मामूली बात नहीं है। पूरे कंट्री में राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां थाने पर कोई जायेगा तो एफआईआर लॉज करनी ही पड़ेगी, वरना पहले भगा देते थे व्यक्ति को। अगर वो नहीं करेगा तो एसपी आफिस करेगा। उसका परिणाम यह रहा कि 18 थानाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। अब सब लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।

महिलाओं के लिए अलग से यूनिट बनायी हम लोगों ने, डीवाईएसपी और उसके बाद में एडीशनल एसपी रैंक का आफिसर लगाया हर जिले के अन्दर, केस आफिसर स्कीम के अन्दर ट्रेकिंग हो सके किसी हीनियस क्राइम की, उसको हमने शुरू किया। लीगल आफिसर लगा रहे हैं हीनियस क्राइम के मामलों में, ताकि लीगली कोई कमी नहीं रह जाये, तफ्तीश के अन्दर भी और चालान पेश करने के अन्दर भी, यहां तक हमने ध्यान दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके परिणाम भी हमारे सामने आये हैं, जो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। सीआरपीसी के माध्यम से 156(3) में कोर्ट से एफआईआर आती थी पहले, आदेश आते थे एफआईआर

(श्री अशोक गहलोत)

दर्ज करने के, 33 परसेंट, वो हमारे निर्णयों के बाद में 16 परसेंट पर आ गये। 33 परसेंट से 16 परसेंट पर आ गये हम लोग। महिला अत्याचारों के अनुसंधान में समय पिछली गवर्नमेंट के वक्त में लगता था 274 दिन, अब लगता है सिर्फ 79 दिन, अब सिर्फ 79 दिन लगते हैं, 79 दिन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, थानों में हमने स्वागत कक्ष बनवाये कल्चर बदलने के लिए, फर्नीचर के लिए काम भी शुरू हो गया, 711 थानों में स्वागत कक्ष बन गये हैं, कुछ में बाकी रह गये, जो बन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉस्को कोर्ट में 3 साल में 6 लोगों को तो फांसी की सज़ा हुई है, 137 को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। इतिहास में आज तक कभी इतने जल्दी फैसले नहीं हुए। एक-एक घटना का मेरे पास है, टाइम लग जायेगा पूरे को सुनाऊंगा तो, सुना नहीं सकता उनको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी के लिए मैंने पहले भी कहा था, उन आंकड़ों को भी तोड़-मरोड़कर बताया गया यहां पर, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने कोट कर दिया अपनी किताब पर। अपराध समाज में विद्‌यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अन्तर है। कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, जो बहुत ही क्रेडिबल संस्था है उसका कोट मैंने पढ़कर सुनाया है आपको। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर 2019 से 2020 के बीच में राजस्थान में अपराध कम हुए हैं। आप एनसीआरबी के डाटा वाली किताब पढ़ें, मालूम पड़ जायेगा आपको। किताब उपलब्ध है और इंटरनेट पर भी होगी साथ में। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार पूरे देश के अन्दर जो वृद्धि हुई है आंकड़ों की, उसमें आप देख लीजिये। 2019 से 2021 का डाटा अभी आया नहीं है एनसीआरबी का, 6 महीने बाद में आता है। 2019 और 2020 में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई है पूरे देश के अन्दर। गुजरात में 62 परसेंट वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 4.66 परसेंट वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 8.19 परसेंट हुई है। हरियाणा में 15.67 परसेंट। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर -14.46 परसेंट हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और ये हमारे साथी पिछले सालभर से बोल रहे हैं, ''क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, राजस्थान में रेप हो रहे हैं''। घटनाएं तो हिन्दुस्तान भर में हो रही हैं, पर कितनी त्वरित गति से अपराधी पकड़े जा रहे

(श्री अशोक गहलोत)

हैं, चालान पेश हो रहे हैं। ये जो सात घटनाएं मैंने बतायीं आपको, फांसी की सजाओं का और 137 आजीवन कारावास का, यह इसका परिणाम है कि टाइमली किस प्रकार से हम लोगों ने उसे ट्रैक किया है कि दर्ज होने के बाद में, चालान पेश होने के बाद में भी तब जाकर टाइमली सज़ा हुई है। कहीं दस दिन में हुई है, कहीं एक महीने में हुई है। इस प्रकार से सज़ाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखण्ड में भी 2019 की तुलना में 2020 में अपराध के प्रकरण बढ़े हैं। कहने का मतलब, राजस्थान में घटे हैं, इस बात को ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहूंगा कि कानून-व्यवस्था पर हमारी पूरी तवज्जो है और मैं समझता हूं कि रेप का आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम है और सोच समझकर लगाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक कोट करना चाहूंगा, अलवर में जो बालिका के साथ में, डैफ एंड डंब बालिका थी, दुर्घटना से राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उसका नाम बलात्कार का दे दिया। ठीक है। हमने कहा, जांच सीबीआई से करवानी है, सीबीआई से करवा लें। अब इन्हें चाहिये, सरकार इनकी है केन्द्र में, जायें दिल्ली में। सीबीआई ले क्यों नहीं रही केस को? आपने मांग की थी, हमने मांग पूरी कर दी आपकी। केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। वे ले क्यों नहीं रहे हैं? वह जिम्मेदारी किसकी है? इनकी नहीं है क्या? कटारिया जी हों, चाहे आपके पूनियां जी हों, राठौड़ साहब हों, जो भी साहब हों, कई साहब बैठे हैं वहां पर। इतने साहब इकट्ठे हो गये हैं कि साहबों का सरदार कौन होगा, यह पता नहीं किसी को।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने उस वक्त कहा था, आप क्यों बिना मतलब बलात्कार, बलात्कार की बात करते हैं? इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, यह मेरा स्टेटमेंट उस वक्त का है, जब यह घटना हुई थी। मुझे मालूम पड़ा था कि डाक्टर की रिपोर्ट आ गयी है। कोई रेप हुआ ही नहीं है उसका, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि रेप हो गया। क्या बीतेगी उस परिवार पर?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा, यह जो कृष्णाप्पा बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको, "Rape is not merely a physical assault; it is often destructive of the whole personality of the victim.", यानी

(श्री अशोक गहलोत)

बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। अध्यक्ष महोदय, रेप हुआ ही नहीं, आप रेप-रेप चिल्ला रहे हैं। फिर भी हमने कहा, कोई बात नहीं, जांच करवा लें सीबीआई से। आप करवाइये जांच, कौन मना कर रहा है आपको? मालूम पड़ जायेगा। उसके लिए पता नहीं गायब हो गये सब लोग। ये सब बातें मैं सुनाता इनको। इनको मालूम था, मैं क्या-क्या सुनाऊंगा, इसलिए भाग गये यहां से।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे लॉ एंड आर्डर की स्थिति हो, चाहे क्राइम की स्थिति हो, हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग मिले और सख्त से सख्त सज़ा कैसे अपराधियों को मिल सके, उस पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के मामले में आप समझ लीजिये कि मेरी भावना क्या है। हमारे अधिकांश माननीय सदस्यगण एक सड़क, दो सड़क, पांच सड़क की ही बात करते हैं और मैंने पहले भी काफी कुछ करने का प्रयास किया है। एमएलए को दिये हैं, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगरपालिकाओं को भी अलग दिया। बाकी स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट, मेजर रोड्स, सब-कुछ किया। तीन-तीन सड़कें हर जिले से मंगाते हैं हम लोग, कलेक्टर से भी कि संयुक्त रूप से कौन-सी वर्स्ट सड़कें हैं। यह हमने किया था। यह मेरी प्रायोरिटी आज भी है, कल भी रहेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसका कारण भी है। अध्यक्ष महोदय, सॉरी, मैं पीछे देखने लग गया, उसका कारण यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी का कहना था, "अमेरिका में सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं, क्योंकि यह एक विकसित देश है, बल्कि अमेरिका में सड़कें अच्छी हैं, इसलिए हमारा देश विकसित देश कहलाता है"। अध्यक्ष महोदय, सड़कों का यह महत्व है। यह महत्व मेरे जेहन में है। कोई जमाना था कि सड़कें बहुत ही खराब थीं राजस्थान की। यह कहावत बन गयी थी कि गुजरात से आप आयें, उस वक्त गुजरात की सड़कें बहुत शानदार मानी जाती थीं, अगर आप गुजरात से बाय रोड आते हैं और आप नीन्द ले रहे हैं कार के अन्दर और आपकी नींद खुल जाये तो समझ लें राजस्थान आ गया। वह टाइम भी देखा हमने।

अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति बदल गयी है। अब गुजरात से आपके मित्र आये थे, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं एआईसीसी

(श्री अशोक गहलोत)

के अन्दर, उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से आया हूं, आपकी सड़कें शानदार हैं। हमारे से बेहतर सड़कें आपकी हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने पीएमजीएसवाई का काम टाइम पर किया, आरआईडीएफ से लोन लेकर काम किये हैं। इस प्रकार से राजस्थान में नॉन पेचेबल सड़कों का ध्यान रख रहे हैं, मिसिंग लिंक का ध्यान रख रहे हैं। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अन्दर भी हम सड़कों के सेक्टर में पीछे नहीं रहेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा, नौकरियां हमने दी हैं, एक लाख नौकरियां दी हैं, एक लाख से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरियां दी हैं। 182 खिलाड़ियों को नौकरियां अभी तक दे दी गयी हैं। यह पहली बार इतिहास बना है कि 182 खिलाड़ियों को नौकरी दी गयी है। दो परसेंट आरक्षण दिया उनके लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में दस हजार युवाओं को फ्री कोचिंग दी जा रही है। अम्बेडकर डीबीटी योजना में जिला व सम्भाग पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद अलग दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, विदेश के लिए राजीव गांधी एकैडेमिक एक्सीलेंस स्कालरशिप हमने प्रारम्भ की थी, उसमें अभी बहुत कम लोग आये हैं। हम पता लगा रहे हैं कि क्या-क्या उन्हें छूट प्रदान करें, जिससे कि अधिक छात्र इसमें भाग ले सकें। हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

एक हमारे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वही हैं आमेर वाले तो पूनियां जी, एक लाख, हवा में बात कर रहे हैं। पूनियां जी अध्यक्ष भी हैं इनके। वे भी उम्मीदवार हैं आगे के लिए। दो मिनट लगेंगे, मैं जरा पढ़कर सुना दूं। कम से कम कहीं न कहीं तो इनको मालूम पड़ेगा।

आरएएस - राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 1100, कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी 2250, पुलिस कान्स्टेबल और उप-निरीक्षक 4500, नर्स (ग्रेड द्वितीय) एवं एएनएम 11,600, चिकित्सा अधिकारी 2733, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियंस 1500, पशुधन सहायक 2100, कनिष्ठ सहायक 14,000, महिला सुपरवाइजर, नर्सरी स्टाफ, अध्यापक, संरक्षक अधिकारी, बाल विकास अधिकारी 1100, अध्यापक (लेवल प्रथम), अध्यापक (लेवल द्वितीय) जो पहले 33,000 थे, 33,000 और जोड़ दिये अब

(श्री अशोक गहलोत)

तो हमने। प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, पीटीआई (ग्रेड III), प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष 1800, संस्कृत शिक्षा में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता 1000, सूचना सहायक 1300, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक कम्पाउंडर, नर्स 1025, ऊर्जा विभाग में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, हैल्पर इत्यादि-3200, जेल वार्डन, वाहन चालक, उप निरीक्षक पुलिस-666, अन्य 4200 पद।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया है, पर इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि सरकारी नौकरियों से ही सब काम नहीं चल सकता, यह मेरे जेहन में है, उसके अलावा भी आपको एवेन्यू क्रियेट करने पड़ेंगे। अधिकाधिक इन्वेस्टमेंट राजस्थान के अन्दर आए, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार-उद्योग आगे बढ़े और वह तब होगा जब देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और फार्च्युनेटली देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी है, यह एक शुभ संकेत है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट इवेंट हम 23-24 को राजस्थान के अन्दर और हमारे शकुन्तला रावत जी के नेतृत्व में कई डेलिगेशन कलकत्ता, बंगलौर, तमिलनाडु, चेन्नई, अहमदाबाद, मुम्बई गये और बहुत अच्छा रेस्पोंस मिला। हमने कहा कि हम एमओयू साइन नहीं करेंगे पिछली सरकार की तरह, क्योंकि वे खाली कागजों में रह जाते हैं। हमने कहा कि एमओयू के साथ में आप उसके पहले पूरी फार्मेलिटी करवाओ कि जब यह इवेंट हो तो शिलान्यास भी साथ में हो, यह हमने कहा है। यह पहली बार होगा कि शिलान्यास भी साथ में होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपको मालूम है कि सरकार बनते ही हमने एसएसएमई एक्ट बनाया था, जिसमें सभी तरह की छूट दी गई थी, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें 12 हजार से अधिक एप्लीकेशन आ गयी हैं, हमारा कस्टमाइज्ड पैकेज राजस्थान के अन्दर शानदार है, RIPS 19 के साथ में। रीको हमारे ब्लाक में, आपको मालूम ही है कि आपके कई क्षेत्रों में इण्डस्ट्रियल एरिया लगा रहा है और 147 में से 64 जगह तो बनने लग गये हैं, आगे काम हो गया है और प्लाट भी ले लिये हैं। किशनगढ़ से आने वाले विधायक ने कल कहा भी है कि 64 जगह काम शुरू हुए वहां प्लाट भी बिक गये हैं, गुड, यह बात किशनगढ़ विधायक बता ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी सीमित होती हैं इसलिए हम चाहेंगे कि हर सम्भव प्रयास करें जिससे कि बेरोजगारी कम से कम राजस्थान में हो। चाहे वह एफडीआई के माध्यम से हो, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट आये।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, बाकी तो हमारे यहां तेल निकल गया है, गैस निकलने जा रही है, रिफाइनरी लग रही है। दुर्भाग्य से रिफाइनरी 5 साल डिले कर दी भारत सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, उसके कारण से अभी तो लोगों को पता नहीं लगा है कि जो 40 हजार करोड़ की रिफाइनरी थी वह 72 हजार करोड़ की रिफाइनरी बनने जा रही है। इनके किसी के पास में जवाब है? किससे पूछूं? यहां तो कोई बैठे ही नहीं हैं, खाली है। बताओ किससे पूछूं मैं इस बात को? हैं कोई आपके मित्र, जो बुलाकर ले आये उनको? यह स्थिति है उनकी। 72 हजार करोड़ की बन जायेगी। अब बोलते ही चमकते हैं लोग, अब ये अधिकारी लोग भी बोल नहीं रहे हैं कि 72 हजार करोड की हो रही है। 72 हजार करोड़ की हो रही है, मुझे अंदरूनी मालूम पड़ा। 40 से 72, कल्पना करो आप, यह स्थिति है। यह आईना है भारत सरकार का, एचपीसीएल का। 26 परसेंट की भागीदारी हमारी है तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम हमारी भागीदार बढ़ाने की स्थिति में हैं या नहीं, क्योंकि राज्य सरकार में तो कभी रिफाइनरी आती ही नहीं है। हमें खूब दोष दिये गये, वसुन्धरा जी ने खूब कहा, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा और 26 परसेंट भागीदारी क्यों? मैंने कहा वसुन्धरा जी, देश भर में रिफाइनरी में कभी भागीदारी होती ही नहीं है राज्य सरकारों में क्योंकि कम्पनियों में तो 5-5, 6-6 रिफाइनरी उनकी हैं, एक घाटे में जाती है, दूसरी फायदे में आती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की घाटे में कोई रिफाइनरी चली गई तो वह कैसे भुगतेगी, तो कभी पार्टनर बनती नहीं। सिर्फ आसाम के अन्दर 8-10 परसेंट की पार्टनरशिप थी। मैंने उस वक्त भी कहा था, पर उस वक्त तो अलग बात थी, अब अलग बात है। है न? उस वक्त तो तनातनी ज्यादा थी, अब तनातनी अलग तरह की है। इसलिए वह तनातनी के अन्दर कहना पड़ रहा है कि यह जो स्थिति है इसको समझने की आवश्यकता है। रिफाइनरी से भी पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स, कोई 800 हैक्टेयर या एकड़ में बन रही है, पूरा एरिया ले रही है। जहां पर इण्डस्ट्री लगेगी वहां पर, राजस्थान भर के लोगों को रोजगार के वहां पर अवसर मिलेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला है, बिजली में आपको तो मालूम ही है कि जब देश आजाद हुआ था उस वक्त राजस्थान में बिजली 13 मेगावाट थी यहां पर खाली, वह भी राजा-महाराजाओं के महलों में टिमटिमा रही थी और हो सकता है कि जनरेटर की हो, आज 23 हजार मेगावाट से

(श्री अशोक गहलोत)

अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। हमने इन तीन सालों में 2976 मेगावाट बिजली की क्षमता बढ़ायी है। सौर ऊर्जा, सोलर पालिसी हमने बना दी है और आज हम कह सकते हैं कि 10,560 मेगावाट सोलर क्षमता में राजस्थान देश के अन्दर प्रथम बन गया है। विंड एनर्जी, हवा से एनर्जी, 4338 मेगावाट, बायोमास में 120 मेगावाट बन रही है। अभी पिछले सप्ताह ही 3 लाख 5 हजार करोड़ के सोलर एनर्जी के एमओयू साइन हुए हैं और 90 हजार मेगावाट उससे उत्पादन होगा। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक इन तीन सालों में हम लोगों ने 16 लाख घरेलू कनेक्शन दिये हैं और 2.54 लाख कनेक्शन कृषि में दिये हैं। इस प्रकार से हमारा ध्येय है कि आने वाले वक्त में हम बिजली का उत्पादन और बढ़ायें, जिससे कभी ऐसी स्थिति नहीं बने कि हम लोग डेफिशिएंट रह जाएं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आईएमआर, एमएमआर, यह भी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अन्दर। इंफेंट मार्टेलिटी रेट और मदर मार्टेलिटी रेट, इसमें हम लोग पहले काफी पिछड़े हुए थे और अब जाकर हम सुधरने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने प्रायोरिटी दी है महिला बाल विकास विभाग को और तमाम तरह से सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी टीएसपी एरिया में तो 95 परसेंट से अधिक संस्थागत प्रसव होने लगे हैं, जो बहुत शुभ संकेत है। पहले उसके अभाव में कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी और एमएमआर बढ़ जाता था, तो उसको ध्यान में रख रहे हैं।

"उड़ान योजना" के लिए मैं हाउस के माननीय सदस्यों से, पक्ष-विपक्ष सबको कहना चाहूंगा कि अभी तक 2 लाख 82 हजार बालिकाओं, महिलाओं को नि:शुल्क सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो सके हैं और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के अन्दर 200 करोड़ रुपये हमने इसके लिए अलग से रखे हैं कि महिलाओं को बीमारी नहीं हो, इंफेक्शन नहीं हो। यह संकोच करने की बात नहीं है, इस झिझक को खतम करना चाहिए और समय आ गया है कि गांवों के अन्दर महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है इसलिए आगे आकर हम लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी राजस्थान के अन्दर टीकाकरण अच्छा हो रहा है। आईएमआर भी कुछ सुधरा है। कुपोषित बच्चों का भी काफी कुछ सुधार हुआ है। इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का भी ध्यान रखा जाये।

(श्री अशोक गहलोत)

मानीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का आपको मालूम है कि उसमें हम लोगों ने फ्री मेडिसंस और जो कुछ भी किया है वह आपके सामने है। उसमें मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि इन्दिरा रसोई हमने शुरू कर रखी है, अनाथ बच्चों का मैंने बता ही दिया है कि हम लोगों ने कोरोना काल में पैकेज दिया है, यह सब सोशल सिक्योरिटी में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। असहाय लोगों को हमने 5500 रुपये प्रति परिवार, डीबीटी की थी कोरोना काल के अन्दर 33 लाख असहाय लोगों को, अध्यक्ष महोदय, मजदूर जो होता है, खाली मशीनें ही नहीं बनाती बिल्डिंग और देश को, देश के निर्माण में ह्यूमन टच भी होता है, मशीनें मशीनों की जगह काम आती हैं, पर व्यक्ति, श्रमिक जो होता है उसके बगैर निर्माण नहीं हो सकता है। वे जब 60 साल के बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर काम करने में साथ नहीं देता है। अगर उसके आगे-पीछे कोई नहीं है तो उसके ऊपर क्या बीतती है तो वक्त आ गया है कि विकसित राष्ट्रों की तरह हमारे राजस्थान में भी और देश के अन्दर भी सोशल सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले, उसमें मजदूरों को टॉप पर रखना चाहिए, यह मेरा मानना है, अध्यक्ष महोदय, और यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तो बजट 23 तारीख को आने वाला है, पक्ष-विपक्ष को कहना चाहूंगा कि कोई सुझाव देना चाहता है, बेहतरीन सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग या प्रदेशवासी देना चाहते हैं, अभी वक्त है मेरे पास में, मैंने काफी तैयारी करना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा बजट राजस्थान के अन्दर पेश हो, राजस्थान के फ्यूचर को देखते हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कोई सुझाव देना चाहते हों, अपने क्षेत्र का या जिले का या प्रदेश का या अगर कोई कामन इश्यू हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा राजस्थान बने जहां सभी लोग निरोगी होकर चिरंजीवी रहें।

मैं उम्मीद करता हूं कि उसी रूप में जो मैंने आपको कुछ अपनी बात बतायी है, उस ढंग से ही आने वाले वक्त में हम लोग चाहेंगे कि हम सब मिलकर के किस प्रकार से, अभिभाषण जो दिया राज्यपाल महोदय ने, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनके सामने जो व्यवहार उन्होंने किया

(श्री अशोक गहलोत)

उचित नहीं था; बल्कि कहना चाहिए कि अच्छा नहीं था और तब भी राज्यपाल महोदय ने भाषण को, दो-दो लाइनें नहीं पढ़ी थीं, पहले की दो और लास्ट की दो। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने फिर भी पूरा एक घण्टे का भाषण पढ़कर सुनाया है। इस बात की मुझे खुशी है। इसलिए, मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.32 बजे बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अधूरे तारांकित प्रश्नोत्तर का विवरण

शिक्षाकर्मी व पैराटीचर्स का मानदेय

64. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शिक्षाकर्मी एवं पैराटीचर्स को संविदाकर्मी का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षाकर्मी व पैराटीचर्स पूर्व की भांति कार्यरत है। इन्हें संविदाकर्मी का दर्जा देने की परम्परा नहीं रही है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के अन्तर्गत शिक्षाकर्मियों एवं पैराटीचर्स के देय मानदेय में 01 अप्रैल, 2021 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट- "क" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बून्दी में संचालित कृषि उपज मण्डियां

65. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में कृषि उपज मण्डियों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी की, कहां-कहां पर, किस-किस दिनांक से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त मण्डियों का भूमि व राशि आबंटित कर निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी मण्डी में कितनी-कितनी राशि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मण्डियों में वर्षाकाल में किसानों की फसलों को भीगने से बचाने हेतु पूर्व में जो प्रबन्ध किये गये हैं, वो अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो उक्त के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना हैं? किस-किस मण्डी में, कितनी-कितनी राशि से उक्त कार्य सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों एवं गौण मण्डी यार्डों का स्थापना दिनांक सहित मण्डियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियां स्ववित्त पोषित होती हैं। मण्डी समितियों द्वारा मण्डी निधि में उपलब्ध बचत अथवा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त अनुदान/ऋण से भूमि अवाप्ति एवं निर्माण कार्य कराये जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा भूमि अवाप्ति/आबंटन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" एवं निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा के पानी से भीगने से बचाने के लिए मण्डी प्रांगणों में कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म, डोम, पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाये गये हैं। इसके अलावा मण्डियों द्वारा नि:शुल्क तिरपाल भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों की फसल को वर्षा से भीगने से बचाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। उक्त सुविधाओं में आवश्यकता अनुसार निरन्तर अभिवृद्धि की जाती है। बूंदी शहर में सृजित नवीन मण्डी यार्ड कुंवारती में कवर्ड टीनशैड निर्माण के लिए 692.81 लाख रु. का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष कृषि उपज मण्डी समितियों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बचत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार की सुविधाओं का सृजन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नोखा शहर में एस.टी.पी. बनाने की कार्ययोजना

66. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करवाने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए दो एस.टी.पी. व एक एस.पी.एस. बनाने हेतु 123 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(2) उक्त कार्ययोजना किस स्तर पर लम्बित है? सरकार उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नोखा नगरपालिका क्षेत्र में बिना एस.टी.पी. के सीवरेज खोदने के मामले में एन.जी.टी. में जुर्माना लगाया गया है? यदि हां, तो उक्त ने क्या-क्या जुर्माना लगाया है व नगरपालिका द्वारा उक्त जुर्माना किस मद से भरा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए नगरपालिका द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण के ट्रेन्च द्वितीय अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। कार्ययोजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए योजना का विवरण परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(3) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) निर्णय दिनांक 21.09.2021 द्वारा जुर्माना राशि 50.00 लाख रुपये अधिरोपित की गयी थी। पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं होने के कारण रुडसिको से 50.00 लाख रुपये ऋण प्राप्त कर न्यायालय के निर्णय अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर में दिनांक 09.12.2021 द्वारा जमा करवायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा के उपाय

67. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक रणथम्भौर अभयारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी उनके अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा वर्तमान में बाघों की क्या स्थिति है? वर्षवार व वन्यक्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सतीश पूनियां)

(3) सरकार बाघों की सुरक्षा हेतु भविष्य में क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक रणथम्भौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य एवं मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

वर्तमान में बाघों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(2) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौत होने के प्रकरणों में जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

वर्ष 2020 में मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई। प्राप्त जांच रिपार्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिये गये सुझावों का परीक्षण एक टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है।

(3) सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पंजीकृत बेरोजगार

68. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 फरवरी, 2022 को पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? क्या सरकार शेष वंचितों को भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(3) प्रदेश में सरकारी नौकरी लगने के पश्चात् भी ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं? क्या सरकार उक्त पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 फरवरी, 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोंजगारों में से कुल 6,11,831 बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया, जिनमें से 31 जनवरी, 2022 तक कुल 4,02,826 आशार्थीयों को लाभान्वित किया गया।

(2) जी हां। सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। वर्तमान में इस योजना में सम्पूर्ण प्रदेश में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा दो लाख है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने पर लाभांवितों की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभांवितों के अन्तर को शेष रहे वेरिफाई किये जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 के अनुसार आशार्थियों को 3 माह के कौशल प्रशिक्षण के साथ राजकीय विभाग में 4 घन्टे की इन्टर्नशिप करवाते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस हेतु दिनांक 27.10.2021 को नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिश्ष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में वर्तमान में ऐसा कोई आशार्थी विभाग की जानकारी में नहीं है जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। यदि इस तरह का प्रकरण ध्यान में आता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

69. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राजस्व मंडल सहित विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या सरकार राजस्व संबंधी कानून की समीक्षा कर सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला कलेक्टर अपीलीय अधिकारी व राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त लगाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल में दिनांक 31.12.2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63316 थी तथा दिनांक 31.01.2022 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 64736 थी। सूची परिशिष्ट-अ तथा ब पर संलग्न है।

अधीनस्थ न्यायालयों में 31.12.2018 तक 368999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक 385786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 264122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 490663 प्रकरण लम्बित रहे। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों में संशोधन हेतु कमेटी का गठन दिनांक 11.03.2020 को किया गया। उक्त विभागीय कमेटी की अंनुशसा पर राजस्व नियमों में संशोधन एवं सरलीकरण कर अधिसूचनाएं एवं परिपत्र जारी किये गये हैं। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किये जाते हैं एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किये जायेंगे।

(3) जी हां। जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा F.1 (17)Rev.-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशष्ट-द पर संलग्न है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

जवाई क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

70. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित जवाई क्षेत्र को वर्ष 2021-22 के बजट में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र के विकास हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध की सुरक्षा व्यवस्था हेतु बांध पर C.C.T.V. कैमरा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सुमेरपुर व जवाई बांध के बीच कोलीवाडा क्षेत्र में फिल्मसिटी शिल्पाली विकसित करने व उक्त क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित कर उक्त क्षेत्रों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य बजट 2021-22 के अन्तर्गत पाली, जालौर, बाड़मेर व सिरोही जिलों को सम्मिलित करते हुए पर्यटन स्थलों को 'गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट' के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है।

उक्त सर्किट के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 2210.04 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसमें जवाई क्षेत्र के विकास हेतु राशि रुपये 203.85 लाख स्वीकृत है।

(2) जी हां। जवाई बांध पाली, जालौर, सिरोही जिलों का सबसे बड़ा बांध है। बांध की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु 4 Zoom कैमरे एवं 30 Bullet कैमरे लगाये गए हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर, जिला पाली में फिल्म सिटी शिल्पाली स्थापित करने संबंधी निजी निवेशक द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही नगरपालिका सुमेरपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान/नीति नहीं है, वरन् स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(पर्यटन मंत्री)

विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिये युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

71. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने विगत तीन वर्षों में कितने नये महाविद्यालय खोले एवं उक्त महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु कितने नये पद स्वीकृत किये गये?

(3) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग में कितने पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी गई व रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विषयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में 122 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। इनमें सहायक आचार्यों के 856 पद स्वीकृत किये गये है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना भेजी गयी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को यथाशीघ भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का गठन

73. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त कोष का गठन कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कोष में से प्रवासी राजस्थानियों पर कितनी राशि व्यय कर

(श्री रामलाल शर्मा)

क्या-क्या कार्य किए गए? उक्त राशि व्यय करने का अधिकार किसको है तथा किसकी स्वीकृति से राशि व्यय की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 162.0.0 में घोषणा की गई थी। कोष का गठन अभी नहीं हुआ है। उक्त कोष के गठन हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं कार्यों को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव वित्त विभाग में अनुमोदन एवं बजट आबंटन हेतु प्रेषित किया गया है। बजट उपलब्ध होने के उपरान्त कोष के गठन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तीर्थनगरी पुष्कर में कला, साहित्य, संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना

75. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तीर्थनगरी पुष्कर की कला, साहित्य व सांस्कृतिक विरासत को मध्यनजर रखते हुए पुष्कर शहर में कला, साहित्य और संस्कृति के संगम का उच्च स्तरीय सुविधायुक्त विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक पुष्कर शहर की कला, साहित्य एवं संस्कृति को बढ़ावा देने व विकसित करने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त उद्देश्य के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व क्या तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 2019 में 120.10 लाख रुपये की लागत से पुष्कर में श्री सैन महाराज पेनोरमा का निर्माण करवाया गया है, जिसमें श्री सैन महाराज के भक्तिपरक उपदेशों, शिक्षाओं, जीवन को कलात्मक दीर्घा निर्माण कर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सिख तीर्थस्थलों के विकास कार्यों के अन्तर्गत गुरुद्वारा साहेब, पुष्कर अजमेर हेतु राशि रु. 213.00 लाख तथा प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों अंतर्गत अजमेर-पुष्कर में विकास कार्यों हेतु राशि रु. 350.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पुष्कर मेला आयोजित किया जाता

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

है, जिससे पुष्कर शहर की कला, साहित्य एवं संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2019 में 8 दिवसीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया। वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड महामारी के कारण आयोजन स्थगित रहे।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2022 में दिनांक 20-27 नवम्बर को कोविड संक्रमण की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पुष्कर मेला आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

नदबई में सेन्ट्रल पार्क की स्थापना

76. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नदबई की कृषि उपज मंडी के पास अनुपयोगी पड़ी भूमि में से 25 बीघा भूमि पर प्रात: भ्रमण के लिए सेंट्रल पार्क स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई के नियमित मण्डी प्रांगण की स्थापना के उद्देश्य से वर्ष 1976-77 में कीमतन भूमि प्राप्त कर उक्त भूमि पर मुख्य मण्डी प्रांगण नदबई का संचालन किया जा रहा है। कृषि उपज मण्डी समिति के हितधारकों के हितों, कृषि विपणन एवं कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मण्डी प्रांगण की रिक्त भूमि को निहित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग के लिए दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जयपुर के शिव एन्क्लेव (जोन-8) के भूखण्डों का आबंटन

77. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की योजना शिव एन्क्लेव (जोन-8) में कुछ भूखण्ड नीलामी के बजाय मुआवजे में दिये गये है? यदि हां, तो कौन-कौन से भूखण्ड कितने वर्ग मीटर के किन-किनको आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक लाहोटी)

(2) उक्त आबंटित किये गये भूखण्डधारियों की कितनी भूमि कौन-कौन से जोन में किस-किस स्थान पर किस प्रयोजनार्थ अधिग्रहण की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना शिव एन्क्लेव (जोन-8) में मुआवजा स्वरूप दिये गये भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जोन-8 की विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्टर सड़कों के निर्माण हेतु अधिग्रहित/समर्पित भूमियां जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" के कॉलम संख्या-6 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर से गांवों को शिफ्ट करने की कार्ययोजना

78. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुकुन्दरा हिल्स टाइगर में अब तक कई गांव स्वैच्छिक रिलोकेशन से शिफ्ट नहीं हो पाये हैं? यदि हां, तो गांवों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुकुन्दरा हिल्स टाइगर में ग्रामीणों के स्वैच्छिक रिलोकेशन शिफ्टिंग के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये व उक्त गांवों को कब तक शिफ्ट कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मुकुन्दरा हिल्स टाइगर में ग्रामीणों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए क्या-क्या प्रबंध किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अब तक कई गांव स्वैच्छिक विस्थापन से शिफ्ट नहीं हो पाये हैं।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक विस्थापन हेतु प्रस्तावित कुल 14 गांवों की सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) टाइगर रिजर्व में ग्राम विस्थापन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें समय अवधि का निर्धारण ग्रामवासियों द्वारा विस्थापन हेतु स्वैच्छिक आवेदन

(वन मंत्री)

एवं इस कार्य हेतु उपलब्ध बजट पर निर्भर करता है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व से ग्रामीणों के स्वैच्छिक विस्थापन हेतु प्रगतिरत गांवो में किये गये प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम लक्ष्मीपुरा- टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ग्राम विस्थापन प्रक्रिया के तहत कुल 29 परिवारों में से 29 का विस्थापन किया जा चुका है।

2. ग्राम खरली बावड़ी- कुल 24 परिवारों में से 17 का विस्थापन किया जा चुका है। 7 परिवार शेष हैं, जो बाहर निवास कर रहे हैं, जिनका वर्तमान में गांव में आवागमन नहीं है।

3. ग्राम घाटी जागीर- कुल 58 परिवारों में से 21 परिवारों का विस्थापन किया जा चुका है। शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रयासरत है।

4. ग्राम मशालपुरा- कुल 285 परिवारों में से 88 परिवारों का स्वैच्छिक विस्थापन प्रक्रिया के तहत प्रथम किस्त के रूप में 3.00 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में स्वैच्छिक आवेदन अनुसार विस्थापन प्रक्रिया जारी है।

5. ग्राम दामोदरपुरा- विस्थापन प्रक्रिया के तहत जिला विस्थापन समिति कोटा का गठन पूर्ण किया जा चुका है। जिला विस्थापन समिति कोटा द्वारा सर्वे कमेटी का गठन का कार्य पूर्ण किया जाकर गठित सर्वे कमेटी द्वारा सर्वे कार्य प्रगतिरत है।

इनके अतिरिक्त विभाग द्वारा खण्डगांव राडी, लखावा, सरावदा में स्वैच्छिक विस्थापन हेतु लैण्ड पैकेज विकल्प के अन्तर्गत भूमि का चयन कर लिया गया है, जिनमें प्रत्यावर्तन की कार्यवाही जारी है।

(3) राज्य के अन्य ग्रामों की भांति राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा इन गांवों में शिक्षा व चिकित्सा के प्रबंध किये जाते हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में पड़ने वाले इन गांवों में स्थायी निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य कराये जा सकते हैं। स्थायी निर्माण कार्य भी वन्यजीव स्वीकृति लेकर कराये जा सकते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में खिलाड़ियों का पंजीयन

79. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में किस-किस खेल में कितने-कितने खिलाड़ियों ने पंजीयन करवाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस-किस जिले में कितनी-कितनी सामग्री किस-किस खेल की कहां-कहां उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में खिलाड़ियों द्वारा निम्नलिखित खेलों में करवाये गये पंजीयन निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**खेल का नाम**	**खिलाड़ियों की संख्या**
1	कबड्डी	1077317
2	शूटिंग वालीबाल (बालक वर्ग)	90071
3	टेनिसबाल क्रिकेट	637351
4	खो खो (बालिका वर्ग)	495356
5	वालीबाल	272607
6	हाकी	112338
	कुल	**2685040**

(2) राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक आयोजित नहीं होने के कारण जिलों में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

साहडोली व बाम्बोली (रामगढ़) का तहसील में क्रमोन्नयन

80. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के साहडोली एवं बाम्बोली को तहसील स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की तहसील रामगढ़ में वर्तमान में 25 पटवार मण्डल हैं, जिनमें से भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त साहडोली एवं बाम्बोली राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तहसील सृजन के संबंध में निर्धारित

(राजस्व मंत्री)

मापदण्ड पूर्ण नहीं करते हैं। निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ में आगजनी पर मुआवजा

81. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक आगजनी की कितनी घटनाएं हुई हैं? इससे कितने परिवारों को आर्थिक हानि हुई व कितना-कितना मुआवजा किस-किस को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा मुआवजा राशि देने के क्या नियम हैं एवं कब से लागू हैं? क्या सरकार मुआवजा राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार सेरूणा पुलिस थाने में दमकल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक आगजनी की कुल 36 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 36 परिवारों को आर्थिक हानि हुई है। इन 36 परिवारों में से 32 परिवारों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता दी गई है। जिन व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सहायता राशि बढ़ाने का कार्य भारत सरकार के स्तर पर किया जाता है।

(3) जी नहीं। सेरूणा पुलिस थाना एरिया में आगजनी की घटना होने पर आवश्यकतानुसार नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ एवं बीकानेर से अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाती है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जैतारण के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रिक्त पद

82. **श्री अविनाश** (जैतारण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय पी.जी. महाविद्यालय में व्याख्याताओं व कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध बहुत कम व्याख्याता कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार छात्र-छात्राओं के बेहतर भविष्य को देखते हुए उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैतारण (पाली) में शैक्षणिक वर्ग के 21 स्वीकृत पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट-01 पर तथा अशैक्षणिक वर्ग के 14 स्वीकृत पदों का विवरण 02 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालय में सह/सहायक आचार्य/व्याख्याता के कुल स्वीकृत 21 पदों के विरुद्ध 03 कार्यरत हैं तथा इनके अतिरिक्त 15 शिक्षक विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कार्यरत हैं।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 22.09.2021 से दिनांक 09.10.2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/स्थानान्तरण/अनुकम्पात्मक नियुक्ति से यथाशीघ्र भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर में बाल श्रमिकों का सर्वे

83. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में बाल श्रमिकों का अंतिम सर्वे कब करवाया गया? वर्तमान में कार्यरत बाल श्रमिकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त जिले में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक किस-किस योजना में किस-किस उपखंड में कितने बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वित श्रमिकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में सरकार द्वारा बाल श्रमिक कल्याण हेतु कोई नई योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो कौन-कौन सी एवं कितने बाल श्रमिकों के लिए व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से वर्ष 2012 में बाल श्रमिक सर्वे करवाया गया।

वर्तमान समय में बाल श्रमिक सर्वे नहीं कराये जाने की स्थिति में संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है।

(2) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित योजना-राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एन.सी.एल.पी.) के तहत बाल श्रम से मुक्त कराये गये बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जाता है। जिले में वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से बजट प्राप्त नहीं होने के कारण एन.सी.एल.पी. योजना संचालित नहीं की जा रही है। इस प्रकार जिले में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक उक्त योजना से किसी भी बाल श्रमिक को लाभान्वित नहीं किया गया है।

(3) वर्तमान में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ नई योजना स्वीकृति बाबत प्रक्रियाधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी में राजकीय आवासों का निर्माण

62. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बाड़ी में न्यायिक अधिकारियों एवं राजकीय अधिकारियों के लिए राजकीय आवासों की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़ी में राजकीय आवास बनवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. बाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के लिए राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के 5 आवास स्वीकृत है, जिनका कार्य न्यायिक अधिकारियों के द्वारा साइट प्लान अनुमोदित नहीं होने के कारण रूका हुआ है, सूची परिशिष्ट-01 पर उपलब्ध है।
2. बाड़ी में निम्नांकित अधिकारियों के राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध है:- उपखण्डाधिकारी बाड़ी, तहसीलदार बाड़ी व अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. बाड़ी (संलग्न परिशिष्ट-2)
3. शेष राजकीय अधिकारियों के आवास बनाये जाने के लिए जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 989 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर को कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़ी में स्थित परिसर में खाली पड़ी 21 बीघा भूमि में मिनी सचिवालय के रूप में आवंटन के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, जिसमें परिशिष्ट-3 पर संलग्न सूची के मुताबिक राजकीय अधिकारियों के आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं। राजस्व विभाग से सहमति शेष है। चूंकि भूमि का टाइटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में निहित है एवं राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर संबंधित विभाग की सहमति लेते हुए भूमि आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयी)

मित्रपुरा (बामनवास) में पुलिस थाने की स्थापना

63. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कस्बा मित्रपुरा में बढ़ते

(श्रीमती इन्द्रा)

अपराधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में पुलिस चौकी मित्रपुरा को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

मालपुरा में अवितरित लैपटॉप का वितरण

64. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण की योजना बंद है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विगत कई वर्षों से वितरित नहीं किये गये लैपटॉपों का वितरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अवितरित लैपटॉप का विद्यालय एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोविड-19 से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में लैपटॉप का वितरण नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों हेतु लैपटाप क्रय किये जाने हेतु उपापन समिति का गठन किया जाकर लैपटाप क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 2018-19 तक के आबंटित लैपटॉप का पूर्ण वितरण किया जा चुका है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी आबंटित लैपटॉप अवितरित नहीं है।

हरणीखुर्द (भीलवाड़ा) में आवासों का आबंटन

65. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

(1) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में भीलवाड़ा हरणीखुर्द में लाटरी से आबंटित आवासों को अब तक आबंटियों को सुपुर्द नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौनसे अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आबंटियों को शीघ्र आवास देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि हरणीखुर्द में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लाटरी द्वारा आवास आबंटित किये गये हैं, परन्तु अब तक संवेदक द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर आवास न्यास को सुपुर्द नहीं किये गये हैं। संवेदक की धीमी एवं असंतोषजनक प्रगति के संबंध में नोटिस जारी किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। न्यास भीलवाड़ा आबंटियों को जल्द आवास दिलाने का विचार रखती है। उक्त योजना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में आन्तरिक फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है। लाभार्थियों को कार्य पूर्ण होते ही कब्जा सुपुर्द करवा दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी नगरपालिका में जारी पट्टे

66. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका बस्सी द्वारा विगत तीन वर्ष में किस-किसको, कहां-कहां पर, कितने वर्गगज के पट्टे जारी किये गये? पट्टेधारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में भी ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना बनाकर पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस को एवं कहां-कहां पर? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में जारी अवैध पट्टे एवं की गई अनियमितता की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.03.2021 के द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया है। नगरपालिका द्वारा 13.05.2021 से कार्य करना प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 13.05.2021 से नगरपालिका बस्सी द्वारा आज दिनांक तक कुल 96 पट्टे जारी किये गये हैं। नामवार, स्थानवार एवं क्षेत्रफलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना एवं दीनदयाल आवास योजना बनाकर पट्टे जारी किये गये हैं। पट्टों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त योजनाओं में जारी अवैध पट्टे एवं अनियमितता की जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को अग्रेषित की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा में उद्योगों को पर्यावरण क्लीयरेंस

67. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कितने प्रकरण पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु पंजीकृत किये गये हैं? उक्त में से कितने उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को पर्यावरण स्वीकृती जारी हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने उद्योगों व प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन किये गये हैं? क्या सभी आवेदित आवेदनों पर एनओसी जारी हो चुकी है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से उद्योगों व प्रतिष्ठानों को किन-किन कारणों से पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में स्थापित सभी उद्योगों व प्रतिष्ठानों को पर्यावरण क्लीयरेंस एनओसी ली जा चुकी है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से उद्योगों व प्रतिष्ठानों द्वारा नहीं ली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त जिले में स्थापित सभी उद्योगों व प्रतिष्ठानों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण क्लीयरेंस लेना अनिवार्य है? यदि हां, तो जिन

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

उद्योगों व प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं ली गई है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(4) जी नहीं। केवल उन्हीं परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है जो ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 में उल्लेखित है। पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं है।

पुरानी टोंक में अवैध नमदा फैक्ट्री का संचालन

68. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मोहल्ला जाटा पाड़ा पुरानी टोंक में बैरवा समाज के मन्दिर के पास घनी आबादी में अवैध रूप से बॉयलर लगाकर नमदों को तैयार करने की फैक्ट्री लगी हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्री को कब तक बंद करा दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त फैक्ट्री में लगे हुए बॉयलर के कारण धुएं एवं डस्ट से मोहल्ले में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा बॉयलर से जनहानि को मद्देनजर फैक्ट्री को बंद करके फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचनानुसार टोंक शहर के जाटा पाड़ा पुरानी टोंक में मैसर्स न्यू परफेक्ट नमदा हैंडीक्राफ्ट उद्योग के नाम से उद्योग संचालित है। जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त सूचनानुसार नगर परिषद्, टोंक द्वारा इकाई को नोटिस जारी किया जा

(पर्यावरण मंत्री)

चुका है। यदि फैक्ट्री संचालक द्वारा नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है तो नगर परिषद्, टोंक द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए नमदा इकाई को बंद करवा दिया जायेगा।

(2) जी हां। नगर परिषद्, टोंक द्वारा फैक्ट्री बंद करने की कार्यवाही किए जाने पर बॉयलर भी बंद करा दिया जाएगा।

पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना

69. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की बजटीय घोषणा वर्ष 2019-20 में की गई थी? यदि हां, तो उक्त निदेशालय में किन-किन विषय विशेषज्ञों व अधिकारियों को पदस्थापित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने नई जलवायु परिवर्तन नीति लाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त नीति के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की बजटीय घोषणा वर्ष 2019-20 में की गई है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय का गठन दिनांक 04.09.2019 को किया गया है। निदेशालय में निदेशक, उपनिदेशक एवं वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों के साथ तकनीकी सहयोग हेतु वेस्ट मैनेजमेंट, वायु एवं पर्यावरणीय प्रदूषण, वेटलैण्ड प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन विषयों के लिए 05 पर्यावरणीय सलाहकारों को नियुक्त किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति लाने की घोषणा बजट वर्ष 2019-20 में की थी। जलवायु परिवर्तन नीति का प्रारूप IIT Bombay की सहायता से तैयार किया जा चुका है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

रेवदर में पटवारियों के रिक्त पद

70. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील रेवदर एवं तहसील आबू रोड के राजस्व क्षेत्रों में पटवारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जीं हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील रेवदर में पटवारियों के 27 पद एवं तहसील आबूरोड में 13 पद रिक्त हैं। पद कहां-कहां व कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त पद कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने, उच्च पदों पर पदोन्नत होने व भर्ती प्रक्रियाधीन होने आदि कारणों से रिक्त हैं।

(2) पटवारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 5610 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा- 2019 का आयोजन किया जाकर परीणाम जारी किया जा चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड से सफल अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्रदान की जाकर रिक्त पदों को भरा जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा में रिक्त पद

71. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विभाग के अंतर्गत कार्यालय तहसील, उप-तहसील, पटवार मण्डलों में कौन-कौनसे संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से वर्तमान में कौन-कौनसे कार्यालय में, कौन-कौनसे संवर्ग में कितने-कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यालय तहसील, उपतहसील, पटवार मण्डलों में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

प्रक्रियाधीन भर्तियों से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

72. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में चरागाह एवं आबादी क्षेत्र के कुल कितने प्रकरण लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में चरागाह भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे हैं? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जे का नियमितीकरण किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उपखण्ड सूरजगढ़ में चरागाह भूमियों की संख्या शून्य होने से कोई प्रकरण लंबित नहीं है एवं उपखण्ड बुहाना में कुल निम्न 03 प्रकरण आबादी प्रयोजन हेतु तहसील कार्यालय पर लंबित हैं-

1. ग्राम पंचायत के ग्राम बुहाना के ख.न. 3317/1148 रकबा 3.63 है. किस्म गै.मु. चरागाह में से सम्पूर्ण 3.63 है।
2. ग्राम पंचायत लालामण्डी के ग्राम लालामण्डी के ख.न. 380/126 किस्म गै.मु. चरागाह रकबा 40.17 है में से 0.35 है।
3. ग्राम पंचायत डूमोली के ग्राम डूमोली खुर्द स्थित ख.न. 544 रकबा 11.25 है. किस्म गै.मु. चरागाह में से 5.36 है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में उपखण्ड़ बुहाना में किस्म चरागाह भूमि पर कुल 78 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उक्त अतिक्रमण 30-40 वर्ष

(राजस्व मंत्री)

पुराने हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.12.2021 को जारी चरागाह पालिसी के तहत नियमितीकरण के दायरे में आने वाले प्रकरणों में नियमितीकरण एवं शेष प्रकरणों में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शीघ्रातिशीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में किसी प्रकरण में नियमितिकरण नहीं किया गया है।

कृषक कल्याण कोष का गठन

73. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? वर्तमान समय में उक्त कोष में कितनी राशि है?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक कृषक कल्याण कोष नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बारां में उक्त कोष से कितनी राशि मंजूर की गई है? उक्त कोष से कौन-कौनसे कार्य करवाये जा सकते हैं तथा कोटा संभाग में अब तक कौन-कौनसे कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 19ए के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश 2019 के द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में (दिनांक 31.01.2022 तक) कृषक कल्याण कोष में 77933.00 लाख शेष है।

(2) जी नहीं। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 19ए के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश 2019 के द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

(3) जिला बारां में उक्त कोष में निम्नानुसार राशि व्यय मंजूर की गई है :-

(1) सहकार कल्याण योजना कृषि उपज के विरुद्ध रहन ऋण योजनान्तर्गत राशि रुपये 75213/-

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) बायो एजेन्टस एवं बायो फर्टिलाइजर्स हेतु राशि रु. 8.50 लाख, सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण हेतु राशि रु. 7.34 लाख, कम्पोस्ट यूनिट स्थापना हेतु राशि रु. 7.50 लाख, फार्म पौण्ड कार्यक्रम हेतु राशि रु. 18.94 लाख, उन्नत किस्म बीज वितरण हेतु राशि रु. 1.96 लाख

(3) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के अन्तर्गत कृषक कल्याण कोष से बारां जिले में 9 इकाइयों को 2.30 करोड़।

राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत उक्त कोष में से निम्नलिखित कार्य करवाये जाने के प्रावधान हैं :-

I. उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के फसलोत्तर प्रबन्ध, भण्डारण, परिवहन, श्रेणीकरण, वेक्सिंग, पैक करने, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात के संबंध में अध्ययन, सेमिनारें, कार्यशालायें, प्रदर्शनियां और प्रशिक्षण आयोजित करना;

II. ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों के आयोजकों को प्राइवेट एजेंसियों, स्वशाषी निकायों और सहकारी सोसाइटियों के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना;

III. फलों, सब्जियों को सम्मिलित करते हुए कार्बनिक रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं के और औषधीय वनस्पतियों के विपणन को बढ़ावा देना;

IV. विपणन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मण्डी यार्ड के भीतर और बाहर अवसंरचना का विकास करना;

V. उपर्युक्त क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्करों के उपयोग को बढ़ावा देना;

VI. नई विपणन युक्तियों जैसे भावी मण्डियों, ई-कामर्स इत्यादि को बढ़ावा देना;

VII. कृषि उपजों के सीधे विपणन को बढ़ावा देना;

VIII. कार्बनिक उपजों के पैक करने, प्रमाणन, लेबल लगाने और विपणन के विकास के लिए सहायता प्रदान करना;

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

IX. कृषि उपजों के विपणन को बढ़ावा देने की दृष्टि से फूड पार्क, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देना; और

X. वस्तु विनिर्दिष्ट मण्डियों का विकास करना।

XI. "सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढावा देना।"

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

सहकार कल्याण योजना कृषि उपज के विरुद्ध ऋण रहन योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान क्लेम दिया जा सकता है।

कोटा संभाग में जिलेवार राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अन्तर्गत अभी तक किये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

कोटा संभाग में सहकार कल्याण योजना "कृषि उपज के विरुद्ध रहन ऋण योजनान्तर्गत क्रमशः कोटा जिले में 82 कृषकों को राशि रुपये 120660/-, बारां जिले में 20 कृषकों को राशि रुपये 75213/-, बूंदी जिले में 26 कृषकों को राशि रुपये 38322/- एवं झालावाड़ जिले में 49 कृषकों को राशि रूपये 59047/- के ब्याज अनुदान क्लेम से लाभांवित किया जा चुका है।

इस कोष के माध्यम से कोटा संभाग द्वारा बायो एजेन्ट्स एवं बायो फर्टिलाइजर्स, सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण, कम्पोस्ट यूनिट स्थापना, फार्म पौण्ड कार्यक्रम, उन्नत किस्म बीज वितरण एवं फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं। जिलेवार व योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राष्ट्रीय युवा पुरस्कारधारियों को प्रोत्साहन

74. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवाओं को क्या सरकार किसी प्रकार की सुविधाएं दे रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह पुरस्कृत युवाओं को पहचान पत्र, निगम बसों में यात्रा सुविधा

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

एवं राजकीय नियुक्तियों में विशेष प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) प्रदेश के स्काउट गाइड एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को राजकीय नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की अनुपालना में क्या कदम उठाए गए हैं?

(3) प्रदेश के कितने युवाओं को अब तक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? क्या सरकार पदक जीतने पर खिलाड़ियों को जिस प्रकार वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, उसी भांति राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को पहचान पत्र बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शेष के संबंध में वर्तमान में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) उक्त घोषणा इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी व संस्थागत श्रेणी के अब तक 56 को पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

पदक जीतने पर खिलाड़ियों को जिस प्रकार वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है उसी तरह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग स्तर पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

माण्डलगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण

75. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उपखण्ड क्षेत्र माण्डलगढ़ व बिजौलिया में खेल स्टेडियम के लिए कितनी भूमि कहां-कहां पर आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये खेल स्टेडियम के निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में ग्राम भारजी का खेडा तह. मांडलगढ़ में 32 बीघा भूमि जिला क्रीड़ा परिषद् भीलवाड़ा को स्टेडियम निर्माण हेतु आबंटित की गई थी।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में उक्त के अतिरिक्त क्रीड़ा परिषद्/खेल विभाग के नाम से कोई भूमि आबंटित नहीं है।

(2) जी हां। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत उपखण्ड/तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक- सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन- सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जायेगी।

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव की नियुक्ति

76. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर नियुक्ति हेतु जारी नियम व शर्तें सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कुलसचिव के पद पर कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कुलसचिव के पद पर कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2003 की धारा 13(2) में प्रावधान है कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कोटा विश्वविद्यालय में कुलसचिव पद पर नियुक्त डा. राजकुमार उपाध्याय, सह-आचार्य (विधि) राजस्थान शिक्षा सेवा (कॉलेजियेट ब्रांच) के अधिकारी हैं। अत: यह नियुक्ति कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद

77. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में किस-किस विषय के कितने-कितने पद सृजित हैं? महाविद्यालयवार पदों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शिक्षकों के सृजित पदों में से कुल कितने पद रिक्त हैं? महाविद्यालय एवं विषयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालयों में सृजित पदों में से 40 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 372 राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के 372 राजकीय महाविद्यालयों में सह/सहायक आचार्य के विषयवार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-02 पर तथा महाविद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश के 372 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-02 पर तथा महाविद्यालयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 22.09.2021 से दिनांक 09.10.2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोजन से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में पंजीकृत श्रमिक

78. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करने एवं निस्तारण करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं के आवेदकों को निर्धारित राशि का भुगतान सामान्यतः कितने दिनों में हो जाता है?

(5) जिला नागौर में कितने आवेदकों का भुगतान कब से लम्बित है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल 159016 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) 1. पंजीकृत श्रमिक द्वारा सहायता आवेदन स्वयं अथवा निकट के ई-मित्र केन्द्र से विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर वांछित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए किया जाता है।

2. आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर होता है।
3. आवेदन में कमीपूर्ति का अवसर हिताधिकारी को दिया जाता है।
4. अधिकृत स्वीकृतकर्ता द्वारा योजनावार निर्धारित शर्तों एवं पात्रता की जांच/भौतिक सत्यापन कर आवेदन का निस्तारण किया जाता है।
5. पात्रता होने पर हिताधिकारी के बचत बैंक खाते में सहायता राशि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाती है।
6. आवेदन निरस्त होने की स्थिति में हिताधिकारी को पुन: सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है।

(4) सहायता राशि के भुगतान की यद्यपि समय सीमा निर्धारित नहीं है तथापि उपलब्ध कोष एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए वरीयतानुसार आवेदको को यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जाता है।

(5) नागौर जिले में हिताधिकारियों के लम्बित आवेदनों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)